खण्ड-06 सत्र-07 (भाग-01) अंक-80

सोमवार 09 अप्रैल, 2018 19 चैत्र, 1940

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

सातवाँ सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-06 सत्र-07 (भाग-01) में अंक 66 से अंक 81 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र–7 (भाग–01)	सोमवार, 09 अप्रैल, 2018 / 19 चैत्र, 1940 (शक)	अंक–80
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	3
3.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	4–44
4.	अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) (विधायक क्षेत्रीय विकास निधि का दिल्ली नगर निगम के पार्कों में उपयोग)	45–132

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–7 (भाग–01) सोमवार, 09 अप्रैल, 2018 / 19 चैत्र, 1940 (शक) अंक–80

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री पंकज पुष्कर
3. श्री पवन कुमार शर्मा
4. श्री अजेश यादव
5. श्री महेन्द्र गोयल
6. श्री रामचन्द्र
7. श्री सुखवीर सिंह दलाल
8. श्री ऋतुराज गोविन्द
9. संदीप कुमार
10. श्रीमती बंदना कुमारी
11. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
12. श्री राजेश गुप्ता
13. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
14. श्री सोमदत्त
15. सुश्री अलका लाम्बा
16. श्री आसिम अहमद खान
17. श्री विशेष रवि
18. श्री हजारी लाल चौहान

19. श्री शिव चरण गोयल
20. श्री गिरीश सोनी
21. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
22. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
23. श्री राजेश ऋषि
24. श्री महेन्द्र यादव
25. श्री नरेश बाल्यान
26. श्री आदर्श शास्त्री
27. श्री कर्नल देवेन्द्र सहरावत
28. श्री सुरेन्द्र सिंह
29. श्री विजेन्द्र गर्ग
30. श्री प्रवीण कुमार
31. श्री मदन लाल
32. श्री सोमनाथ भारती
33. श्रीमती प्रमिला टोकस
34. श्री नरेश यादव
35. श्री करतार सिंह तंवर
36. श्री अजय दत्त
37. श्री दिनेश मोहनिया
38. श्री सौरभ भारद्वाज
39. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
40. श्री सही राम
41. श्री नारायण दत्त शर्मा
42. श्री अमानतुल्लाह खान
43. श्री राजू धिंगान
44. श्री मनोज कुमार
45. श्री नितिन त्यागी
46. श्री ओमप्रकाश शर्मा
47. श्री एस.के. बग्गा
48. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
49. श्रीमती सरिता सिंह
50. मो. इशराक
51. श्री श्रीदत्त शर्मा
52. चौ. फतेह सिंह
53. श्री जगदीश प्रधान
54. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–7 (भाग–01) सोमवार, 09 अप्रैल, 2018 / 19 चैत्र, 1940 (शक) अंक–80

Lknu vijkgu 2-14 ct: leor gvkA

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

माननीय अध्यक्षः मुझे श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता–प्रतिपक्ष से नियम–59 के अंतर्गत कार्य–स्थगन प्रस्ताव एवं नियम–54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण की सूचना तथा माननीय सदस्यों श्री ओम प्रकाश शर्मा तथा श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी से नियम–54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण की सूचनाएं तथा श्री सोमनाथ भारती से अल्पकालिक चर्चा की सूचना प्राप्त हुई हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि आज समय की बहुत कमी है तथा कार्य सूची में चार अल्पकालिक चर्चाएं पहले से ही सूचीबद्ध हैं।

मैं माननीय सदस्यों को पहले भी सूचित कर चुका हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम– 291, 293 के अनुसार अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है तथा इस पर कोई आपत्ति कृपया न की जाए, इसलिए मैं किसी भी सूचना को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। 280 श्री अजय दत्त जी।

विशेष उल्लेख (नियम–280)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, आपने खुद उस दिन कहा था कि पानी पे लगाओ...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः किससे कहा?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आज आप पानी पर...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः किससे कहा मैंने? झुग्गी पर आपकी मेरी बात हुई थी।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, पानी की जो हालत है...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई विजेन्द्र जी, देखिए, मेरी बात सुनिए...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः गंदा पानी आ रहा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मेरी बात सुनिए। आपका आज झुग्गी पर है। आप झुग्गी से बैक–आउट कर रहे है अब?

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी, पानी ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप नई चीज लेकर आएंगे।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये पानी आ रहा मेरे इलाके में ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आपका झुग्गी पर बैक–आउट है। आपने झुग्गियों पर चर्चा मांगी थी, मैं झुग्गियों पर चर्चा करवा रहा हूँ और आप आज झुग्गी से...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः झुग्गियों पर भी करेंगे, पहले पानी पर कर लो।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, नहीं पहले जो झुग्गी...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः पानी की हालत देख रहे हो ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जितना जोर आपने झुग्गी पर दिया था... नहीं, छोड़िए इस बात को...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप आज झुग्गी पर चर्चा से बैक आउट कर रहे है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप उस दिन वेल में आए झुग्गी पर चर्चा करने के लिए।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये देखिए आप ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, मेरी बात समझ लीजिए। मुझे ...

... (व्यवधान)

(श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता–प्रतिपक्ष, श्री ओम प्रकाश शर्मा तथा श्री जगदीश प्रधान सदन के वेल में आए)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये पानी आ रहा है ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मुझे, यही पोजीशन झुग्गियों पर चर्चा पर विजेन्द्र जी यहाँ चिल्लाए थे। आप झुग्गियों की चर्चा से भाग रहे है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, इससे कोई मतलब नहीं हुआ। मेरे पास समय है। चार दिन हुए हैं। मैं आज चर्चा करवा रहा हूँ उस पर...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब आप झुग्गियों से भाग रहे हैं...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः पानी पर...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः पानी पर करवाऊँगा। कल से पानी पर भागेंगे आप।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः देखिए ये पानी आ रहा है ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं पहले जो इसमें सूचीबद्ध हैं, मैं पहले उस पर करवाऊँगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, सिरसा जी ऐसे नहीं चलेगा...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऐसे नहीं चलेगा। मैं ऐसे नहीं चलूंगा।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः पानी पर चर्चा करवाइए अध्यक्ष जी।

... (व्यवधान)

(श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता–प्रतिपक्ष अध्यक्ष के आसन के समीप आये)

माननीय अध्यक्षः आप करते रहिए। विजेन्द्र जी...

... (व्यवधान)

(श्री ओम प्रकाश शर्मा भी अध्यक्ष के आसन के समीप आये)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आप। ... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, पानी की चर्चा भी करवाओ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, पानी पर, पानी पानी पानी, ... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी, एक सेकण्ड ... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः झुग्गियों में पानी नहीं आ रहा। गंदा पानी आ रहा है झुग्गियों में।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ये झुग्गियों पर चर्चा है ना।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः झुग्गियों पर कराइये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप चिल्लाइये मत।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः कराइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चिल्लाइये मत।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं, पानी पर कराइए आप।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चिल्लाइये मत। तमाशा बना रखा है आपने।

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी, एक मिनट...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः तीन दिन से झुग्गियाँ–झुग्गियाँ चिल्ला रहे थे, आज झुग्गियों पर चर्चा हो रही है, बैक आउट कर रहे हैं। आप भाग रहे है झुग्गियों पर चर्चा से।

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी, एक सेकण्ड ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप झुग्गियों पर चर्चा से भाग...

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः पानी गंदा आ रहा है ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः तो झुग्गियों में पानी रखिएगा, जब झुग्गियों की चर्चा आएगी, पानी रखिएगा उसमें।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः झुग्गियों पर चर्चा शुरू कीजिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, 280 लूँगा पहले।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप झुग्गियों पर कीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, पहले 280, मैं 280...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः झुग्गियों पर चर्चा करिए आप ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई बाहर निकालिए।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः चर्चा करिए आप ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अध्यक्ष के माइक को छुआ है, बदतमीजी की है। अध्यक्ष के माइक को छूकर मोड़ा है...

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी, पानी तो देख लो।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मार्शल्स विजेन्द्र जी को बाहर निकालें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आपको क्या तमीज है अध्यक्ष के माइक को छूने की? आप इतनी गुंडागर्दी पर आ गए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप गुंडागर्दी पर आ गए है। ...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप पानी ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अध्यक्ष के माइक को कैसे छुआ? आपको किसने अधिकार दिया अध्यक्ष के माइक को छूने का?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ले जाइए बाहर। ये गुंडागर्दी मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा.

... (व्यवधान)

(मार्शल्स द्वारा श्री विजेन्द्र गुप्ता को बलपूर्वक सदन से बाहर ले जाया गया)

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी, एक सेकण्ड दे दो, एक सेकण्ड.

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आज, नहीं, मैं ओम प्रकाश जी, अभी नहीं...

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः केवल एक सेकण्ड।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जो विपक्ष से मैं प्यार से बात कर रहा हूँ...

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः ये पानी आ रहा है। बताओ, क्या करें?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मार्शल्स! कोई एक्सक्यूज नहीं।

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश गुप्ताः तो क्या करें अध्यक्ष जी?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कोई एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज।

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी, पानी के लिए भी मार्शल्स से निकलवाओगे। अध्यक्ष जी, पानी के लिए....

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैंने इतना नहीं देखा कभी आज तक कि एक नेता–विपक्ष आए और अध्यक्ष का माइक उठाकर ऐसे मोड़े...

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः पानी तो देखो ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती।

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः पानी तो देख लो।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः डूब मरना चाहिए...

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः ये पानी मेरे...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नेता, विपक्ष को डूब मरना चाहिए।

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में ये पानी आ रहा है, क्या करें? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं नहीं सुन रहा हूँ अभी।

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः करें क्या? बता दो ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब झुग्गियों पर चर्चा आएगी, उसमें रख...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः झुग्गियों पर चर्चा आएगी, बात रखना आप।

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी, कुछ तो रहम करो,... (व्यवधान) थोड़ा रहम करो कम से कम। ... (व्यवधान)

(श्री जगदीप सिंह, चीफ व्हिप अध्यक्ष के आसन के समीप आए)

श्री जगदीप सिंहः ये देखो ये आ रहा है पानी ... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः ये पीने का पानी ये आ रहा है. ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कोई बात नहीं।

... (व्यवधान)

(सुश्री अलका लाम्बा भी अध्यक्ष के आसन के समीप आईं)

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, ये बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। काला पानी, आप ये देखिए, ये भी सच्चाई है ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी, प्लीज मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, रख दीजिए। जहाँ मर्जी आए, रख दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः नाम है, पता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कोई बात नहीं, रख दीजिए। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, जहाँ मर्जी आए छोड़ दीजिए...

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः सब लिखा हुआ है, अरे! लिखा हुआ है

... (व्यवधान)

(श्री पंकज पुष्कर भी अध्यक्ष के आसन के समीप आए)

माननीय अध्यक्षः लाइए मुझे दे दीजिए। लाइए।

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः फोन का नम्बर भी है इस पर, ये टेलीफोन का नम्बर भी लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये टेलीफोन नम्बर भी लिखा हुआ है इसके ऊपर। ... (व्यवधान) अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है पानी के ऊपर चर्चा कराइए। ... (व्यवधान) इसके बगैर काम नहीं चलेगा ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिए प्लीज।

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः ये इस पर नम्बर लिखा हुआ है ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, आप छोड़ ही नहीं रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ।

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः आपको देता हूँ आकर, मीडिया को तो दिखा दूँ ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मीडिया को दिखाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है और सदन की मर्यादाओं का लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और वो ही प्रयास आज नेता विपक्ष ने किया। मेरे सामने बैठे हुए मेरे माइक को हाथ लगाकर अपनी और मोड़ा। ये बड़ा गंभीर विषय है। मैं आज विजेन्द्र गुप्ता जी को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित करता हूँ। 280 अजय दत्त जी।

विशेष उल्लेख (नियम–280)

श्री अजय दत्तः धन्यवाद, अध्यक्ष जी, आपने मुझे मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ अम्बेडकर नगर की नहीं, उसके साथ लगी जो सात विधान सभा के बारे में भी आपका ध्यान आकर्षण चाहूँगा। अंबेडकर नगर में दो रोड जो बहुत महत्वपूर्ण रोड हैं, उनमें से एक है बीआरडी जो मूलचंद से खानपुर तक जाता है और दूसरा रोड है, एमबी रोड जो बदरपुर से महरौली होता हुआ छत्तरपुर और लास्ट में वो गुरूग्राम तक कनैक्ट करता है।अध्यक्ष जी, बीआरडी रोड पहले बड़ी जिग–जैक था। तीनों तरफ से बीआरटी आती जाती थी। बड़ी मुश्किल से हमारे उप–मुख्य मंत्री साहब ने उसको ठीक कराया और आज वो सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन वहाँ एक बहुत भंयकर समस्या उत्पन्न होने लगी है कि जो बीआरडी को रोक रही है। खानपुर चौक पे एक बहुत बड़ा कोई रेहड़ी माफिया है, जो करीबन शाम को 100 रेहड़ियाँ लगाता है। इसकी सूचना मैंने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को की, एमसीडी को की कि उनको हटाया जाये और रोड को चलने दिया जाये। और इसी तरीके से खानपुर देवली रोड है जो मेरी विधान सभा का रोड है और वो एक पूरा वार्ड है जिसमें करीबन एक लाख से ऊपर की जनसंख्या के लोग रहते हैं। वो एक मेन रोड है। वहाँ पर ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है और ये रोड बदरपुर से महरौली को कनैक्ट करता है। वहाँ पर बहुत सारे ऑटो वाले खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे ग्रामीण सेवा वाले खड़े हो जाते हैं और रोड को चॉक कर दिया जाता है, करीबन एक से डेढ़ घंटा। कम से कम किसी आदमी को अगर संगम विहार से ये खानपुर देवली रोड क्रास करना है तो उसको एक से डेढ़ घंटा कम से कम लग

जाता है। और यहाँ पर एक बत्रा हॉस्पिटल भी है जो कि वहाँ का एक मात्र सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और अगर किसी को एमरजेंसी हो तो बत्रा जाने में पेशेंट को करीबन एक से डेढ़ घंटा लगता है। और आजकल एक नई समस्या मुझे सुनने में आयी है। कई बार पैरेंटस ने आ के कहा कि सर, ये रोड चॉक है और खानपुर देवली रोड होने की वजह से हमारे बच्चे भी आजकल दोपहर में जब स्कूल से आते हैं तो वो भी रोड पर एक–एक, डेढ़–डेढ़ घंटा खड़े होते हैं तो एक वैन में करीबन आठ–दस बच्चे हैं तो कई बच्चे तो उससे अनकॉन्सेस भी हो गये हैं। तो अध्यक्ष जी ये बहुत गंभीर विषय है लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है और पीछे जब शादियों का सीज़न होता है तो उस शादियों के सीज़न में रात को 10 बजे पूरा रोड जाम हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस को मैंने कई बार लिखित में कहा, उनको सल्यूशन दिये लेकिन वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं है। और जो लोग फरीदाबाद से छत्तरपुर जा रहे हैं या छत्तरपुर से फरीदाबाद जा रहे हैं, उन लोगों को जबरदस्ती इसमें डेढ़–डेढ़ घंटा रूकना पड़ता है जबकि ये पंद्रह से बीस मिनट की क्रासिंग है।

तो अध्यक्ष जी, मेरा आपसे हाथ जोड़के विनम्र निवेदन है कि ट्रैफिक पुलिस को स्पेशली कहा जाये कि इस रोड को पब्लिक की सहायता के लिए जाम हटाया जाये और खानपुर जो चौक है, बीआरटी खानपुर चौक, वहाँ करीबन 100 से ज्यादा रेहड़ी पटरी शाम को लग जाती हैं, रेहड़ियाँ लग जाती हैं। उससे भी बहुत बड़ा जाम लगता है, पब्लिक को बड़ी असुविधा है तो मेरा आपसे हाथ जोड़के निवेदन है कि इसके लिए आप ट्रैफिक पुलिस को और एमसीडी को कहें कि इस रोड को क्लीयर करायें, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः श्री कमांडो जी।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यंत गंभीर मुद्दे के ऊपर आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी रहूँगा।

ये दिल्ली कैंट इन्हीं पूरे दिल्ली के एरिया की बात है। कल की न्यूज़ से भी आप लोगों को पता चला होगा। संस्कृति स्कूल के अंदर दाखिले को लेके जो है, गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन बच्चों के नाम पे साहूकार लोग वहाँ पे दाखिला कराते हैं। तो दिल्ली छावनी क्षेत्र में संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी में स्थित है। और माननीय अध्यक्ष जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि संस्कृति स्कूल के साथ लगी हुई संजय कैंप और विवेकानंद कैंप की झुग्गियाँ हैं जिससे उन लोगों के सर के ऊपर छत भी नहीं है और उसके आसपास के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, काफी सर्वेंट रहते हैं, अफसरों के घरों में जो काम करते हैं जिनका अपना आजीवन कोई इस टाईप के साधन नहीं हैं, कोई नौकरियाँ नहीं हैं और आर्थिक रूप से वो काफी कमजोर लोग हैं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की लिस्ट में वो लोग शामिल हैं। संस्कृति स्कूल में जो गरीबी रेखा से अधिकतर दाखिले जो किए जाते हैं, वो भारी मात्रा में फर्जीवाड़े से किए जाते हैं। उन दाखिलों में संजय कैंप का पता देकर दाखिला कराया जाता है। उसमें तत्काल रूप से एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। संस्कृति स्कूल के प्रधानाचार्य की मिली भगत से और इसके आसपास जो फर्जीवाड़ा हुआ है, ये गौरव गोयल नाम का व्यक्ति है जो जवाहर नगर में रहता है और काफी करोड़पति है जिसका जो है ना आज के अखबारों में जो है ना, पेपरों में जो है, मुख्य पेज के ऊपर दिया है। सभी पेपरों ने और कल से न्यूज के अंदर भी चला है। इसमें जो है, इन्होंने वहाँ संजय कैंप का जो है ना, एड्रेस देते हुए और जो गरीबी रेखा के अंतर्गत वहाँ संस्कृति स्कूल में जो प्रधानाचार्य और जो वहाँ का सिस्टम है, जो स्कूल को रन करते हैं, उनसे मिलके ये काम किया।

जो संजय कैंप के स्थायी रूप से निवासी अपने बच्चों का वहाँ पे दाखिला कराने की कोशिश करते हैं, आवेदन करते हैं और जो वहाँ के लोग जो दाखिले की कोशिश करते हैं, किसी का भी दाखिला वहाँ पे नहीं होता है। ये मैं लगातार कई... लगभग चार साल से मैं इसको देख रहा हूँ और प्रधानाचार्य जी की मिली भगत से वहाँ पे जो ड्राईवर और दूर–दूर से जो लोग आते हैं, उनके इस टाइप के सर्टिफिकेट बनाके वहाँ दाखिले कर दिये जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से संस्कृति स्कूल के प्रधानाचार्य के जो है ना शातिर दिमाग और फर्जीवाड़े के पीछे उसका हाथ है। अगर कैंप का कोई किसी बच्चे का दाखिला हो भी जाता है, लिस्ट में आ भी जाता है तो उसका शोषण किया जाता है। बार–बार विधान सभा में भी क्वेश्चन उठते रहते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है।

उसके साथ में यहाँ दिल्ली पुलिस के ऊपर भी जो है ना, इसका प्रश्नचिन्ह उठता है कि जब हमारी सरकार में जब आम आदमी पार्टी आई तो हमने यहाँ से डायरेक्शन दी थी और पूरे जितने भी ये गरीबी रेखा से नीचे के दाखिले हुए, इनकी जाँच के लिए आदेश दिया था और दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्राँच है, वो लगातार इसकी जाँच भी कर रही है। और जाँच कर रही है तो जो सबसे नियरेस्ट स्कूल है, उस स्कूल का फर्जीवाड़ा अभी चार साल बाद में जो सामने आया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो इस फर्जीवाड़े में जो व्यक्ति शामिल हैं और खासकर संस्कृति स्कूल का जो मामला है, इसकी पूरी जाँच जो है ना एक यहाँ पर कमेटी बनाके आप अपने नेतृत्व में इस पूरे मामले की जाँच करवाइएगा, काफी गहनता से। क्योंकि जो भी अधिकारी या कोई जाँच का जो अधिकारी जायेगा, उसमें लगभग आईएएस ऑफिसर की वाइफ है, जो वो उस स्कूल को रन कर

रही है और जो पूरा आईएएस अफसर है, वो उस स्कूल को रन कर रही है। तो जो जाँच अधिकारी है, उसको कहीं न कहीं वो वहाँ पर प्रभावित कर लेते हैं और वो अपना काम सही से नहीं कर पाता है। तो यहाँ अगर विधान सभा में इस मामले की जाँच होगी तो जो आसपास झुग्गी बस्ती में संजय कैंप, विवेकानंद कैंप में जो गरीब लोग रह रहे हैं, उनके बच्चों को भी स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा और पूरे मामले का उसका पता चलेगा।

दूसरी तरफ जो वहाँ पे संस्कृति स्कूल के अंदर जो प्रधानाचार्य है, उसके ऊपर भी जो है ना, इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इसको जो है ना जाँच में शामिल करियेगा ताकि झुग्गी वालों के गरीब बच्चों को दिल्ली के अंदर न्याय मिल सके।

दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। इस चीज को मजबूत करने के लिए मेरी विधान सभा के अंदर कोई भी जो राज्य प्रतिभा, जो स्कूल खोले गये हैं, वो नहीं हैं। मेरे वहाँ सीबी नारायणा गाँव के अंदर लगभग 16 एकड़ जमीन है और स्कूल के नाम पे वहाँ पहले स्कूल पास भी हो रखा है। चीफ सेक्रेटरी साहब के माध्यम से तो एक वहाँ पे प्रतिभा स्कूल भी राज्य सरकार द्वारा खोला जाये ताकि इस प्रकार के जो हैं, बच्चों को वहाँ पे मौका मिले और मैं पूरजोर जो है ना इस सदन के माध्यम से बिल्कुल आपसे निवेदन करता हूँ कि इसकी आप एक कमेटी बनाके और इसकी पूरी की पूरी जाँच करवाइएगा,

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः नरेश बाल्यान। नहीं आये हैं। नरेश यादव जी।

श्री नरेश यादवः धन्यवाद, अध्यक्ष जी जो आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, महरौली विधान सभा एक ऐतिहासिक विधान सभा है जहाँ पर कुतुबमीनार है और विदेशों से यहाँ पर्यटक कुतुबमीनार को देखने आते हैं और काफी एएसआई के मान्यूमेंटस भी हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से महरौली शहर के अंदर जो पानी की एक जो स्थिति बनी हुई है, वो काफी भयानक है, उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यही मुद्दा अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी सदन में उठाया है लेकिन अभी तक लगभग दो साल हो गए, उसमें कुछ बदलाव नहीं आया।

अध्यक्ष जी, महरौली में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें कि चार यूजीआर बनने हैं और अभी तीन साल के अंदर मैं ये कह सकता हूँ ग्रांउड पर 10 परसेंट भी काम नहीं हुआ। तो कैसे हम पाँच साल में वहाँ पानी दे पाएंगे? आज वहाँ पर जितने भी अंदर मकान हैं, पतली–पतली गलियाँ हैं, तंग हैं काफी। टैंकर से पानी जा नहीं सकता तो वहाँ पर लोगों को सात दिन और उससे ज्यादा दिनों में पानी मिलता है, काफी एरिया ऐसा है।

तो अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूँगा हमारे माननीय मंत्री जी से, सीएम साहब से और वॉयस चेयरमेन साहब से कि इसका संज्ञान लेके और इसमें तुरंत कोई न कोई ऐसा कोई एक कमेटी बैठा के जल्दी काम कराया जाए क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा तरीका नहीं है पानी देने का।

इसके अलावा अध्यक्ष जी, कुसुमपुर पहाड़ी मेरा वहाँ क्षेत्र है। वहाँ पर हम टैंकर से सप्लाई देते हैं लेकिन टैंकर की सप्लाई से, कुसुमपुर पहाड़ी जिस तरह से फैला हुआ है, लोग वहाँ टैंकर से अपने कैन में पानी भरते

हैं और साइकिल पे महिलाएं वो पानी को ढोती हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है एक बार कि किस तरह से एक महिला 2–2 कैन उठाके साइकिल पे ले जा सकती है, बहुत डिफिकल्ट है। अध्यक्ष जी, वहाँ पर भी उन लोगों की डिमांड है कि एक पाइप लाइन डाल के और उनके घर के आसपास पानी पाइप लाइन से और टैब से दिया जाए। तो मैं आपके माध्यम से इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी और वॉयस चेयरमेन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पाइप लाइन का एक प्रोजैक्ट बनाया जाए।

अध्यक्ष जी, तीसरा मेरा सबसे जो पानी की दिक्कत है, वो रजोकरी गाँव में है, रजोकरी गाँव में अध्यक्ष जी एक यूजीआर बनना है, जो काफी दिनों से लंबित है। लेकिन उस पर भी कोई ज्यादा खास प्रोग्रेस नहीं हुई। ये यूजीआर, द्वारका से एक पानी आना है बिजवासन और कापसहेड़ा होते हुए कजोकरी आना है तो वो यूजीआर का भी काम और वो पाइप लाइन जो बिजवासन से आनी है, कापसहेड़ा होते हुए, उसमें भी कोई खास प्रोग्रेस है नहीं और अध्यक्ष जी, इससे बड़ी दिक्कत है वहाँ पर उस क्षेत्र में।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई एक सेकण्ड, दो मिनट हो गया कर्नल जी, नरेश जी को पूरा कर लेने दीजिए।

श्री नरेश यादवः मैं भी सेकण्ड कर रहा हूँ क्योंकि कापसहेड़ा मेरा गाँव है अध्यक्ष जी और गाँव में जब भी जाता हूँ तो पानी की बहुत विकट समस्या है, जो कर्नल साहब ने कहा, वहाँ यूजीआर... वहाँ गाँव वालों की वो भी डिमांड है, अगर ये लाइन जो द्वारका से बिजवासन, कापसहेड़ा होते हुए रजोकरी में जो यूजीआर बनेगा तो इसमें बिजवासन गाँव, कापसहेड़ा गाँव और रजोकरी, इनका सबका भला होगा और अध्यक्ष जी, यहाँ पर बहुत

ज्यादा पानी की समस्याएं हैं, मतलब लोग ये समझिए कि वहाँ पर अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से... इस एरिया से शिफ्ट हो रहे हैं, लोगों की वो शादियों वाली बात यहाँ पर चली थी, सैलरी बढ़ाने के लिए... लेकिन मैं जाता हूँ जब लेडीज से मिलता हूँ तो वो कहती हैं कि हमने अपने घरों में बता दिया कि इस रजोकरी गाँव में आप शादी मत करिये, यहाँ पानी की दिक्कत है।

तो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर... क्योंकि गाँव में लेडीज अब... कितने सालों से पुराना गाँव है और पानी की समस्या आज तक खत्म नहीं हुई तो इसपे जरूर संज्ञान लेके और जल्दी से जल्दी वहाँ पर यूजीआर और ये पाइप लाइन का काम जल्दी से जल्दी कराया जाए, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, श्री एस के बग्गा जी। एक सेकण्ड बग्गा जी।

श्री दिनेश मोहनियाः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इसमें जानकारी के लिए बता दूँ कि जो यूजीआर की बात जो आप कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बिजवासन में बन रहा है और चार गाँव जिसमें कापसहेड़ा, समालखा, साहलापुर और बिजवासन चारों को उससे ही पानी मिलना है। तो अलग से कोई यूजीआर आवश्यकता नहीं है। वो चारों गाँवों के लिए वो यूजीआर शफिशिएंट है और वो उसका जल्दी वर्क ऑर्डर होने वाला है। नहीं–नहीं जब उसकी कैपिसीटी पूरी तरह से नाप ली गई है और चारों गाँवों के लिए किया गया है, उसकी कैपिसिटी ऐडिक्वेट है जो कि चारों गाँवों के लिए पानी शफिशिएंट रहेगा। उसी तरह से उसको प्लान किया गया है और उसके लिए ऑलरेडी बोर्ड में इसको अप्रूवल दे दी गई है। 95 करोड़ रुपए की इसको अप्रूवल दी गई है।

श्री नरेश यादवः रजोकरी में तो यूजीआर अलग से बन रहा है ना?

श्री दिनेश मोहनियाः वो अलग प्रपोजल है। ये जो मैंने बताया, ये चार गाँवों के लिए है जिसमें बिजवासन, कापसहेड़ा, समालका और साहलापुर, ये चार गाँव के लिए अलग से यूजीआर है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब इसपे अलग से डिस्कशन नहीं, जवाब दे दिया है, बैठिए प्लीज। भई अलका जी देखिए।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, मेरा हाथ जोड़के निवेदन है, कूचा महाजनी में भयानक आग है, सब शॉर्टसर्किट की वजह से हो रहा है। अध्यक्ष जी, लाखों लोगों की जिंदगियाँ रोजाना खतरे में हैं। मुझे अभी मैसेज आया, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करती हूँ, कृपया इसे गम्भीरता से आप लेने का बात करिए। क्योंकि 280 में मेरा मौका नहीं लग रहा, बहुत समय से। तीन बजे से पहले आपको समाप्त करना है, लेकिन हाथ जोड़के निवेदन है इस समय कूचा महाजनी आग में है। लाखों लोगों की जिंदगी इस समय भी खतरे में है। दो दिन पहले बाग दीवार में आग लगी थी और बहुत बड़ा समझौता हम लोगों की जिंदगियों के साथ कर रहे हैं अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बग्गा जी।

श्री एस के बग्गाः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 280 में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान चाचा नेहरू हॉस्पिटल, गीता कालोनी को एक एडिशनल जगह डीडीए से एलॉटमेंट की तरफ दिलाना चाहता हूँ। चाचा नेहरू हॉस्पिटल के सामने पैट्रोल पंप के पीछे एक जगह चाचा नेहरू हॉस्पिटल को डीडीए से अलोटमेंट दी गई जिसकी पेमेंट भी एक वर्ष से ज्यादा हो गया किए हुए, वहाँ पर ईडीएमसी ने कार पार्किंग के लिए जगह ठेकेदार को किराए पर दे रखी है। कई बार ईडीएमसी से, कमिश्नर से, डीसी से, डीसी पुलिस को भी कहने पर उस जगह का कब्जा नहीं मिल रहा। अस्पताल की सख्त जरूरत है। ईडीएमसी क्या खेल खेल रही है तथा दिल्ली सरकार को तंग कर रही है, इससे बच्चों के अस्पताल बनाने में दिक्कत आ रही है।

अध्यक्ष महोदय, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ईडीएमसी से जगह खाली करवाएं ताकि वहाँ पर बच्चों के लिए हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू किया जाए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषिः अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद जो आपने 280 में मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, आज मैं आपका ध्यान ऐसी जगह ले जाना चाहता हूँ जो आज इससे दिल्ली क्या, पूरा हिन्दुस्तान परेशान है; यह है मिलावट। अध्यक्ष जी, सफेद सोना जिसको हम लोग कहते थे, आज वो सफेद सोना नहीं रह के वो जहर बन गया है। अमृततुल्य दूध जो आज जहर के रूप में चारों तरफ बिक रहा है। अध्यक्ष जी, दूध से बने हुए उत्पाद जैसे खोया, पनीर और हलवाइयों की दुकान में बहुत सारी मिठाइयाँ, ये सब जहर के रूप में बिक रही हैं। हमारी सरकार में, हमारे मंत्री जी बैठे हैं सत्येन्द्र जैन

जी, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत पैसा खर्च किया और बहुत बढ़िया उसको बनाने की कोशिश की है लेकिन अध्यक्ष जी, जब कोई बच्चा होने वाला होता है किसी माँ का, तो वो बेचारी जो दूध पीती है अपने बच्चे के लिए कि मैं ज्यादा अच्छा दूध पीऊँ ताकि उसकी हड्डियाँ मजबूत हों, उसमें बुद्धि ज्यादा हो लेकिन वो नहीं जानती कि वो जो दूध पी रही है, वो दूध नहीं है, वो जहर है। वो जहर उसके शरीर में जा रहा है। वो अपने बच्चे को दूध नहीं दे रही, वो अमृत नहीं दे रही, वो जहर दे रही है। आज हम अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, हमें तो लगता है दूध बड़ी कंपनी का है और इसके अंदर मिलावट नहीं होगी, अमूल जैसी कंपनी के दूध में मिलावट पकड़ी गई। अध्यक्ष जी, आप अगर कहीं पर अपने दूध वाले से कहें कि मुझे कल दो हजार लीटर दूध चाहिए तो वो कभी न नहीं करता। आप उसे कहिए, मुझे 10 हजार लीटर दूध चाहिए, वो कभी ना नहीं करता। आखिर ये दूध आता कहाँ से है? हमने सुना था कि एक हमारे देश के अंदर, एक बहुत पार्टी के एक नेता हैं, यंग हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि हम आलू की फैक्टरी लगाएंगे। सर, उन्होंने आलू की फैक्टरी तो नहीं लगाई लेकिन दूध की फैक्टरियाँ जगह–जगह लग गई हैं। बिना गाय के दूध का उत्पादन हो रहा है; यूरिया से, सर्फ से, डिटरजेंट डालके और जो गर्मियों के दिनों में दूध के उत्पादन पे रोक लगा दी जाती थी, जैसे खोया बाजार में नहीं मिलता था, पनीर नहीं मिलता था लेकिन कुछ सालों से देख रहे हैं कि रोक नहीं लगाई जाती और दूध की और दूध के उत्पादनों की भरपूर मात्रा पूरे शहर के अंदर बिकती है। आखिर ये आती कहाँ से है, सरकारें इस पर रोक क्यों नहीं लगाती? स्थिति ये है कि हम लोग अब जो पनीर भी खाते हैं, वो पनीर भी चाइना से आ रहा है। चाइना से एक दाने के रूप में, एक पाउडर आता है जिसको ये लोग पानी में भीगो देते हैं, उसके बाद जब उसको छानते हैं तो वो पनीर

बनके तैयार हो जाता है। ये सिंथेटिक पनीर है, ये सिंथेटिक पनीर जब शरीर के अंदर जाएगा तो इन्सान की किडनी, इन्सान का लीवर सारा बर्बाद कर देता है। आज देखो, हमारे मंत्री जी बता सकते हैं कि आज कितने किडनी के मरीज हैं, रोज बढ़ते चले जा रहे हैं, डायलिसिस की इन्होंने बहुत सुविधाएं करी हैं लेकिन डायलेसिस के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मेन कारण दूध है। दूध में यूरिया से जो उत्पादन दूध का हो रहा है, ये शरीर के किडनी पे इफैक्ट डालता है, ये शरीर के लीवर पर इफैक्ट डालता है, पेनक्रियाज पे इफैक्ट डालता है जिसके कारण ये बीमारियाँ बढ़ती जा रही है।

अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर नाराजगी दर्शायी थी और सभी सरकारों को निर्देश दिया था कि आप कड़े से कड़े कानून बनाएं, इस मिलावट को रोकने के लिए लेकिन सभी सरकारें इसमें निष्क्रिय रही। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी विधान सभा में एक ऐसा कड़ा कानून पास करें ताकि मिलावट को रोका जा सके। अगर हम मिलावट को रोकने में असमर्थ रहे तो आने वाले समय में जो हम स्वास्थ्य की सेवा में जितना भी मर्जी काम कर लें, हमारे देश के अंदर, हमारी दिल्ली के अंदर मरीजों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी ये विधान सभा इस मिलावट को रोकने के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए कोई कानून पास करे। जिसको हम लागू करें और उसके माध्यम से हम इसको बंद कराए।

बहुत–बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का।

श्री विशेष रविः इस समय दिल्ली के अंदर हर चीज में मिलावट है सर। सर, मिलावट को क्रिमिनल ऑफेंस मानना चाहिए ताकि इसको रोका जा सके।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माइक किसी का खुला हुआ है तो खुलवा देता हूँ। किसी का माइक नहीं खुला हुआ है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अलका जी, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य बैठें। बैठिए। भई विशेष जी, ये 280 चल रहा है। अब मैं करूँगा क्या, बताइए? ऐसे तो कुछ नहीं कर सकता मैं। अब उन्होंने समस्या रखी है। संज्ञान में आ गई है बात।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः केन्द्र से कौन पास करवाएगा? विशेष जी, बैठिए। माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी, बैठिए प्लीज। भई माननीय सदस्य जरा... माननीय मंत्री जी खड़े हैं, ध्यान दे लीजिए। प्लीज बैठिए, प्लीज।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि मिलावट जो है, बहुत बड़ा अभिशाप है और ये अगर पर्सनल मुद्दा भी है तो सभी का है। अगर कोई पर्सनल मुद्दा एक आदमी का नहीं होता, सभी लोगों का होता है। वो सबका हो जाता है। पर्सनल नहीं कह सकते उसको। इसके लिए ...

माननीय अध्यक्षः अलका जी, बीच में नो कमेंट्स प्लीज।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः इसके लिए...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं जैन साहब को बैठा दूँ। ऋतुराज जी, जैन साहब को बैठा दूँ? भई नरेश जी, भई मैं आग्रह कर रहा हूँ, माननीय मंत्री जी खड़े हैं और हमारी टोका–टिप्पणी बंद नहीं होती। माननीय मंत्री जी।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये जो खाने के अंदर मिलावट है, ये एक अभिशाप से कम नहीं है। अभी जैसे आदरणीय राजेश ऋषि जी ने बताया कि सिंथेटिक दूध और सिंथेटिक पनीर या दूध से बनी हुई चीजें जो सिंथेटिक हैं... देखिए पिछले साल में काफी सारे सेंपल लिए गए थे। पीछे कुछ दिन पहले मैंने बताया भी था, उनको चैक भी किया गया था। मैंने अभी नोट बना लिया है। आज ही मैं अपने डिपार्टमेंट को आदेश दे रहा हूँ कि रोज डेली बेसिज के ऊपर दूध, दूध से बनी हुई सभी चीजों के ऊपर छापेमारी की जाए और मुझे रिपोर्ट दी जाए। मैं सभी को बताऊँगा इसके बारे में। जहाँ तक अभी डिपार्टमेंट में दिक्कत थी कि स्टाफ की कमी थी। काफी पीछे पड़कर 12 इंस्पेक्टर वो किए गए हैं। मुझे लगता है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया होगा या करने वाले हैं। उनकी ट्रेनिंग चल रही है या. तो जैसे आ गए हैं वो। नहीं भी आए तो जो पुराना स्टाफ है, उससे भी हम पूरी–पूरी जाँच कराएंगे। दूसरा सख्त सजा की बात जहाँ तक है। मैं माननीय सदस्यों से कहूँगा कि वो फूड अडल्ट्रेशन का जो एक्जिसिटिंग कानून है, उसको पढ़ लें आपस में मिलकर, कुछ लोग मिलकर बना लें उसको कि क्या–क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और मैं उनके साथ हूँ। सरकार उस बिल को इम्प्रूव करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम यहाँ पर पास करके भेजेंगे। केन्द्र करे या न करे। केन्द्र का अभी तक...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः दो मिनट। भई विशेष जी माननीय मंत्री जी को बोल तो लेने दीजिए।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः आप लोग आपस में बैठकर... देखिए, काफी लोग... इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार कमेटी बनाए। काम तो सरकार का है, बिल भी सरकार को बनाना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि सजेशन आप लेकर आ जाइएगा कि पहले वाले बिल में ये किया हुआ है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे चेंज कर दिया जाए या ये सजा कम है, इसको बढ़ा दिया जाए। परंतु मेरा अपना ये मानना है कि इस देश के अंदर कानूनों की इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। उनकी इंप्लीमेंटेशन की दिक्कत है, प्रोसिजर की दिक्कत है। अगर किसी का सेंपल पकड़ा भी जाता है तो वो उसको सजा मिलने में दस साल लगते हैं या पाँच साल लगते हैं या आठ साल लगते हैं। वो ज्यादा है। अगर लोगों को सर्टेनिटी हो जाए कि अगर आपने गलती की और सजा मिलेगी ही मिलेगी। 100 लोगों ने गलती की और 100 लोगों को दो साल की सजा मिल जाए वर्सेज 100 लोगों ने गलती करी और उसमें से एक आदमी को सजा मिले और वो 20 साल के बाद मिले तो वो कहता है, लोग कहते रहते हैं फंसेंगे तो देखेंगे। 100 में से एक फंसेगा। तो मुझे लगता है कि हमारे को प्रोसिजरल उसके अंदर प्रोसिजरल सजेशन भी आप दीजिएगा कि क्या–क्या प्रोसिजरल चेंजेज करने चाहिए और वो प्रैक्टिकल अगर होंगे तो हम जरूर इस विधान सभा से पास करके केन्द्र सरकार को भेजेंगे और केन्द्र सरकार के लिए भी ये संभव नहीं होगा कि इतने लोकहित की चीजों को रोककर रखा जाए। तो हम इसको जरूर करेंगे।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ने जो अभी कहा है, अगर माननीय मंत्री जी सहमत है तो सदन के पांच विधायकों की कमेटी बना दें। उस

कानून को पढ़कर के सारा उसमें जो भी अमेंडमेंट करने हैं... हाँ उसमें वो आपको सुझाव दे दें। ठीक है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अलका जी, अभी एक कमेटी का पाँच सदस्यों की। वो माननीय मंत्री जी ने कहा है। वो प्रोसिजर इतना लंबा चौड़ा है कि वो होता ही नहीं। माननीय मंत्री जी ने... बैठिए प्लीज नितिन जी, आप अपनी सीट पर नहीं हैं।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सदन को एक बारी जरा बताना चाहूँगा कि जो मिलावट है, वो दो तरह की मानी जाती है, तीन या चार तरह की बल्कि एक तो होता है कि उसकी लेबलिंग जैसे पैक्ड फूड आते हैं कि उसमें लिखा गया 100 ग्राम होना चाहिए और 100 ग्राम की जगह वो 90 ग्राम निकले, तो लेबलिंग की गलती होती है। उसमें नाम लिखने में कोई गलती की गई है या उसके कंटेंट में कोई गलती लिखी गई है, वो कहते हैं लेबलिंग। अंदर से क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी में कोई इश्यू नहीं है। ऐसी भी चीज होती है, उनको भी कहा जाता है कि गड़बड़ है। दूसरी होती है कि भई, उसकी क्वांटिटी कम ज्यादा निकल जाए। तीसरा होता है, उसमें जैसे दूध है कि उसके अंदर मान लो मिनिमम तीन परसेंट प्रोटीन होना चाहिए या दो परसेंट उसके अंदर फैट होना चाहिए, मिनिमम जो है। उसमें पता लगा कि उसमें पानी मिला दिया तो उसकी वो सब चीजें कम हो जायेंगी और तीसरी जो खतरनाक होती है जिसके बारे में अभी नितिन जी बात कर रहे हैं, वो है डेंजरस। जो उसके अंदर जैसे मिल्क बना दिया...

माननीय अध्यक्षः केमिकल।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः इससे स्वास्थ्य को खतरा है बहुत ज्यादा और तीनों कैटेगरियों में, ये कहूँगा कि आप उसको ध्यान में रखते हुए जो सजेशन दें कि जो सबसे खतरनाक है, जिसके खाने से शरीर को नुकसान पहुँचता है। उसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, जो बाकी चीजे हैं, उस पे उन्हें पेनेल्टी करी जा सके या कम सजा की जा सके और मैं कहूँगा कि जो कमेटी बने तो पूरे थॉरोली जाए। ये राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, केन्द्र भी बना सकती है। तो केन्द्र के कानून में जो–जो चेंजेज की जरूरत है या हमारे कानून में जो चेंजेज की जरूरत है, वो हम उसको सजेस्ट करें, ठीक से करें।

माननीय अध्यक्षः इसमें हमारी वैसे तो डिपार्टमेंटल स्टेंडिंग कमेटी ऑन हैल्थ बनी हुई है। उसमें अगर मेम्बर्स भी बढ़ाने पड़े तो बढ़ा सकते हैं। मुझे मालूम नहीं है, अभी सदस्य कौन–कौन हैं। इसको उसको भी रेफर किया जा सकता है अगर माननीय सदन सहमत हैं, माननीय सदस्य सहमत हैं? नई कमेटी... मान लीजिए, हम पाँच लोग तय कर देते हैं। हैल्थ कमेटी के साथ उनको जोड़ सकते हैं, वो ठीक रहेगा। एक तो, मैं मदन लाल जी का नाम मैं सुझा रहा हूँ वकील होने के नाते से कि वो इसमें थोड़ा एक्सपर्ट हैं कानून के। एक सिरसा जी, आप बैठना चाहेंगे इस कमेटी में? तीन माननीय सदस्य जो अपने आपको कानून के दायरे में इन सब चीजों को अच्छे ढंग से समझकर इस कानून में परिवर्तन के लिए सजेशन दे सकते हैं। वो तीन सदस्य स्वयं हाथ खड़ा कर लें। नितिन जी, अनिल बाजपेयी जी, अलका जी, ठीक हो गया, बग्गा जी भी हो सकते हैं। चलिए अब हो गया।

इसमें मदन जी, आदर्श जी, सिरसा जी, श्री बग्गा जी और किसका नाम था... अनिल बाजपेयी जी। आदर्श जी का लिख लिया और अलका जी

और नितिन जी। मैं सभी को ले लेता हूँ। एक दो, सात सदस्य हो गए प्लस हमारी कमेटी ऑन स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ। सभी माननीय सदस्य सहमत हैं इससे (सदस्यों द्वारा सहमति देने पर) बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पवन कुमार शर्मा जी।

श्री पवन कुमार शर्माः मैंने सोचा सर, नाम लिख रहे हैं उसमें...

धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 के तहत बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, अभी कोई करीब एक महीना पहले मजलिस पार्क मैट्रो स्टेशन, पिंक मैट्रो लाइन का उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया और वहाँ से आदर्श नगर मैट्रो स्टेशन तक और जहांगीर पुरी मैट्रो स्टेशन तक जो है आने जाने में लोगों को दिक्कत है क्योंकि वहाँ पे कोई भी मैट्रो फीडर बस या कोई वाहन नहीं है और उसमें बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में जैसे पेशेंट आते हैं या उनके अटेंडेंट आते हैं, जाते हैं तो वहाँ दिक्कत होती है। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि वहाँ पे एक मैट्रो फीडर बस दोनों मैट्रो स्टेशनों तक मजलिस पार्क मैट्रो स्टेशन से चलवाई जाए। उससे अध्यक्ष महोदय, एक और समस्या का भी निदान हो सकता है क्योंकि वहाँ पे जो है, रोड पे एन्क्रोचमेंट बहुत है और एन्क्रोचमेंट से एमसीडी को काफी मंथली जाती है। रोड पे अवैध पार्किंग बना रखी हैं लोगों ने तो उससे भी जो है, निदान मिलेगा। जिससे थोड़े बाहरी वाहन उसपे चलेंगे रोड पे तो उससे जो है, निदान मिलेगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

माननीय लोक निर्माण मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): अध्यक्ष महोदय, ये सदन के अन्दर अक्सर सड़कों के ऊपर एन्क्रोचमेंट और इससे रिलेटिड बहुत

सारे इश्यूज सभी माननीय सदस्य उठाते रहते हैं। ये बहुत ही सीरियस मैटर हो चुका है और डिविजन ऑफ पॉवर इस तरह से है कि जो पीडब्ल्यूडी के अण्डर रोड्स आती हैं जिसके ऊपर हर साल पीडब्ल्यूडी 500–700 करोड़ रुपये मैंन्टेनेंस के ऊपर, फ्लाई ओवर्स बनाने में, बड़ी बड़ी योजनाओं में 500–700, हजार करोड़ रुपये एक्सट्रा साल के 1500–2000 रुपये करोड़ रुपये खर्च करता है। उसके ऊपर किसी भी तरह के एन्क्रोचमेंट हटाने की पॉवर जो है, वो एमसीडी के पास है और एमसीडी का, जैसे कि अभी माननीय सदस्य ने बताया कि उनको क्या है कि सारी पॉवर उनके पास है, रेस्पॉन्सिबिल्टी कोई नहीं है। वो किसी को भी वहाँ बैठा देते हैं, किसी को भी कब्जा करा देते हैं दुकानदार। दिल्ली के अन्दर ऐसी हालत है; आप रात के टाइम 12 बजे जाइएगा या एक बजे जाइएगा, किसी भी मार्किट में चले जाइएगा। सड़के इतनी चौड़ी नजर आती हैं कि यार! सड़के तो बहुत चौड़ी हैं और उसकी मार्किट में दिन में जाइएगा सिंगल लेन इधर से चलती है, सिंगल लेन इधर से चलती है। जबकि सड़क की चौड़ाई है 200 फुट। अब 200 फुट की सड़के में 20 फुट सड़क चल रही होती है बाकी सब पे एन्क्रोचमेंट हो जाती है। दुकान खाली पड़ी होती है। दुकान का सारा सामान सड़के के बाहर रखा होता है। तो मेरा ये सजेशन है सदन के सामने कि अगर आपको ठीक लगे, सारे सदन को ठीक लगे। जैसे कि अभी ये कमेटी बनाई गई है फूड एडल्ट्रेशन के लिए। ऐसी ही एक कमेटी बनाई जाए दिल्ली के अन्दर जो जितने भी मैजर रोड्स हैं, आर्टरियल रोड्स जिसको कहा जाता है जो कि पीडब्ल्यूडी के पास है, आर्टरियल रोड हैं सात फीट से ऊपर। आर्टरी जैसे हमारे शरीर के अन्दर तीन आर्टरीज हैं कि जो ब्लड है आपके हॉर्ट से निकलता है, आर्टरीज से होता हुआ बाकी वेंस में पहुंचता है। अगर सारी की सारी आर्टरियल रोड इस तरह

से कब्जा होती गई। कब्जा होने के साथ साथ चॉक होती चली गई तो दिल्ली के अन्दर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं चल पाएगा। रोज रोज रोज सभी माननीय सदस्य मुझसे अलग से भी मिलते हैं। अभी मैंने पीडब्ल्यूडी की रिव्यू मीटिंग की थी, सभी सदस्यों को एक एक करके बुलाया था। लगभग 40–50 सदस्यों से मीटिंग हुई थी। तब आप सदस्य थे नहीं शायद बाहर किया हुआ था। चलो 40 एक लोगों को बुलाया था... अरे! कोई बात नहीं बुला लेंगे उसको भी अन्दर। अभी बता रहा हूँ। तो वहाँ पर काम के अलावा 40 में से कम से कम 30 या 35 सदस्य लिखकर लाए थे कि सबसे ज्यादा दुखी एन्क्रोचमेंट की वजह से हैं। लिखित में उनकी सबके वो था और एक इंप्रेशन ऐसा दिया जा रहा है कि जैसे इस असेम्बली के सदस्य एन्क्रोचमेंट कराना चाहते हैं। मैं खुद इसका भुगत भोगी हूँ कि सारी सड़कों पे कब्जा होता जा रहा है। अगर आप चाहें तो इसके अन्दर एक कमेटी बनाएं जो कि एक लॉ सजेस्ट करे बैठके, बाकी राज्यों के लॉ बने हुए हैं। सभी राज्यों ने हाई मेनटेन एक्ट बनाए हुए हैं अपने यहाँ पर। किसी भी तरह के एन्क्रोचमेंट, किसी तरह की सारी की सारी पॉवर उस एजेंसी को दी जाती है जो एजेंसी उसको मेन्टेन है जो उसके ऊपर काम करती है। ऐसे नहीं चल सकता कि जी रोड तो एमसीडी की, राजेश ऋषि जी एक दिन मेरे पास आ गए, कहते हैं वहाँ फुटपाथ के ऊपर टॉयलेट बना दी, एमसीडी ने फुटपाथ के ऊपर। अरे! चलता हुआ फुटपाथ है, उसके ऊपर टॉयलेट बना दिया तुमने, आदमी कहाँ से चलेगा? कहते हैं जी, हाँ देखिए, इधर भी देखिए।

... (व्यवधान)

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः एक बार सुन लीजिए। तो उसके अन्दर क्या है कि सारी की सारी जिम्मेवारी उस एजेंसी की होनी चाहिए जो कि

सड़क को मेन्टेन करता है, सड़क के ऊपर पैसा खर्च करता है, इसके लिए एक कानून बनाया जाए। इस असेम्बली से सजेस्ट करके ड्राफ्ट बनाके मुझे दिया जाए। सरकार उस कानून को ले के आएगी और दिल्ली के अन्दर इस मेनेस को क्लीयर करने की हम पूरी पूरी भरसक कोशिश करेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई एक सेकण्ड, इसपे हम चर्चा लेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई माननीय मंत्री जी ने इतना बढ़िया सजेशन दिया है। उस सजेशन पर हम थोड़ा चर्चा कर लें। ये मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी ने सदन में स्वीकार किया है कि 60 फुटा रोड या 60 फुट से ऊपर रोड या एमसीडी की रोड उनपे एन्क्रोचमेंट इतना है और उसको हम हटवा नहीं पाते और उसके कई कारण हैं जिनका माननीय मंत्री जी ने जिक्र भी किया। उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। इस पर भी एक कमेटी बना ली जाए। अभी हमारे है डिपार्टमेंटल रिलेटिड स्टेंडिंग कमेटी ऑन पब्लिक यूटिलिटीज एण्ड सिविक ऐमिनिटीज, इस पर ऑलरेडी एक कमेटी बनी हुई है। इसमें मैं चाह रहा हूँ इसको एक बार ठीक ढंग से इस विषय को ले लेते हैं इसके साथ। इसमें नौ सदस्यों की है, दो सदस्य और जोड़ रहे हैं इस सदन से आज।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः मेरा सजेशन ये है क्योंकि ये थोड़ा सा कानूनी मामला होगा, कम से कम तीन–चार वकील जरूर ले लें इसके अन्दर क्योंकि इसमें कानून ऐसा नहीं है, नया बनाना है। और राज्यों के देखने के और जो इस तरह से मान लिया गया ना, कि भई पॉवर सारी उनकी और पीडब्ल्यूडी वाले जाते हैं तो कहते हैं, जी... मैं खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री

हूँ। मैंने बुलाया कि इसको हटा दो। कहते हैं सर, वहाँ पर पुलिस का खड़ा होना जरूरी है। चाहे एक आदमी हो पर एमसीडी का खड़ा होना जरूरी है। मैंने कहा, भई, एमसीडी का क्या रोल है, ये बता दो जरा सा? कहते हैं, जी, हमारे पास कोई पॉवर नहीं है सामान को उठाने की। सामान को उठाकर रखने की कोई पॉवर नहीं है। एमसीडी वहाँ पर अगर आकर खड़ी हो जाती है, ये हटा दो, तब हम एक घण्टे में सब साफ... बुलडोजर लगा देंगे। अभी यहाँ पे हुई थी हमने... कहाँ गए वो? आपके यहाँ हटाया है ना? आपके यहाँ हटाया है मैंने।

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी मेरा आपसे निवेदन ये है मेरे यहाँ 60 फुटा रोड पे राइट ऑफ वे जो सड़क है, उसपे एन्क्रोचमेंट है पिछले साढ़े चार साल से। मैं लगातार उसमें लगा हुआ हूँ और पीडब्ल्यूडी की जो रोड है, उसके ऊपर एन्क्रोचमेंट है। लाखों लीटर रोजाना पेट्रोल और लाखों घण्टे लोगों के खराब होते हैं।

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी, विषय अब ये नहीं कि कहाँ कहाँ एन्क्रोचमेंट है।

श्री ओम प्रकाश शर्माः एन्क्रोचमेंट की बात है न जी।

माननीय अध्यक्षः नहीं विषय ये नहीं है, एन्क्रोचमेंट है।

श्री ओम प्रकाश शर्माः हटना चाहिए।

माननीय अध्यक्षः ये संविधान सदन स्वीकार कर रहा है।

श्री ओम प्रकाश शर्माः नहीं, बिल्कुल हटना चाहिए।

माननीय अध्यक्षः उसको हटाने का रास्ता क्या निकालना है, वो।

श्री ओम प्रकाश शर्माः नहीं, तो हमारा भी उसमें लिख लो न एक।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसका।

श्री ओम प्रकाश शर्माः साठ फुटा रोड विश्वास नगर हमारा भी लिख लो एक।

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, बताइए।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अभी मंत्री महोदय ने कहा बिल्कुल सही बात है। देखो, पहले हम जो... हमें तो पता नहीं आपके टाइम पे था। फॉयर ब्रिगेड भी थी दिल्ली सरकार के पास और भी डिपार्टमेंट थे, आहिस्ता आहिस्ता वो डिपार्टमेंट खत्म होते गए। दिल्ली के अन्दर अभी भी ये ऐसा कानून बनना बड़ा जरूरी है जिसकी रोड है, वो बिल्कुल गुड़ागर्दी एमसीडी की। उन्होंने अपने लूट का एक जरिया बना रखा है और इसकी भी लूट है उसके अन्दर और एमसीडी की भी लूट और हाथ खड़े करके लूट है। इतनी बड़ी लूट है, उनको लगता है कि न तो... जो इन्होंने कहा, न तो रेस्पॉन्सिबिल्टी हमारी, कोई न हमारा लेना देना, पैसे लेंगे। तो बात करेंगे, नहीं तो हम पूछेंगे नहीं। अध्यक्ष जी, मैं इस बात पे आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, जो मंत्री जी ने कहा, इसकी चाहे कमेटी बनाइये, ये पॉवर दिल्ली सरकार के पास आनी चाहिए। सामान उठाने की पॉवर हर सूरत में दिल्ली की एमसीडी की रोड को छोड़कर जितनी पीडल्ब्युडी की सड़के हैं, वो सारी की सारी दिल्ली सरकार के पास होनी चाहिए, एमसीडी के पास नहीं हो सकती पॉवर, ये गलत है। अगर इसका गलती कहीं यूज कम है हर जगह, हमें ठीक करना जरूरत है, मेरा ये कहना है, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः नहीं सिरसा जी, इसमें एक सेकण्ड अलका जी प्लीज, प्लीज, प्लीज, प्लीज। मैं एक बात कह दूँ, इसमें खाली पीडब्ल्युडी की रोड

और एमसीडी की रोड, इनमें दोनों में हम डिफरेंसियेट इस कारण तो हो गया कि 60 फुट का है या उससे छोटा है, लेकिन इन्क्रोचमैंट उन पर भी है, और उन पर भी है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नितिन जी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, बाकी सदन जैसा चाहेगा।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि देखियेगा कि अगर एमसीडी को ठीक करने बैठेंगे, सदन अगले दस साल में कुछ नहीं कर पायेगा। एमसीडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जिसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। इस सदन के अंदर एमसीडी के कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, उनके सामने कहता हूँ, एक भी नक्शा बिना पैसे के पास करा के दिखा दें।

श्री ओम प्रकाश शर्माः वो दे दो न हमको पैसे दो, जिनको काम कराने हैं।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः अरे सर जी! मैं कुछ और बात कह रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः अभी जिस विषय के लिए कमिश्नर बुलाये हुए हैं आज, वो विषय अभी शुरू होना है। इसको एक बार जरा चैप्टर को, जल्दी कंप्लीट कर लें।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इससे एमसीडी को बिल्कुल रखा जाये। मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि पीडब्ल्युडी मेरे पास है, फॉयर ब्रिगेड भी मेरे पास है। सड़क पे जाते हैं; मेरे रानी बाग में एक

बार आग लगी थी। फॉयर ब्रिगेड लारेंस रोड से रानी बाग तक जाने का रास्ता है मैक्सिमम में पाँच मिनट का, 25 मिनट ट्रैफिक जाम के अंदर फंसी रही। अगर वो 25 मिनट नहीं लगते, तो आराम से कहते वो पाँच मिनट में जाते और आग बुझ जाती और रोज हमारे पास दिल्ली के अंदर इतनी कॉल्स आती हैं, उसमें फिफ्टी परसेंट जगह ऐसा होता है। फिफ्टी परसेंट जगह ऐसा होता है जहाँ पे ट्रैफिक की एन्क्रोचमेंट की वजह से हमारी फॉयर ब्रिगेड नहीं पहुँच पाती। एंबुलेंस, एंबुलेंस तो छोटी सी होती है, उसको जगह जगह दिक्कत आती है। मुझे लगता है, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। पहले हमारे को आर्टरियल रोड, पीडब्ल्युडी रोड को सॉल्व करना पड़ेगा, एमसीडी की रोड को उसके बाद करते रहेंगे। अगर एमसीडी की रोड के चक्कर में फंस गये, तो हम फंसे रह जायेंगे। उसपे था जो पहले तक और इसके लिए अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है आपसे, मुझे लगता है कि इसके लिए आप कमेटी अभी बना दें।

माननीय अध्यक्षः इस पूरे सदन में इस बार बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः और मैं चाहूंगा, इस वाली कमेटी में विपक्ष के कम से कम दो आदमी लिए जायें।

माननीय अध्यक्षः चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अब इसमें चर्चा नहीं प्लीज मुझे... आगे बढ़े। नहीं, सही राम जी, मैं चर्चा अलाउ नहीं करूँगा। नहीं, दलाल जी, बैठिए प्लीज। सही राम जी, सारा बिजनेस रह जायेगा, आज आखिरी दिन है। नहीं, मैं कोई समय नहीं दे रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भाई सहीराम जी, बैठिए प्लीज। प्लीज बैठिए। ये कमेटी जो हमारी डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टेंडिंग कमेटी है पब्लिक यूटिलाइजेशन एंड सिविक कम्युनिटीज, इसमें माननीय मंत्री जी का जो सुझाव है कि पांच छः इसमें सदस्य वकील हों और कहा है, दो विपक्ष के सदस्य भी ले लिए जायें। इसमें मैं एक सुझाव और दूँ, एक सेकण्ड, एक सेकण्ड भाई, एक सेकण्ड जरा, मैं इसमें ये भी सुझाव दूँगा कि ये जो कमेटी ऑन एन्क्रोचमेंट ऑन पीडब्ल्युडी रोड्स, इस पर जो चर्चा करेगी, सुझाव देगी कानून के रूप में आप किसी वकील को भी जो एक्सपर्ट्स हैं, ये कमेटी उसमें ले सकेगी, उसके भी सुझाव उसमें ऐड कर लें वकील से, डिस्कस कर लें जो लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, उसमें ले सकेंगे। विपक्ष से दो नाम जगदीश जी और ओमप्रकाश जी रख दें। माननीय सदस्य सिरसा जी को रख दें। उसमें उस कमेटी में लिया नहीं, उस कमेटी में लिया हैं ना, एक में सिरसा जी को। नहीं, आप दो नाम आप दे दीजिए, किनको रखना है। वो करेंगे। ये कमेटी... अपने एमएलए इतने सक्षम हैं, वकीलों की राय ले लेंगे। एक मैं मदन लाल जी वकील अपने यहाँ, कोई और भी है क्या मदन जी के अलावा? हां।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः श्री मदन लाल जी, श्री सौरभ जी, नरेश जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जगदीश प्रधान जी, मदन लाल जी, सौरभ जी, नरेश जी। चलिए ये... अब दो मिनट रुकिए प्लीज। मैं नाम पढ़ रहा हूँ, जो हमारे डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी पब्लिक यूटिलिटिज एंव सिविक कम्युनिटीज इसके नौ सदस्य रहेंगे प्लस जगदीश प्रधान जी, मदन लाल जी, सौरभ जी,

नरेश जी, ओम प्रकाश शर्मा जी। कोई बात नहीं करेंगे। करेंगे और आयेंगे, बहुत आयेंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अभी इसमें डालूँगा ना। नौ सदस्य जो हैं, इसमें आयेगा, नाम आयेगा, बैठिए। आयेगा उसमें नाम आयेगा। अब देख लो आता है, नहीं आता है। भई, जल्दी से ये तीन पाँच हो गये हैं। ये 280 में अब बाकी के... भई देखिए सबका जरूरी है। सिरसा जी, मेरी प्रार्थना है; एमसीडी के कमिश्नर्स आए हुए हैं, उनको तीन बजे का मैंने समय दिया था। ओम प्रकाश जी, आधा घंटा आप लोगों ने उस वक्त खराब कर दिया। चलिए, आप जल्दी करिए। भई, एक ले लीजिए। सिरसा जी, मेरी प्रार्थना है। भई दो मिनट मानिए। माननीय सदस्य एक बार समझ लें। ओम प्रकाश जी एक मिनट। कमिश्नर्स तीनों एमसीडी के आये हुए हैं और दो बजे मेरे चैम्बर में आ गये थे, जो चर्चा के लिए उनको बुलाया है, वो विषय बहुत जरूरी है, उसमें हम करवा दें एक बार।

श्री ओम प्रकाश शर्माः वो पैसे लेने आये हैं, पैसे दे दो उनको।

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी, करिए। भई अब अलका जी देखिए। अलका जी, ये कॉमनसेंस... प्लीज। ठीक बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। ओम प्रकाश जी, आइए, जल्दी आइए, 280 पे आइये जल्दी से प्लीज।

श्री ओम प्रकाश शर्माः अरे! आप अपना काम तो कर लो पूरा जी।

माननीय अध्यक्षः अगर चर्चा करेंगे, सदन का समय ऐसा ही खराब हो रहा है।

श्री ओम प्रकाश शर्माः अरे यार! मुझे ये बोलना...

माननीय अध्यक्षः नहीं, आज समय नहीं दे पाऊँगा, प्लीज।

श्री ओम प्रकाश शर्माः नहीं, पैसे की बात नहीं करूँ किसी का अगर रूका।

माननीय अध्यक्षः अलका जी, अलका जी, प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये।

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका।

अभी मुझसे पहले सदन में खाद्य पदार्थों में मिलावट और एन्क्रोचमेंट पे बहस हुई, जिसमें पूरा सदन एक मत था। हमारे यहाँ पिछले तीन चार साल से जो एक बहुत बड़ा, एक हमारे यहाँ दिक्कत जो आ रही है, पानी की, अभी भी आपके सामने बातचीत हुई। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ जी, आपको दे रहा रहा हूँ। इसमें नाम, पता सब लिखा हुआ है और मैं केवल इसलिए दे रहा हूँ कि आप मेहरबानी करके इसकी जाँच करा लें और दिल्ली में यदि इस प्रकार का पीने का पानी लोगों को मिलेगा, आपने हर चीज पे कमेटी बना दी, लेकिन आपका तो जो डिपार्टमेंट है, इसको तो माननीय केजरीवाल जी देख रहे हैं। अब मैं अपना... मेरा कहना केवल इतना है कि जो दिल्ली के अंदर जो पीडब्ल्युडी का जो सड़कों में जो गाद है, गाद की वजह से जितने भी सीवर हैं, वो ऊपर हो गये हैं, सीवर ऊपर होने से सीवर और पानी का जो कनेक्शन मिलने से आज या तो पानी मिल नहीं रहा है और अगर मिल भी रहा है तो इस प्रकार का पानी मिल रहा है, जिसको पिया नहीं जा सकता, तो विश्वास नगर में पानी और सीवर की खस्ता हालत की ओर दिलाना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि विपक्ष का विधायक होने के नाते मेरे क्षेत्र से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पानी और सीवर की नई लाइनें डालने के सभी काम फंड के अभाव

में अटके हुए हैं। सार7 विधान सभा क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत है। जहाँ कहीं पानी आता भी है, तो वो सीवर के पानी से मिक्स होकर इस प्रकार का आता है। पानी की पाइप लाइनें पुरानी हो चुकी हैं। जगह जगह से गल गयी हैं, इसके कारण सीवर से रिसने वाला उसमें मिल जाता है। इसके कारण आंत्रशोध, हैजा, टायफायड और दूषित पानी से पैदा होने वाली बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। सीवर की लाइनें पुरानी हो चुकी हैं। दशकों से बदली नहीं गयी। जगह जगह सीवर की लाइनें बैठ गयी हैं, जिसके कारण सीवर का पानी गलियों और सड़कों पर रिसता है। मेरा आपसे कहना है कि खाद्य पदार्थ और दूसरी चीजों पे तो हम थोड़ा सा वो कर भी सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर तो आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता और अगर हमारा वाटर डिपार्टमेंट, इसके ऊपर भी आपको एक कमेटी बनानी चाहिए और कमेटी बना के विशेष रूप से पीने का पानी कम आ रहा है, उसको तो देखा जाये, लेकिन यहाँ इस प्रकार का कम से कम पानी आ रहा है, उसपे संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी तो यहाँ बैठें नहीं हैं, आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ अध्यक्ष जी, कि तंग राजनीति से ऊपर उठकर मेरे क्षेत्र के लाखों निवासियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की जाये तथा नयी पानी व सीवर की लाइनें डलवायीं जायें और जो पानी, जो गाद उसमें भरी हुई है, पीडब्ल्युडी में, उसको भी हटायी जाये। और ये जो पानी है वी.के.गुप्ता, एडवोकेट, टेलीफोन नं. इस पर लिखा हुआ है। विश्वास नगर, गली नं0 1, आप सक्षम हैं इस काम में कि आप किसी को भी जो इस डिपार्टमैण्ट का कोई भी अफसर है, इसको भेजें और इसको सही कराने का प्रयास करें, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ये ले लीजिए, लीजिए। दीजिए। भाई प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मेरे पास सिरसा जी। देखिए, वो सब विषय। आप दीजिए ना। वो लेने तो आया है भाई।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं सिरसा जी, फिर तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। मैं प्लीज देखिए मुझे एक बार। जिस चीज के लिए कमीशन... देखिए, सदन का समय बहुत... देखिए 3.10 हो गये। मैं सिरसा जी का 280 में, गिरीश सोनी जी का 280 में, श्री रामचन्द्र जी का 280 में है, सोमदत्त जी का ये चारों कृपया पढ़े हुए माने जाएं।

... (व्यवधान)

अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)

माननीय अध्यक्षः हाँ तो ये हो गया न, 3:10 हो गये समय। नहीं प्लीज, देखिए सिरसा जी अब नहीं। प्लीज मैं हाथ जोड़के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, अभी नही प्लीज। ये आइटम नं. दो में अभी बाद में लूँगा।

आईटम नं. तीन जो एमसीडी से रिलेटेड है शार्ट ड्यूरेशन डिस्कशन (रूल 55)। श्री सौरभ भारद्वाज जी, श्री विजेन्द्र गर्ग जी, श्री मदन लाल जी की ओर से ये प्राप्त हुआ है। ***to intiate discussion on utilization of MLALAD fund in MCD parks.***

मैं सदस्यों से ये प्रार्थना कर रहा हूँ जो भी इसमें चर्चा भाग लें, वो अपने साथ सबूत लाएं होंगे, उसको सदन पटल पर लिखा हुआ लेटर रखें।

एक बात, बात नं. दो जिस विषय के लिए बुलाया गया, फिर बुलाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। आज उसी विषय पर हम अपने आपको बाँध करके रखेंगे। उससे इधर–उधर जाएंगे तो फिर विषय से भटकाव हो जाएगा। उसका एक रिजल्ट जो निकालना है, वो नहीं निकल पाएगा। श्री सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर बोलने का मुझे मौका दिया। मेरा ये विषय थोड़ा करीबी विषय इसलिए है क्योंकि 2016 के अन्दर भी जब मैं विधायक था तो एम.सी.डी. के कारण मेरे एरिया के अन्दर काफी नुकसान हुआ। मैं सदन को याद दिलाना चाहूँगा कि मैंने अपने ग्रेटर कैलाश एरिया के अन्दर किसी भी काउन्सलर के फण्ड देने से पहले और किसी भी सांसद के फण्ड देने से पहले ओपन जिम और बच्चों के झूलों के लिए रिक्वेस्ट की। एमसीडी से एस्टीमेट हासिल किए। एमसीडी के एस्टीमेट के ऊपर मैंने अपना एमएलए फण्ड भी उनको दे दिया। मेरे एमएलए फण्ड देने के बावजूद अध्यक्ष जी, एमसीडी ने मेरे यहाँ ओपन जिम और झूले नहीं लगायें और उसका एक मुख्य कारण ये था कि एमसीडी के ऊपर... मैं अफसरों को दोष नहीं दूँगा। एमसीडी के अफसरों के ऊपर लोकल काउन्सलर्स का दबाव था। लोकल काउन्सलर का दबाव ये था कि हमारे एमसीडी के जो इलेक्शन हैं, वो 2017 के अन्दर हैं और 2017 के अन्दर जब इलेक्शन हैं तो हम 2016 के बिल्कुल आखिरी में ही ओपन जिम और झूले लगाने चाहते हैं ताकि पब्लिक को याद रहे। पब्लिक भूल न जाए और क्योंकि हम 2016 के आखिरी में वो झूले लगवाएंगे तो विधायक के झूले 2016 के शुरू में या 2015 में न लग जाएं। ये करके विधायकों के काम; चाहे वो झूले लगाने के हों, चाहे वो ओपन जिम के हों, चाहे वो स्ट्रीट लाइट के हो, चाहे वो सड़क बनानें के हों। कोई भी काम हो, विधायक का पैसा जहाँ पर आया हो, वहाँ पर उस

फण्ड को वहीं का वहीं रोक दिया, जिस स्टेज में कोशिश हो सकी, उस स्टेज में रोक दिया। बीएसईएस का भी इसके अन्दर योगदान रहा। बीएसईएस ने बहुत जगहों पर विधायकों से पैसे ले लिए। मेरे से भी विधायक ....

माननीय अध्यक्षः नहीं सौरभ जी, आज एमसीडी पर रखिए। बीएसईएस का कोई अधिकारी बुलाया नहीं। केवल एमसीडी पर रखिए आप।

श्री सौरभ भारद्वाजः तो इसके अलावा अध्यक्ष जी, कुल मिलाकर दिल्ली के अन्दर हमारा विधायक जब भी किसी क्षेत्र में जाता है, कुछ विधायक तो हैं जो काफी अपने हलवाई वगैरह की दुकान में बिजी रहते हैं मगर कुछ विधायक हैं जो अपने क्षेत्र में जाते हैं और जनता से पूछते हैं कि भाई बताओ, की क्या काम किया जा सकता है। तो जब भी अध्यक्ष जी, आप अपने क्षेत्र में जाएंगे तो अगर जनता सौ काम बताएगी तो उसमें करीब 85 काम वो होंगे जो एमसीडी के काम होंगे। लोग कहेंगे कि जी, हमारी सड़कें टूटी हुई हैं। हम बोलेंगे एमसीडी का ही है। वो बोलेंगे, 'हमारे पार्कों के अन्दर खड़ंजा लगवा दो। वॉक वेयर बनवा दो। पार्कों में जिम लगवा दो। पार्क में लाइट लगवा दो। कालोनी के अन्दर लाइट लगवा दो।' जो अब एमसीडी के फण्ड से लगती है। जो भी काम है 85 परसेंट काम वो है जो एमसीडी द्वारा ही कराये जा सकते हैं। या तो हम एमसीडी को पैसा देके एमसीडी से काम करायें या हम दिल्ली सरकार की किसी और एजेन्सी को कहें। जैसे फ्लड एण्ड इरिगेशन है जो काम आसानी से करने के लिए तैयार है। मगर उसके अन्दर हमें एमसीडी से एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए कि ये एनओसी दें कि कोई और एजेन्सी यहाँ पर काम कर सके।

अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि विधायकों की आधी से ज्यादा समस्याएं इससे हल हो सकतीं हैं कि अगर हम एमसीडी को बाध्य कर दें कि अगर आपने एक महीने के अन्दर–अन्दर ये कारण नहीं बताया कि आप एनओसी क्यों नहीं दे सकते... अब एनओसी आप क्यों नहीं देंगे? एनओसी आप एक ही सूरत में नहीं दे सकते कि आपने आलरेडी वो काम करने का ठाना हुआ है। आपने बजट अलोकेट कर दिया या आप एक एडवांस स्टेज में हैं, उस काम के लिए, इसलिए आप दूसरे आदमी से पैसा नहीं लेना चाहते। या तो आप एक महीने के अन्दर–अन्दर उस विधायक को या उस एजेन्सी को लिखके बताएं कि हम आपको एनओसी इस कारण से नहीं दे सकते। अदरवाईज उस एजेन्सी के लिए उस काम के लिए एमसीडी का एनओसी डीम्ड माना जाए। कहने का मतलब है कि ये माना जाये कि एमसीडी का वो एनओसी अब मिल गया आपको क्योंकि एमसीडी की तरफ से आपको न नहीं आया, एमसीडी की परेशानी क्या है। एमसीडी कहती है हमारे पास फण्ड नहीं है। विधायक अपना फण्ड देने के लिए तैयार हैं। तो एमसीडी को तो इसमें कोई एतराज ही नही होना चाहिए। एतराज कहाँ पर है? एतराज वहाँ पर है जहाँ पर काउन्सलर्स अपना दबाव बनाते हैं एमसीडी के अधिकारियों के ऊपर कि अगर विधायक ने एस्टीमेट माँगा है तो एस्टीमेट मत दो। एस्टीमेट के बाद अगर पैसा आ गया तो उसको टेन्डर मत करो। टेन्डर हो गया, वर्क आर्डर हो गया तो रोक लो काम को। उसका भगा दो, कान्ट्रैक्टर को भगा दो। बोलो जी, कान्ट्रेक्टर ही नही आ रहा है। काम नहीं हो रहा है, कान्ट्रेक्टर नहीं आ रहा है, काम नहीं हो रहा है तो इसके अन्दर मुझे लगता है कि डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज के माध्यम से तीनों कमिश्नर्स को बुलाकर उनके साथ इस पर बातचीत की जाए और इसको एक प्रावधान बना दिया जाए एमएलए फण्ड का कि आप ये एनओसी जो

है, एक महीने का डीम्ड एनओसी माना जाएगा और जो अधिकारी अध्यक्ष जी, एक चीज और मैं चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ पूरा सदन इसके ऊपर एक राय बनाए। जो अधिकारी बिना किसी पर्याप्त कारण के एमएलए लैड फण्ड को रोके, देखिए, एमएलए लैड फण्ड जो है, वो विधायक का लोकल एरिया डेवलपमेण्ट फण्ड है। विधायक का पूरा का पूरा अस्तित्व जो है, उसके एरिया में, उसके एमएलए लैड फण्ड से है। उसका जो पूरा का पूरा अस्तित्व है। तो जहाँ कोई अधिकारी अपने किसी गैर–वाजिब कारण से एमएलए फण्ड को रोके। ये चीजें ब्लैंकेट तौर पर हमारे सदन को पास करनी चाहिए कि उस अधिकारी को बुलाया जाएगा और अगर वो पर्याप्त कारण नहीं दे पाया तो सीधा उसके ऊपर प्रिविलेज प्रोसीडिंग शुरू हो जानी चाहिए क्योंकि ये विधायकों के प्रिविलेज का मामला है। ये कोई इन–डायरेक्ट मामला नहीं है। सीधा डायरेक्ट प्रिविलेज का मामला है और इसके अन्दर अधिकारियों के ऊपर प्रिविलेज प्रोसीडिंग होनी चाहिए। यहाँ पर उनकी सजा मुकर्रर होनी चाहिए। उनके ऊपर कम्प्लेन्ट होने के ऊपर इसके ऊपर सजा होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, मेरे को यही कहना था। मेरे और विधायक भाई भी इसके ऊपर कहेंगे। मगर मैं अन्ततः यही कहूँगा अधिकारियों के ऊपर बहुत दबाव है। अभी तक सिर्फ एक तरफ से दबाव है। एमसीडी के काउन्सलर्स का दबाव है। जब तक इस विधान सभा का दबाव दूसरी तरफ से नहीं आएगा और इस दबाव को बैलेन्स नहीं करेगा तब तक अधिकारी काम नहीं करेंगे, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः आपने सौरभ जी जो पहले कहा था शुरुआत में 2016 में पार्कों के लिए पैसा दिया काम नहीं हुआ, उसका कोई रिकॉर्ड है अपने पास?

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, जब मेरे पार्क के कामों का काम रूका हुआ था।

माननीय अध्यक्षः नहीं आज नहीं होगा तो दो दिन में।

श्री सौरभ भारद्वाजः नहीं अध्यक्ष जी, वो तो मैंने करा लिया। वो तब हो गया था जब हमने क्वेश्चन और रेफरैंस कमेटी के माध्यम से अधिकारियों से बात करके तब तो करा लिया था वो काम। मगर वो सिचुएशन मुझे लग रहा है हर विधायक के लिए है।

माननीय अध्यक्षः ठीक है, बैठिए। श्री विजेन्द्र गर्ग जी, जिनका विषय भी था परसों...

श्री विजेन्द्र गर्गः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस गम्भीर और दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष जी, मैंने शुक्रवार को 280 में यह मामला लगाया था और आपने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए आज तीनों एमसीडी कमिश्नर साहेबान को, यूडी सेक्रेटरी को यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने तुरंत इस पर संज्ञान लिया।

अध्यक्ष जी, क्षेत्र की जनता की बार–बार माँग थी कि एमसीडी के पार्कों की बहुत दुर्दशा है और हमारे बच्चे या हम स्वयं किसी भी पार्क में जाकर न तो बैठ सकते हैं, न बच्चों के लिए वहाँ कोई प्ले इक्विपमेंट्स हैं, न झूले हैं, न एक्सरसाइज के कोई इक्विपमेंट्स हैं। आरडब्ल्यूए के बार–बार पत्र आ रहे थे, बार–बार वो लोग हमसे मिल रहे थे तो हमने एमसीडी के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरों को बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ये पार्क में झूले और जिम इत्यादि लगाइए। इसका फंड क्षेत्रीय विधायक

विकास निधि से दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ये हम झूले और जिम लगाने में असमर्थ हैं, हम नहीं लगा पाएंगे। हमारे पास कोई ऐसा मेकेनिज्म नहीं हैं, हम जिम नहीं लगा पाएंगे।' तो हारकर हमने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया। उनको मैंने चिट्ठी लिखी, वो आए। हमने उनको कहा कि एमसीडी और डीडीए के पार्क्स में झूले और जिम लगाने हैं क्योंकि लगातार क्षेत्र की जनता यह डिमांड कर रही है। उन्होंने कहा, सर, 'ठीक है हम लगाएंगे।' विधायक निधि कोष से यह कार्य हम कर देंगे। अध्यक्ष जी, एक चिट्ठी मैंने 15/11/2016 और एक चिट्ठी मैंने 28/11/2016 को लिखी।

माननीय अध्यक्षः किसको लिखी?

श्री विजेन्द्र गर्गः यह सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को। उनको रिक्वेस्ट की फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट को कि आप ये झूले और जिम का ऐस्टिमेट बनाये। अध्यक्ष जी, उन्होंने ऐस्टिमेट तैयार किए। पार्कों में जाकर के फिजिबिलिटी देखी। सभी पार्कों में फिजिबिल पाया गया जिम और झूले लगने का। हमने इन दो चिट्ठियों के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने एक्सेप्ट की और एक चिट्ठी जब एस्टिमेट बन गए डीयूडीए ने फंड पास कर दिया, मेरे विधायक निधि कोष से, जनता का पैसा था, जनता के विकास के कार्यों पर हम लोग खर्च...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, उसको लम्बा न करिए।

श्री विजेन्द्र गर्गः ठीक है। अध्यक्ष जी, उसके बाद सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने एक चिट्ठी डिप्टी कमिश्नर, एमसीडी, नॉर्थ, आनंद पार्क, करोल बाग जोन को लिखी। मैं इसकी कुछ लाइनें आपको पढ़कर सुनाना

चाहता हूँ। सब्जेक्ट था, ***No Objection Certficate for the works mentioned below in the Rajinder Nagar Assembly constitutency through MLALAD fund.'***

ये जो टेंडर हुए थे, 8 टेंडर हुए थे सर। आठ की इसमें डिस्क्रिप्शन है; कौन–कौन से टेंडर थे। वो मैं पढ़ूँगा तो बहुत समय निकलेगा। अंत में उन्होंने लिखा था;

The above mentioned schemes have been approved by competent authority DUDA, New Delhi, Jam Nagar House. order enclosed for ready reference. फिर इन्होंने लिखा ***in view of the above, it is requested to issue NOC for taking up the above mentioned work to Jam Nagar House, New Delhi Office with A copy to this office, if no reply is received. Sir, dhyan dene wali baat hai, within 15 days time then as per direction of DUDA, it will be presumed that you have no objection and the work will be proceeded with.'***

यह इसमें साफ–साफ लिखा हुआ था। अध्यक्ष जी, बड़े अफसोस की बात है पूरे 11 महीने बीत जाने के बाद उनकी एक चिट्ठी प्राप्त हुई उत्तरी दिल्ली नगर निगम, उद्यान विभाग, आनंद पर्वत से। इसमें इन्होंने यह लिखा है कि मामला संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा उद्यान विभाग, करोल बाग क्षेत्र के अंतर्गत पार्कों में बिना एनओसी लिए ओपन जिम, झूले इत्यादि लगवाए जा रहे हैं, जो कि गलत एवं गम्भीर मामला है। संबंधित विधायक महोदय के माँग–पत्र के अनुसार उद्यान मुख्यालय द्वारा पार्कों में ओपन जिम, झूले इत्यादि लगवाने की कार्रवाई की जा रही है। अतः उपरोक्त के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आप उद्यान विभाग के अंतर्गत किसी

भी पार्क में ओपन जिम, झूले इत्यादि न लगवाएं। यह पत्र इनका आता है ठीक 11 महीने के बाद। अध्यक्ष जी, जनता लगातार डिमांड कर रही थी। वो कह रहे थे कि हमारे बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज खत्म...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः इस लेटर की डेट क्या है?

श्री विजेन्द्र गर्गः हैं जी?

माननीय अध्यक्षः इस लेटर की डेट क्या है?

श्री विजेन्द्र गर्गः इस चिट्ठी की डेट है 18/12/2017। हमने चिट्ठी लिखी थी उनको 06/2/2017 को। तो लगातार हम पर दबाव था। हमने जनता को प्रॉमिस किया था कि आपके झूले और जिम हम जल्द ही लगवा देंगे। जब यह नहीं हो पा रहा था तो हमने जनता का सहयोग लिया। हमने फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट को कह कर के कुछ पार्कों में यह कार्रवाई शुरू की। अध्यक्ष जी, जहाँ भी हम पहुँचते थे, एमसीडी के लोग वहाँ पहुँच कर लगाने से मना करते थे और बाधा डालते थे। यह केवल और केवल क्षेत्रीय निगम पार्षदों के दबाव में यह सारा कार्य किया जा रहा था। हमें एमसीडी के जो विभाग के लोग थे, उनकी मंशा पता थी और वो दबी जबान से यह कहते भी थे, यह कबूल भी करते थे कि सर, यह आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एमसीडी कुछ नहीं कर पा रही है। आप यह कर रहे हैं तो यह जनता के लिए बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन हमारे ऊपर दबाव है इसलिए हम यह नहीं लगने देंगे। जनता ने साथ दिया, 25 पार्कों में वहाँ झूले लगे। दो पार्क में वहाँ ओपन जिम भी लगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सारी की सारी ऊर्जा, क्षेत्र की जनता की ऊर्जा उन झूलों को बचाने में और उन जिम को बचाने

लगी हुई है। आज भी यह खतरा लगातार मंडरा रहा है कि कब एमसीडी के लोग आएंगे और कब इनको उखाड़ कर चले जाएंगे। इस बात का पूरा–पूरा अंदेशा आज भी हमें रहता है क्योंकि आप यह बताएं कि एक साल में एनओसी देना दूर की बात है, इन्होंने हमें कोई पत्र भी लिखना गवारा नहीं समझा। ये दोहरे मापदण्ड किसलिए है? अगर वहाँ काउंसलर कुछ करना चाहे तो उसको कोई रुकावट नहीं है। अगर विधायक जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च करना चाहता है तो उसके लिए तमाम रुकावटें हैं। यह दोहरा मापदण्ड किसलिए अपनाया हुआ है, यह मैं पूछना चाहता हूँ? एमसीडी के तीनों कमिश्नर साहेबान यहाँ उपस्थित हैं और जब जनता गई उनके पास.

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब कन्क्लूड करिए। विजेन्द्र जी, कन्क्लूड करिए।

श्री विजेन्द्र गर्गः सर, एक मिनट लूँगा।

माननीय अध्यक्षः अब कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गर्गः जब एमसीडी के पार्षदों के पास जनता गई, उन्होंने कहा कि आप विधायक से मत लगवाइए। हम अपने सांसदों से आपको दो महीने में झूले और जिम लगवा देंगे। क्या सांसदों का पैसा कहीं ओर से आया है? वो भी जनता का पैसा है और दो महीने क्या छह महीने भी बीत गए, किसी भी सांसद ने वहाँ के पार्कों की सुध नहीं ली। चार साल बाद भी उन्होंने चेहरे नहीं दिखाये आकर के।

अध्यक्ष जी, अब सवाल यह है कि मेरे क्षेत्र में संत नगर के तिकोना पार्क से 6ए ब्लॉक, डब्ल्युए करोल बाग के पार्क से एमसीडी जिम और झूले उखाड़ कर के ले गई है। वहाँ की लेडीज, वहाँ के बच्चे लगातार

गिड़गिड़ा रहे थे, उनकी एक नहीं सुनी और वो झूले और जिम उखाड़ कर इन्होंने अपने स्टोर में जमा कर लिए हैं। मैं यह चाहता हूँ कि यह जो एनओसी का प्रावधान है यह विधायक के लिए भी खत्म किया जाए। जिस तरह पार्षद पार्कों पर कब्जे करवा रहे हैं, हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद क्षेत्र के विकास के लिए पार्कों को अच्छा बनाना है। मैं चाहता हूँ कि यह एनओसी का जो प्रावधान है पार्कों में काम करने के लिए, यह विधायक फंड से हों और इसमें किसी प्रकार की कोई एनओसी की आवश्यकता न पड़े। अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो यह हमें तुरंत रोकें और अगर हम जनता के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल.

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, यह हो गया, हो गया।

श्री विजेन्द्र गर्गः धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः यह लेटर सदन पटल पर रख दीजिए आप। मंगवा लीजिए उनसे। श्री मदन लाल जी।

मेरी एक प्रार्थना है सदस्यों से, तथ्यों के साथ, डेट के साथ इनको रखें और संक्षेप में रखे ताकि... मेरे पास 15 सदस्यों की रिक्वेस्ट आई है तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम कवर हो जाएं तो जरा उचित रहेगा।

श्री मदन लालः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट इशु पर बात करने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा का सदस्य होने के नाते सबसे पहले किसी भी सदस्य की यह जिम्मेवारी है कि वो कानून बनाने की प्रक्रिया में अपना योगदान दें। यह उसका प्रथम कर्त्तव्य है पर साथ ही साथ

जिन–जिन गवर्नमेंट की एजेंसीज को जो–जो काम करने थे अगर कभी–कभी वो गवर्नमेंट की एजेंसीज ईमानदारी से अपना काम न करें और विकास की गति कहीं–कहीं किसी क्षेत्रों में, चाहे वो पॉलिटिकल कारणों से, चाहे कुछ और कारणों से रुकती हो वहाँ वहाँ तत्कालीन सरकारों ने एमएलए फंड के नाम से एक एमएलए को निधि प्रदान करनी शुरू कर दी जिससे वो अपने क्षेत्र में उन कामों को जो वो सरकारी एजेंसियाँ ईमानदारी से नहीं कर रही हैं, भेदभाव रखती हैं, चाहे वो कारपोरेटर की वजह से करती हों या किसी और कारणों से, एमएलए को वो निधि प्रदान की जाने लगी और आज के दिन हर एमएलए को दो करोड़ रुपया प्रतिवर्ष अब चार करोड़ अभी तो और ज्यादा... माननीय उप–मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूँगा, उन्होंने गाँवों के लिए भी दो दो करोड़ रुपये का और प्रोविजन कर दिया है, पर खर्च करेंगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, एमसीडी का योगदान मिले। अब क्या हुआ है कि जब भी एमएलए अपना एमएलए लैड फंड खर्च करना चाहता है, सबसे पहले दिक्कत आती है एमसीडी के 'नो ऑब्जेक्शन' की क्योंकि चाहे सड़क का काम हो... अगर मुझे अपने क्षेत्र में सीवर बिछवाना है तो एमसीडी से 'नो ऑब्जेक्शन' चाहिए। अगर सड़क बनवानी है, एमसीडी से 'नो ऑब्जेशन' चाहिए। अगर पार्क में झूला बनवाना हो, पार्क में जिम लगवाना हो, एमसीडी से 'नो ऑब्जेशन' चाहिए। कहीं कहीं जहाँ कारपोरेटर ज्यादा ताकतवर है या ज्यादा समझदार, तेज है, वहाँ ये दिक्कतें और ज्यादा आती हैं। अभी पिछले दिनों जब मैं गढ़ी गाँव में गया तो वहाँ सीवर की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। जब मैंने वहाँ गाँव के लोगों के सामने कहा कि ये बीच की लाइन मैं पूरी की पूरी सीवर लाइन बदलवा देता हूँ और उसके बाद रोड बदलवा देंगे तो पता चला पिछले हफ्ते काउंसलर ने जाकर कह दिया मैं तो रोड बनवा रहा हूँ। यहाँ अध्यक्ष महोदय, अगर कॉरपोरेशन का वो काउंसलर रोड बनवाने की बात करने लगे तो पता चलेगा कि वो

रोड तो बन जाएगी परन्तु मैं जो सीवर डालना चाहता था जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, वो सीवर बनने का काम रुक जाएगा। एक तो ये सबसे ज्यादा ये एक डिफरेंट प्रॉब्लम है जो डिफिकल्ट सिचुएशन में लाती है कि चूंकि मल्टीप्लिसिटी है एजेंसीज की। कॉरपोरेशन अपनी मर्जी से काम करती है। उनको चाहिए कि वो जल विभाग से पूछें कि क्या आपका कोई प्रोजेक्ट तो नहीं है सीवर का, क्योंकि अगर वो रोड बना देते हैं तो वही समस्या आती है। जहाँ पानी गंदा होगा... क्योंकि वहाँ हम पाँच साल तक रोड नहीं बना पाएंगे। पाँच साल तक सीवर नहीं डाल पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, 2015 में जब हम दोबारा एमएलए बने तो 2015 और 2016 के बीच में मैंने 9 चिट्ठियाँ एमसीडी के पार्क्स में झूले और जिम लगवाने के लिए दिये। उनकी डेट मैं साझा करना चाहूँगा; 2 अक्टूबर और 2 दिसंबर को 2015 में और 2016 में 6 अक्टूबर, 29 सितंबर, 17 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 29 नवंबर, 14 अक्टूबर, 30 सितंबर ये जो 8–9 चिट्ठियाँ लिखीं, इसका न तो कोई जवाब आया, न कोई झूले लगे, न कोई जिम की बात हुई और अल्टीमेटली एक चिट्ठी जरूर आई, वो चिट्ठी थी 16 सितंबर 2016 की। ये चिट्ठी स्पीकर सर, डिप्टी डॉयरेक्टर हॉर्टिकल्चर, हैड क्वाटर ने लिखी। एक नंबर लिखा; ***'Providing a and fixing of open Gym equipments and general play equipments in Kasturba Nagar assembly constitutency.'***

वहाँ उन्होंने उन जगहों का नाम लिया डीडीए पार्क, बापू पार्क, कोटला मुबारकपुर, मंदिर वाला पार्क नियर एमसीडी पंत नगर, जंगपुरा एक्सटेंशन और उसके बाद एमसीडी पंत नगर, जंगपुरा एक्सटेंशन और इसके अलावा जो और चिट्ठियाँ लिखी, चाहे वो डिफेंस कालोनी के बारे में हो, चाहे वो लाजपत नगर 1, 3, और 4 के बारे में हो। चाहे वो अमर कालोनी के बारे में हो उनका कोई जवाब नहीं दिया और इस चिट्ठी की लास्ट की लाइनें

मैं पढ़ देना चाहूँगा, ***'In this regard, Dy. Director (Horticulture) West Zone, is requested to submit a status report of parks with regard to possession of parks with SDMC and feasibility of work that is availability of sufficient space and requirement of work etc. In case any further clarification, please contact to concerned MLA. This may be treated as Most urgent.'***

16/09/2016 की चिट्ठी मेरी जो लास्ट की चिट्ठी थी, उसके 4 महीने बाद आई और आज तक सितंबर 2016 के बाद न मुझे कोई चिट्ठी आई, न किसी आदमी ने मुझसे पूछा और हमने थक हारकर ये प्रोजेक्ट पर सोचना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि वहाँ पार्क में झूले नहीं लगे हों। वहाँ झूले जरूर लगते हैं जब हम कोई प्रपोजल देते हैं तो काउंसलर कोई प्रपोजल ठोक देगा और वो बुरी नीयत से। कई बार हमने सड़क बनाने की कोशिश की तो पता चलेगा वो तो एक चिट्ठी देनी है कि ये सड़क मैं बना रहा हूँ और एमसीडी कहती है कि चिट्ठी आ गई है, ये काउंसलर बनाएगा। वो मेरी विधान सभा में से कई दिन शांत रहे या कुछ नहीं बना। मैं केवल एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एमसीडी एक अपना प्रोसीजर बना ले कि कम से कम एक बार कोई भी प्रपोजल शुरू करने से पहले रोड का, दिल्ली जल बोर्ड से जरूर पूछे कि क्या उनका कोई सीवर का या पानी की लाइन बिछाने का कोई प्रपोजल तो नहीं है क्योंकि डूअल जब भी कोई काम होते हैं, उससे न केवल सरकार के पैसों की बर्बादी होती है बल्कि विकास के कार्य रुक जाते हैं। इसके अलावा वो एक निश्चित समय निर्धारित करें कि उन्हें इतने दिन में परमीशन देनी है या परमीशन रिजेक्ट करनी है। हो सकता है कोई रिजेक्शन का कारण हो। हो सकता है पार्क में सफिशिएंट स्पेस न हो। हो सकता है पार्क में कोई पहले ही

प्रपोजल है, उस पर और बिछने का काम हो पर कम से कम एक महीने के अंदर बता तो दें। एमएलए उस फंड को कहीं और लगाए, उसके पड़ोस के पार्क में कहीं लगाए, जहाँ जरूरत हो, पर यहाँ क्या हो रहा है कि न तो जवाब देते हैं, न बताते हैं और जैसे ही आपका प्रपोजल आएगा, वो काउंसलर कूद पड़ेगा बीच में। न करेगा न करने देगा और तीसरा जहाँ कहीं सीवर की और पानी की दिक्कत से निजात दिलाने के लिए कोई प्रपोजल अगर एमएलए सोचेगा तो उससे पहले काउंसलर कह देगा मैं तो रोड बना रहा हूँ एक नारियल फोड़ेगा और वो सारे काम ठप्प। ऐसा गढ़ी गाँव में, मैं पीछे अभी दस दिन पहले एक जगह गया। वहाँ जब मैंने कहा कि ये सीवर की लाइनें मैं बिछवा देता हूँ तो पता चला, दो ही दिन बाद काउंसलर ने शोर मचाना शुरू कर दिया; ये तो रोड बना रहा हूँ मैं। तो अगर ऐसे रोड बनेगी तो पाँच साल तक वो लोग सीवर की और पानी की...

माननीय अध्यक्षः मदन लाल जी, कन्क्लूड करिए, अब कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री मदन लालः मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तीनों कमिश्नर्स को आपने बुला रखा है, जरूर इस पर कोई न कोई सकारात्मक रुख अपनाया जाएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्रीमती बंदना कुमारी जी।

श्रीमती बंदना कुमारीः अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने तीनों कमिश्नर्स को बुलाया है यहाँ पर और मुझे पूरी उम्मीद...

माननीय अध्यक्षः ये जो डेटें आपने बोली हैं न, ये कागज पर लिखकर, नाम लिखकर पटल पर दे दीजिए।

श्रीमती बंदना कुमारीः पूरी उम्मीद है जो आज ये फैसला जरूर होगा। हम लोगों के एमएलए फंड का, जो हम लोग समयबद्ध तरीके से, समय सीमा के अंदर, सौरभ जी ने बहुत अच्छी बातें कही जो एमएलए फंड का हमें समय सीमा के अंदर हमारा काम हो जाए। एमएलए फंड में मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, एक झूला था; एजी ब्लॉक शालीमार बाग, एएफ ब्लॉक शालीमार बाग के बीच में एक जिम लगना था। सॉरी, झूला बोला, जिम लगना था। जिम का फंड, तीन साल हो गये अध्यक्ष जी, हमने 16 की शुरुआत में ही नहीं, 15 के एंड में दिया था। आज तीन साल हो गये हैं। लगातार फोलोअप करने के बाद कभी सिविल के साथी लगाएंगे, कभी हॉर्टीकल्चर के साथी लगाएंगे, ये करते करते करते अभी तीन महीने पहले उसका उद्घाटन हुआ। बहुत प्रेशर के बाद उद्घाटन हो गया लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। इतनी बेइज्जती हो रही है उस एरिया में जाने में, ए जी ब्लॉक शालीमार बाग जिसमें।

माननीय अध्यक्षः कौन सा ब्लॉक? दोबारा रिपीट कर दें।

श्रीमती बंदना कुमारीः एजी ब्लॉक शालीमार बाग। उसका एजी ब्लॉक का पार्क है। लगातार कॉरसपॉन्डेंस, इसके लिए मैं कमिश्नर साहब से भी मिली थी और ये दो काम, एक एडी ब्लॉक पीतमपुरा का था। एडी ब्लॉक पीतमपुरा में सड़क बनाने का काम था। उसका भी फंड इसका दस लाख था हमारा और उसका 48 लाख का फंड था। 48 लाख का फंड एमएलए फंड जो हमने 2015 चुनाव जीतने के तुरंत बाद वो फंड दिया था लेकिन आज तक वो रोड नहीं बनी; एडी ब्लॉक पीतमपुरा।

उसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो समयबद्ध तरीके से नहीं होते, 6–6 महीने, 8–8 महीने, साल साल जबकि एमएलए फंड में... न फंड

में कोई प्रॉब्लम, न काम में कोई प्रॉब्लम, न पैसा मिलने में ठेकेदार को कोई प्रॉब्लम होती है। वो तो पहले ही ले लेते हैं सारा पैसा। तो इस काम में डिले होता है। जनता को जवाब देना हम सबको पड़ता है और हमें मुश्किल होती हैं।

दूसरी बात, जब हम पार्क में आते हैं अध्यक्ष जी, पार्क में हमने जब हमारा मोहल्ला फंड था। जब मोहल्ला सभा में पॉयलट प्रोजेक्ट में हमारा क्षेत्र भी था। उस समय हमने बहुत सारे पार्क को डेवलप कराया था। उसमे हमने पेड़, पौधे, खाद, मिट्टी तक क्योंकि मोहल्ले में ये सारा पास हो गया था डूडा से तो उसमे हमने 32 पार्क डेवलप कराये थे। हमारा क्षेत्र शालीमार बाग एरिया; बागों से पार्कों से जाना जाता है। तो पार्क काफी सारे हैं लेकिन उसकी मेन्टेनेंसएकदम जीरो और सबमें मिट्टी उड़ रही है, धूलें उड़ रही हैं, पत्ते झड़ रहे हैं। मतलब, बहुत बुरी स्थिति है लेकिन उसकी मेन्टेनेंस में एमएलए एक बार उसकी पाथवे बना दिया, एमएलए फंड से अगर बन भी गया उसकी मेन्टेनेंस का हमारा ग्रीन बजट भी बन गया, सब कुछ हो गया लेकिन मेन्टेनेंस करने की जिम्मेदारी एमसीडी के पास है जो नहीं हो पा रही है। क्योंकि नया काम तो हम करवा लेते हैं। लेकिन मैंन्टेनेंस की मैकेनिज्म कोई भी एमएलए के पास नहीं है। उसके बाद उसी तरह से हमने बहुत सारी लाइटें लगवा दीं। समय नहीं, दो–दो साल में एक–एक साल में लग गई लाइट। हमारे क्षेत्र में हाई मास्ट लाइटें भी लग गई। अब लग तो गई, एमएलए से नई लग गई लेकिन कभी उसकी तार टूट गई, कभी कोई खराबी आई गई तो वो कौन करेगा? क्योंकि मेन्टेनेंस डिपार्टमेंट हमारी एमसीडी के पास है। तो ये सब कामों को बहुत गहराई से ये सदन विचार करे, जिससे जनता की कनैक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। दिन रात, सुबह से लेकर शाम तक पार्क में जाते हैं, पार्क नहीं, बहुत गंदा धूल उड़

रहा है। पार्क में हम क्यों आए? पार्क में हम आते हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए। वहीं से शुरू हो जाती है। उसके बाद एक भी लाइटें अगर खराब हुई तो एमएलए के पास कोई पॉवर नहीं है।

माननीय अध्यक्षः बन्दना जी रिपीट न करिए, प्लीज।

श्रीमती बन्दना कुमारीः जी, चौथी चीज अध्यक्ष जी एक भी, कोई भी ब्लाक... हमने सेनिटेशन पर बहुत सारा खर्च किया, डि–सिल्टिंग पर बहुत सारा खर्च किया लेकिन एक भी कोई ब्लाक... कमिश्नर साहब भी बैठे हुए हैं, यह सदन बैठा हुआ है, आप बैठे हुए हैं। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, एक कोई ब्लॉक से एनओसी लाकर दे दें। जो उनकी 100 परसेंट डि–सिल्टिंग, एक कोई ब्लॉक से। क्योंकि जो मैं जहाँ भी जाती हूँ, हाँ, फोटो वाला सिस्टम हो गया है। वट्सएप, एक स्लेब हटाया, फोटो लिया बस, इस ब्लॉक की हो गई सफाई। तो 100 परसेंट डि–सिल्टिंग क्योंकि बारिश आने वाली है। दो तीन महीने के अंदर बारिश आ जाएगी। अभी मौसम का पता भी नहीं चलता। कभी भी बारिश आ सकती है। तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी पूरी दिल्ली की।

तो अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही अच्छे मुद्दे पर आज हम सबको मौका दिया बोलने का। इसके लिए आपका शुक्रिया और मुझे लगता है, आज कुछ इस सदन से इसका निष्कर्ष निकलेगा और हम दिल्लीवासियों को एक सुविधा मिल पाएगी, जय हिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, विषय में मैंने बोला था जिस विषय की आज तैयारी है कि *'टु इनिशिएट डिस्कशन ऑन युटिलाइजेशन ऑफ एमएलए लैड इन एमसीडी पार्क्स।'* और उस दिन ये विषय थे, सब विधायक खड़े हुए थे। कम से कम 15 विधायक खड़े

हुए थे। और आज उस विषय पर थोड़ा सा चर्चा में हम वहीं तक रखें जो उचित रहेगा। श्री ओम प्रकाश जी।

श्री ओम प्रकाश शर्माः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज बड़ा विचित्र दिन है। दिल्ली विधान सभा में आज हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कार्य कर रही है, उससे पूरा का पूरा जो सदन के सदस्य हैं, मुझे लगता है सभी सदस्य... उनको कोई न कोई, किसी न किसी प्रकार की शिकायत है। और मुझे लगता है, ये जो कामों का बंटवारा है; शक्ति, इसकी सामर्थ्य क्या है और सीमा क्या है, जब तक इसका रेखांकन नहीं होगा तब तक ये चीजें चलती रहेंगी।

मैं सबसे पहले उदाहरण अध्यक्ष जी, ये देना चाहता हूँ; एलए रोड फंड मेरे क्षेत्र में... पिछली बार जब मैं विधायक था, 2014 में आया और आज 2018 में बड़ी जद्दो–जहद के बाद पता नहीं, ये लोग इस फंड को इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, फंड आने के चार साल के बाद में आज भी मेरे यहाँ एलए रोड का काम चल रहा है। तो कम से कम फंड आने के बाद इतना समय नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूँ कि जब भी हमारे क्षेत्र में सीवर या वाटर के लिए लाइन डालने की बात होती है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि यदि पानी की लाइन के लिए उसने दो फुट कटिंग करनी है या सीवर के लिए चार या पाँच जो भी कटिंग करनी है, उसकी बजाय पूरा का पूरा जो रोड है, उसका एस्टिमेट बनाकर उनको देते हैं और कई बार हास्यास्पद स्थिति होती है कि जो पानी की लाइन बिछवा रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट है, उससे डबल कॉस्ट कॉर्पोरेशन उसको रिपेयर करने के लिए माँगती है। तो अगर इस प्रकार होगा तो पानी की कोई लाइन डलेगी ही नहीं। इसी प्रकार हालाँकि ये इससे अलग है; आईजीएल की मेरे यहाँ लाइन डल रही है और आईजीएल

की जब लाइन डलती है, छः से लेकर आठ इंच तक का एक पैच बनता है। लेकिन जब ये पता नहीं, कॉर्पोरेशन का कौन सा गणित है, किस गणित से पैसे मांगते हैं, कौन सा सिस्टम है? वो पैसे ही इतने मांगते है कि वो काम करने के, उससे आदमी को दिक्कत हो जाती है।

अब मैं बात करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो सोसाइटी है, रेजिडेंशियल सोसाइटी हैं डीडीए की और जब डीडीए की सोसाइटी बनती है, पूरी की पूरी सोसाइटी की रजिस्ट्री डीडीए, वो जो सोसाइटी होती है, हाउस बिल्डिंग सोसाइटी उसके नाम रजिस्ट्री की जाती है। उसमें जितने भी पार्क हैं, उनको मेन्टेंन करता है, केयर टेकर है, कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन उसका मालिक नहीं है और जो सोसाइटी, उसके मालिक हैं और सोसाइटी में यदि कभी जरूरत पडती है ट्रांसफॉर्मर, जो वहाँ पर रहने वाले लोगों को ज्यादा बिजली की जरूरत होती है तो उसके लिए लोड बढ़ाने के लिए नया ट्रांसफार्मर जब वो अपनी जगह में रखता है तो कॉर्पोरेशन का एक माली वहाँ आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि जी, मैं जाकर आपके खिलाफ एफआईआर लिखा रहा हूँ। तो कितनी गजब बात है! मालिक, वो सोसाइटी है। उस सोसाइटी के लिए उसकी एनओसी से वहाँ पर ट्रांसफार्मर रखा जा रहा है और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसका उससे कोई लेना–देना नहीं है। अच्छा, नीचे से लेकर ऊपर तक कोई अफसर सुनने के लिए तैयार नहीं। एक पागलपन का जुनून ये है कि वो कहता है जी, मैं एफआईआर लिखवाऊँगा। तो ये जो इस प्रकार का काम हो रहा है तो इस काम को कम से कम देखभाल की जानी चाहिए, चाहे वाटर की लाइन हो, सीवर की लाइन हो, उन चीजों के लिए जो एस्टीमेट बनता है, वो कम से लैजीटिमेट ऐसा तो होना चाहिए कि देख कर आदमी को लगे कि हाँ जी, ये चीज ठीक है। अब पूरी की पूरी आठ फुट की या दस फुट की सड़क

के उससे पैसे लेंगे तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं और विशेष रूप से जो सोसाइटी के, सोसाइटी जिनके मालिक हैं। मैं दोबारा, पुनः यह कहना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेशन केवल वहाँ केयर टेकर है और कॉर्पोरेशन क्योंकि हाउस टैक्स और दूसरे टैक्स देते हैं, इसलिए वो उनके पार्को को मेनटेंन करती है, वो उसके मालिक नहीं हैं। और यदि वो उसके मालिक नहीं हैं तो हमें उससे एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। उसको अगर एनओसी देगी तो वो हाउस बिल्डिंग को–ओपरेटिव सोसाइटी देगी, न कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आपने मुझे समय दिया, मैं बातों को दोहराना नहीं चाहता, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई लिखा हुआ है। तोमर जी, दो मिनट। प्रवीण जी। ये आपने एक साल पहले भी उठाया था।

श्री प्रवीण कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय धन्यवाद आपने इतने गम्भीर विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया और मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इस चीज का भुगतभोगी आलरेडी रह चुका हूँ पिछले साल। जब पिछले साल 2015 में जब हमारी सरकार थी, उस दौरान मैंने एक एप्लीकेशन लिखकर एमसीडी में सब्मिट कराई कि मुझे आपने पार्को में जंगपुरा के अन्तर्गत आने वाले 20–25, साठ सत्तर जितने भी पार्क हैं, उन पार्को में बैंचे लगवानी हैं। मैंने सैलेक्ट किया, उसमें दो दिन लगाए उसमें; किस तरह के बैंच होने चाहिए जिसमें लोगों को सुविधा भी हो और लोग आसानी से बैठ भी सकें और सस्ते भी होने चाहिए। कॉस्ट इफैक्टिव भी होनी चाहिए। मैने सारे रिसर्च करके, ऑन लाइन रिसर्च करके सब जगह से निकाले और बहुत बेहतरीन राउंड टेबल की बैंचें निकाल कर लाया, रेड कलर की। मैंने

वैरियस एजेन्सीज से पता किया कि उसमें किसकी क्या कॉस्ट है, कौन कितने में कर सकता है। तो मैने एमसीडी से भी कॉस्ट ली, फ्लड से भी कॉस्ट ली और एक आध डिपार्टमेंट से औरों से भी कॉस्ट ली। तो मुझे सबसे ज्यादा एमसीडी में जो कॉस्ट मिली और फ्लड में जो कॉस्ट मिली, उसमें करीबन तीन चार हजार का अंतर था। इससे पहले मैं एमसीडी में ऑलरेडी लेटर दे चुका था कि मुझे यहाँ पर बैंच प्रोक्योर करनी है और यहाँ पर मुझे आप अपना एस्टीमेट बनाकर दो। तो करीबन छः महीने बीत गए, सात आठ महीने बीत गए, वहाँ से एमसीडी से कोई रिप्लाई नहीं आया उस लेटर का। मैं सर, आपको कॉपी दे दूँगा उस लेटर की। इसके बाद क्या हुआ कि फिर एक साल बीत गया, एक साल बीतने के बाद मेरे पास फ्लड डिपार्टमेंट जो मुझे लेटर सौंपा था, उनके एस्टीमेट का वो लेटर मैने उठाकर वो 22 हजार की एक टेबल थी। बाईस हजार की एक टेबल जबकि एमसीडी में उसी टेबल का कॉस्ट जो बताया था, वो 26 हजार रुपये मेरे ख्याल से लगभग बताया था, उसी टेबल का और फ्लड डिपार्टमेंट ने 22 हजार की टेबल, मैने प्रोक्योर कर ली फ्लड डिपार्टमेंट से। डूडा के थ्रू सारी टेबल की प्रोक्योरमेंट को गई। प्रोक्योरमेंट होने के बाद जब हमारे पास वो टेबल लगाने की बारी आई और हमने उसके कोशिश की डूडा और वैरियस डिपार्टमेंट के थ्रू कि वो टेबल जो है ,वो पार्कों में लग जाए। और जैसे ही वहाँ पर लगाने गए पार्को में वहाँ पर तुरन्त तो फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारियों के पास एक एमसीडी का मैट वाला पहुँचा। कहता है, मैं पार्षद जी ने भेजा हूँ। इस पार्क में टेबल नहीं लग सकती। फिर भी कुछ जगह 100 में से करीबन 40, 50, 60, 70 जगह जहाँ पर पॉसिबल हुआ जनता के द्वारा वहाँ पर टेबल लगाई। लेकिन उस दस दिन के अन्तराल में जाने ऐसा क्या हुआ कि एमसीडी के पास तुरन्त ऑर्डर आ गए। मेरे पास ये प्रेस रिलीज भी है। इस मुद्दे का डिस्कशन एमसीडी के हाउस में भी उठ

चुका है कि एमएलए लैड फंड द्वारा जितने भी काम एमसीडी के पार्क में हुए हैं, वो उन पार्को में नहीं हो पाएं या नहीं करने दिये जाएंगे। क्योंकि सौरभ भाई ने भी बताया था कि क्योंकि एमएलए ने अगर काम कर दिया, एमएलए ने अगर बैंचे लगा दी और बैंच में उसका नाम लिख... मैं तो कहता हूँ नाम भी मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं नाम की। लेकिन कम से कम एमएलए ने जनता के लिए, लोगों ने जिसके लिए चुना है, जिसके लिए जनता ने पैसे दिये हैं, कम से कम उस पैसे का उपयोग तो होने दो। किसी के घर की सम्पत्ति थोड़े ना है, निजी सम्पत्ति थोड़े ना है। पार्क, अगर वो पार्क एमसीडी के अंडर आते हैं, पीडब्ल्यूडी के पार्क पीडब्ल्युडी के अंडर आते हैं। लेकिन ये सारा देश, एक ही दिल्ली में रहने वाला हरेक व्यक्ति उस पार्क को यूज करता है और एमएलए लैड फंड जो है, वो भी जनता के टैक्स से पैसा भरा है। तो जो व्यक्ति उस पार्क को यूज कर सकता है, उसके पास एमएलए लैड फंड यूज करने का भी हक है। तो इसी तरीके से जब वो फ्लड डिपार्टमेंट वहाँ पे बेंचें प्लेस करी, एमसीडी के हाउस में मुद्दा उठा कि एमएलए लैड फंड से जितनी बेंचें लगाई गयी हैं, वो उसे डिस्मेंटल किया जाए। उसके बाद एक एक करके एमसीडी ने ऑफिशियली नोटिस जारी करके, *'ड्यू टु नॉन ग्रांट ऑफ एनओसी, ऑल बेंचेज विल बि डिसमेन्टल्ड'* तो सारे बेंचेज उठा के जो है डिस्मेंट कर दी गयी और जिसमें से 10–15 जो हैं, वहाँ के लोगों की मदद से बची भी रह गयी लेकिन 70–80 बेंचे। और मैंने ये रिटन में भी माँगा कि आपने मेरी बेंचेज डिस्मेन्टल कर दी गयी तो बताइए आपने वहाँ पे बेंचें रखी कहाँ हैं? तो उसका भी उनके पास कोई रिकार्ड नहीं है, कहीं आगे जो बेंचें रखी हैं, उसके ऊपर से वो उसका पहिया जो है, वो उठा के ले गये, कहीं से उसके स्क्रू निकाल के ले गये तो इस तरीके से पूरा मिसमैनेजमेंट उसमें हुआ है। पिछले हाउस में भी मैंने आपको बताया था और मैं आपको

इस मुद्दे पे ऑलरेडी कमिश्नर साहब से भी मिल चुका था और मैंने उनसे डिमांड करी कि भई, एमएलए लैड फंड में अगर एनओसी चाहिए तो एनओसी आप बताइए किस तरीके से हम एनओसी ले सकते हैं। हम उस तरीके से तैयार हैं। लेकिन उस समय दुर्भाग्य था कि हमारे हाउस में कोई भी हमारा प्रतिनिधि नहीं था, हमारा कोई भी काउंसलर एक साल पहले नहीं था तो इस वजह से हमारी सारी बेंचें लगभग वहाँ डिस्मेंटल हो गयी कि हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा मेरे. तो मैं इसलिए ज्यादा भुगतभोगी हूँ क्योंकि मेरे तीन करोड़, साढे 3 करोड़ रुपये लगभग जो हैं, एमसीडी में एमएलए लैड फंड द्वारा सारे वहाँ पे दे दिये गये लेकिन उसका क्रियान्वयन न होने के कारण लगभग दो–दो, ढ़ाई–ढ़ाई साल बाद वो बता दिया एमसीडी ने इसका एनओसी नहीं मिली, फ्लड डिपार्टमेंट को इसकी एनओसी नहीं दी गयी। इस वजह से आपका सारा पैसा वापस आ गया तो इसीलिए मेरे पास करीबन 8–9 करोड़ रुपये मेरे एमएलए लैड फंड में हैं। उसी की बहुत... क्योंकि उसका एक और रीजन है क्योंकि मेरा ये जो पूरा कॉन्स्टीट्यूएंसी है, वो कॉन्स्टीट्यूएंसी मेरी रेगुलराइज कॉन्स्टीट्यूएंसी है पूरी, जिसमें पूरी तरीके से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आता है। अनऑथोराइज कालोनी कोई नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पे जो भी काम होगा, एमसीडी के थ्रू होगा। वहाँ पे चाहे नाली ले लीजिए, सड़क ले लीजिए, पार्क ले लीजिए, सारा जो है, वो एमसीडी का ही ज्यूरिस्डिक्शन है। तो इसलिए एमसीडी की एनओसी न होने के कारण वहाँ पे लगातार इस तरीके की दिक्कत आती रहती है।

मैंने स्ट्रीट लाइट के लिए डेढ़ करोड़ रुपये फंड इश्यू किया जिसमें कि 175 पोल थे और साढ़े तीन सौ स्ट्रीट लाइटों का ऑर्डर किया था मैंने। करीबन डेढ़ साल रखने के बाद एमसीडी ने मना कर दिया कि आपके वहाँ पे पैसे नहीं लग सकते क्योंकि आपके पास इसकी एनओसी नहीं है

क्योंकि आपके पास वो एनओसी नहीं है, स्ट्रीट लाइट की। उसके बाद वहाँ पे मैंने आपको टेबल का बताया। इसके बाद वहाँ पे हमारी एक भोगल है, वो वहाँ पे काफी हमारे एससी समाज के काफी लोग रहते हैं। वहाँ पे मैंने स्पेशियली एससीएसटी डिपार्टमेंट से बोल के एससी फंड वहाँ पे इश्यू कराया और फ्लड डिपार्टमेंट ने सारा उनका एक एक सड़क का, 20–20, 30–30 लाख का सारा वो एस्टीमेट बनवाया। उस एस्टीमेट बनाने के बाद जब वो सारा पैसा जो है, टेंडर भी हो गये, उन चीजों के टेंडर भी हो गये, फ्लड डिपार्टमेंट ने टेंडर भी कर दिए। लेकिन जब फ्लड डिपार्टमेंट ने एससीएसटी डिपार्टमेंट में अप्रूवल के लिए भेजा कि वो सड़क बना दी जाए तो एसडीएमसी ने तुरंत वहाँ लेटर लिख के मना कर दिया कि आपके पास इसकी एनओसी नहीं है, आप ये सड़क नहीं बना सकते। अब एमसीडी बनायेगी नहीं, एमएलए लैड फंड यूज नहीं होगा, एससीएसटी डिपार्टमेंट फंड यूज नहीं होगा तो जनता जाएगी कहां? क्या गड्ढों में पैर रखने के लिए जनता बैठी है। आप अगर कुछ करोगे नहीं, एमसीडी कुछ करेगी नहीं, पैसा उनके पास है नहीं, बार बार पैसे के लिए रोते रहते हैं हमारे भाई कि पैसा दे दो, पैसा दे दो।

माननीय अध्यक्षः प्रवीण जी, कन्क्लूड करिए।

श्री प्रवीण कुमारः अगर पैसा देने में दिक्कत है तो रुक जाइए। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट कन्क्लूड हो जाएगा।

माननीय अध्यक्षः नहीं, नहीं, लंबा हो जायेगा विषय।

श्री प्रवीण कुमारः एक दो इंपोर्टेंट चीजें हैं। जंगपुरा ए में एक सड़क के लिए मैंने कई सालों से सौंप रखा है।

माननीय अध्यक्षः ऐसा है प्रवीण जी...

श्री प्रवीण कुमारः ढ़ाई साल के बाद वो सड़क बन रही है।

माननीय अध्यक्षः नहीं, एक सेकेंड, मेरी बात सुनिए, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, एक बार विद डेट, वर्क ऑर्डर की कापी या आपने जो लेटर दिया है, उसकी कापी लगा के एक बार सदन में भेजिए। उस विषय पर उचित ढंग से कार्रवाई हो सके।

श्री प्रवीण कुमारः अभी मैं आधे घंटे में सारी चीजें भेज देता हूँ।

माननीय अध्यक्षः हाँ, वो दीजिए प्लीज।

श्री प्रवीण कुमारः ये करेंगे नहीं, हमें करने नहीं देंगे तो कैसे?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई रवि जी, प्लीज बैठिए, रवि जी, बैठिए। भई दो मिनट रुक जाइए मैं इसमें अलाउ... नहीं, प्रवीण जी, बैठिए प्लीज। नहीं समय नहीं रह गया बहुत। भई दिक्कत यही है कि... ये परेशानी ऐसे नहीं सॉल्व हो पायेगी। प्लीज। सोम दत्त जी। भई जो मेरे पास नाम लिख के आए हैं, मैं उन्हीं को तो रखूँगा, दो मिनट रुक जाइए।

श्री सोम दत्तः धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी मैं कोशिश करूँगा कि अपनी बात को बिल्कुल टू द प्वाइंट जिस पे डिस्कशन चल रही है इसी पे रखूँ और हमारा टॉपिक है *'यूटिलाईजेशन ऑफ एमएलए लैड फंड इन एमसीडी पाकर्स।'* साल 2015 में यूडी डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया कि एमएलए लैड फंड से पार्कों में जिम और अदर फिटनेस इक्विपमेंट भी लगाए जा सकते हैं। उसके तहत मैं अगस्त के महीने में यूडी डिपार्टमेंट में गया।

माननीय अध्यक्षः ईयर बोलिए साथ।

श्री सोम दत्तः अगस्त 2015 में मैं यूडी डिपार्टमेंट में गया, उस सर्कुलर का हवाला देके और मैंने उनसे ये पूछा कि क्या किसी और विधायक के भी प्रपोजल आपके यहाँ आए हैं इस सर्कुलर के रिगार्डिंग। मुझे यूडी डिपार्टमेंट से पता चला कि हमारे माननीय साथी, सदन के विजेन्द्र गुप्ता जी उनका सैंक्शन ऑर्डर उन्होंने जारी किए हैं रोहिणी के अंदर। उनकी विधान सभा में एमएलए लैड फंड से एमसीडी के पार्कों में जिम लगाने के लिए। उसके बाद मैं वहाँ से वापस आया, एमसीडी के अंदर मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मेन्टेनेंस डिवीजन से कॉन्टेक्ट किया कि हमारे भी ऐसे ही जैसे और दूसरी डिवीजन में काम चल रहे हैं, दूसरी असेम्बली में भी हुआ है, ऐसा आप इसके लिए एस्टीमेट प्रेपेयर कर दीजिए। उन्होंने जी, कई महीने खराब कर दिए; 4–5 महीने। आज करेंगे, कल करेंगे, पता करूँगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, कहाँ से हुआ दिखाओ जी, किसने बनाए ये एस्टीमेट। फिर जी मैंने उनको उस एस्टीमेट की एक कापी भी ला के दिखा दी कि देखो, दिल्ली के अंदर ही एक रोहिणी की विधान सभा है और उसमें मेन्टेनेंस डिवीजन ने ये एस्टीमेट तैयार किए हैं। ठीक है जी? वो कापी देने के बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं पता करूँगा। फिर 2–3 महीने और खराब कर दिए। अल्टीमेटली उन्होंने कहा जी, ये तो पार्क एमसीडी का है, हॉर्टिकल्चर डिवीजन के अंडर आता है। आप हॉर्टिकल्चर डिवीजन से संपर्क करें। फिर मैं डिप्टी डायरेक्टर, हॉर्टिकल्चर के पास गया एमसीडी के। उन्होंने भी कहा, जी, पता करेंगे, नया प्रपोजल है। मैंने कहा जी ऑलरेडी ये इंप्लीमेंट हो चुका है, रोहिणी असेम्बली के अंदर, एमएलए लैड फंड से एमसीडी पार्क में लग चुके हैं। मेरे भी लगा दो तो इसमें दिक्कत क्या है? एस्टीमेट प्रिपेयर करके। बोले जी, पता करूँगा, कई महीने खराब कर दिए। 5–6 महीने उन्होंने भी बिल्कुल यही कहते कहते... आखिर में मैं डायरेक्टर, हॉर्टिकल्चर से मिलने सिविक सेंटर गया जी। वो भी 1–2 महीने, बार बार ऐसे ही टाल–मटोल

करते रहे, आज बना देंगे, कल बना देंगे, पता कर रहे हैं। मेन्टेनेंस करेगी, हॉर्टिकल्चर नहीं करेगी, कभी हम करेंगे, कभी वो करेंगे। मैंने कहा, जी, मैटर क्या है? आप बात तो बता दो। यही एमएलए फंड एमसीडी के एक असेंबली में एक पार्क में यूज हो रहा है और मेरे लिए नहीं हो रहा, कोई कारण तो होगा आप टेक्निकल बात बताओ, इसमें दिक्कत क्या है? बोले जी पॉलिसी नहीं बनी इसकी, इसकी पॉलिसी बनने के लिए अभी बाकी है मैटर। तो मैंने कहा जी, मेरे लिए पॉलिसी मैटर बाकी है, फिर दूसरे एमएलए के एरिया में कैसे लग गया जिम ये? पॉलिसी मैटर था तो उनका कैसे लगा? ये सैंक्शन आर्डर है, ये एस्टीमेट बने हैं। तो नियम तो सबके लिए समान होंगे ना। उनके लिए अलग है और मेरे लिए अलग है, ऐसा कैसे हो सकता है? खैर पॉलिसी बनते–बनते एक साल निकल गया, डेढ साल निकल गया जी। इस दौरान मैंने चार एजेंसियों से और कांटेक्ट किए, एग्जीक्यूटिंग एजेंसियों से। मैंने नॉर्दर्न रेलवे से कांटेक्ट किया। नॉर्दन रेलवे ने मेरे फंड से 8 जिम लगाए अपने एरिया के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी रेलवे कालोनी है मेरे यहाँ पे। उनको कोई दिक्कत नहीं आई, बड़े आराम से उन्होंने पैसे लिए, और जिम लगा दिए। उनके यहाँ सब कुछ हो गया जी। उसके बाद मैंने डूसिब से कांटेक्ट किया। तीन जिम मेरे डूसिब ने लगाए एमएलए लैड फंड से। इरिगेशन फ्लड का एक पार्क है मेरे यहाँ, तुलसी नगर में। दो जिम मैंने उससे लगवाए जी। पीडब्ल्यूडी से मैंने दो लगवाए जी, एमएलए लैड फंड से। मेरे 15 जिम चार एग्जीक्यूटिंग एजेंसियों ने लगा दिए। लेकिन एमसीडी को पता नहीं, क्या दिक्कत है, मेरी असेम्बली में एक भी जिम अभी तक एमसीडी ने नहीं लगाया। इतना पीछे पड़ने के बाद, बड़ी मुश्किल से मैंने एस्टीमेट तैयार कराए, एस्टीमेट तैयार हुए एक एमसीडी से नवंबर 2017 से आज छः महीने हो गये, अप्रैल आधा होने को है, 16.48 लाख हजार

रुपये एमएलए लैड फंड से दे रखे हैं, अभी तक। बार बार कहते हैं कि टेंडर लगाएंगे, टेंडर लगाएंगे, टेंडर लगाएंगे, ठेकेदार आएगा, टेंडर लगाएंगे, ठेकेदार नहीं भर रहा। बाकी सारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसियों में एस्टीमेट भी बन रहे हैं, ठेकेदार भी आ रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे है, 15–17 जिम लगा दिए। सिर्फ एक एमसीडी के पार्कों में ही ठेकेदार नहीं मिल रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। छः महीने से मेरा मैटर पेंडिंग है, पैसे मेरे एमसीडी के पास गए हुए हैं। अब मेन्टेनेंस डिवीजन कहती है कि ये काम हॉर्टिकल्चर करेगी।

माननीय अध्यक्षः ये लेटर दीजिए सदन पटल पर।

श्री सोमदत्तः हॉर्टिकल्चर करेगी, तो आपने एस्टिमेटस क्यों बनाये थे? ये पैसे इतने सारे साढ़े 16–16 लाख रुपये एमएलए लैड फंड के एमसीडी के पास पड़े हैं। कौन देगा जी इनका इन्टरेस्ट? एमसीडी के पास इतना पैसा हमारा बकाया पड़ा हुआ है। वह तो पुराना हिसाब बराबर करते नहीं हैं। बस पैसे दिये जाओ, पैसे दिये जाओ, पैसे दिये जाओ... ये मेरा लेटर है। आपसे निवेदन है, इस पर आवश्यक कार्रवाई करवाई जाये, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त, जी बहुत संक्षेप में।

श्री अजय दत्तः जी, धन्यवाद, आपने मुझे इस गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी ढ़ाई साल पहले मैंने एमसीडी को बहुत सारे काम दिये थे और उसमें लैड फंड भी दिया। ढ़ाई साल पहले नवंबर 2015 में एक फंड दिया साठ लाख 77 हजार रुपये का और वो एक बहुत बड़ा नाला है जो बीस साल से रिपेयर ही नहीं हुआ है। एमसीडी का नाला है। उस पर कई बार जब मैंने पता किया तो एमसीडी के लोग उस पर

रिपेयर के नाम पर काफी पैसा खा चुके हैं; सैंक्शन हो गया, आज ढ़ाई साल तक वो पेन्डिंग है। ऐसे ही मैंने एक और रिक्वेस्ट लेटर दिया था अंबेडकर बाबा भीमराव अंबेडकर के स्टैच्यू लगा हुआ है, एक पार्क है, बहुत बड़ा पार्क अंबेडकर नगर में। उस में रिपेयर का काम होना था; लाल पत्थर लगने थे। ये भी पैसा सैंक्शन हो गया। साढ़े चार लाख रुपये का। ढ़ाई साल से ये भी पेन्डिंग है। इसी तरह से पुष्प विहार एसबीजी कालोनी में ढ़ाई साल पहले पैसा दिया हुआ, सैंक्शन हो गया, साढ़े तेरह लाख रुपये का और वो भी पेन्डिंग है। चौथा ओपन जिम के लिए मैंने 44 लाख 25 हजार 200 रुपये दिये थे, ढ़ाई साल पहले, वो भी आज तक पेन्डिंग है। खानपुर में एक नाला, पुलिया बनानी थी और 2016 में ये पैसा सैंक्शन हो गया था। मात्र एक लाख तेरह हजार रुपये का फंड और बनाना था, नहीं बना। ये भी पेन्डिंग है। स्ट्रीट लाइट के लिए और पोल लगाने के लिए 26 लाख रुपये दिये थे, ये भी ढ़ाई साल से पेन्डिंग है और इसके लिए अध्यक्ष जी, मैं वहाँ के जेई ऐई एक्सईएन से हजारों बार मिला, वहाँ के डीसी से करीबन 15 बार मिला। दोनों डीसी एस के सिंह और विश्वेन्द्र हैं जो, उनसे करीबन छह सात बार मिला कमिश्नर पुनित गोयल हैं, इनको मैंने करीबन 50 कॉल किए होंगे, 25 मैसेज भेजे होंगे और करीबन आठ दस बार इनसे मीटिंग हुई और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया जी, अभी करा रहा हूँ, आज करा रहा हूँ। उनके चैम्बर में मीटिंग हुई, बातें हुई, सब हुआ। अभी करा रहा हूँ, कल भेज रहा हूँ, ये हो जायेगा, वो हो जायेगा। और आज तक एक काम नहीं हुआ। तो मुझे एक सबसे बड़ा एक तो दुःख ये है कि जनता के टैक्स का पैसा इन लोगों के पास अध्यक्ष जी, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है, सारा पैसा ये ऐडवांस में डूडा से लेकर बैठे हुए हैं। तो ढ़ाई साल से पैसा ले के उस पैसे पर क्या ब्याज खा रहे हैं? एक

ये बात, दूसरी बात ये जनता के नुमाइंदें हैं, ये सरकारी नौकर हैं। सरकार, हम लोग और हम रिप्रजैंट कर रहे हैं जनता को और जब हम दस बार, बीस बार, पचास बार जूते घिस लेते हैं, इनको कह लेते हैं, इनके कानों पर जूँ नहीं रेंगती और उसके बाद ये कोई काम नहीं करते और फिर कभी जब हम, आज हम सर, बहुत फ्रस्ट्रेशन मूड में खड़े हुए हैं। जनता हमसे पूछती है भाई साहब, आप तो झूठे हो, आप नालायक हो, आपने काम नहीं किया, क्यों हमें ऐसे आश्वासन देते हो आप? ये आप कमिश्नर के पास चले जाओ, वहाँ काम हो जाएंगे। यूडी में चले जाओ, वहाँ काम हो जाएंगे लेकिन ये लोग काम नहीं कर रहे। तो देखिए, मुझे एक तो ये लग रहा है कि बीजेपी का चलो थोड़ा सा दबाव होगा। एक वार्ड में तो मेरा ही काउंसलर है, आम आदमी पार्टी का काउंसलर है। वहाँ ये काम नहीं कर रहे। काम करते हैं तो आधा टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। एक पार्क बनाया है इन्होंने, जेकेएल ब्लॉक का, बीस लाख रुपये का फंड था अध्यक्ष जी,

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी, कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री अजय दत्तः जी और जो उस पार्क को।

माननीय अध्यक्षः ये जो डेटें दी हैं, आपने सारी अगर राइटिंग में हैं।

श्री अजय दत्तः जी, मेरे पास हैं। मैंने आपको भी अध्यक्ष जी, एक लेटर लिख के दिया हुआ है और मैं सारी डिटेल दे रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः ये एक बार सदन पटल पर दे दीजिये।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि...

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब अजय दत्त जी, हो गया।

श्री अजय दत्तः ये ऑफिसर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है एक तो बीजेपी का दबाव हो सकता है लेकिन ये खुद भी जवाब जानबूझकर बना रहे हैं। ये चाहते नहीं हैं कि अपना काम करें और इनके कमिटमेंट की वेल्यू जीरो है। ***They should see their ways in the mirror and see whether on committing or not, if I commit, I deliver, so better they should deliver. Speaker sir, this is my simple and humble request, thank you very much.***

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। भई इसमें मेरे पास बहुत नाम हैं, बिजनेस बहुत बाकी है सही राम जी, प्लीज, मैं माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शिव चरण गोयल जी का भी मेरे पास नाम आया है, श्री सही राम जी का भी आया है, तोमर जी का भी आया है इसके अतिरिक्त मेरे पास अनिल बाजपेयी जी का भी आया है और

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं–नहीं, दो मिनट रुकिए ना, दो मिनट रुकिए। माननीय सदस्यों के पास जिनके पास... मैं केवल दो सदस्य अभी एलाउ कर रहा हूँ। तोमर जी, जो आपके पास सबूत हैं, वो टेबल पर दे दीजिए प्लीज। जिन भी, नहीं बोलने के लिए नहीं।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः सुनिए ना, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः नहीं, तोमर जी, दो मिनट रुकिए।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः अध्यक्ष जी, सुन लो ना। सबूत मेरे पास कुछ नहीं है। मैं जो बात करूँगा, वो बेसिक बात होगी, सैद्वांतिक बात होगी। जिसका कोई फायदा हो सकता है। आज क्योंकि तीनो कमिश्नर साहब बैठे

हुए हैं, यूडी मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, यूडी सैक्रेटरी बैठी हुई हैं, इसलिए कह रहा हूँ, कुछ फैसले हो जाएंगे। ये तो चुगलियाँ होती रहेंगी रोज, आज मेरा ये नहीं हुआ...

माननीय अध्यक्षः मैंने कहा ना, देखिए...

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः ये तो रोज की बात है।

माननीय अध्यक्षः मुझे भी कोई संदेश होगा ना, मैं कुछ बात कह रहा हूँ समझ लीजिए।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः मैं आपसे बात करूँगा, सैद्वांतिक बात है।

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं एलाउ नहीं करूँगा। प्लीज जिनके पास सबूत हैं, वो दे दीजिए।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः अध्यक्ष जी, अब मैं शुरू कर दिया तो धन्यवाद आपका, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मैं चुगली नहीं करूँगा, मेरे यहाँ ये हो गया, मेरे यहाँ...

माननीय अध्यक्षः आपने शुरू कर लिया, मैंने शुरू नहीं करवाया। आपने शुरू कर दिया।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः सर, आप...

... (व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बाः सर, तोमर जी को बोलने दीजिए।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः मैं ये कह रहा हूँ कि सैद्वांतिक बात को बतायें। ये जो लोग कहें कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये हो जायेगा, वो हो

जायेगा... चलो, सब मेरे साथियों ने बहुत सारी भावनाएं व्यक्त की अपने अपने इलाके की, तीन चार चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जो एनओसी की प्रॉब्लम है, ये सबसे ज्यादा साऊथ एमसीडी में है कि वहाँ वो रईस एमसीडी है, थोडी वहाँ काउंसलरों के पास फंड ज्यादा होता है, तो वो अटका देते हैं। क्योंकि वो अफसरों को धमका के रखते हैं और जब भी कोई एमएलए कहता है कि मैं इस पार्क में ये काम कर दूँगा, तो वो बुलाता है काउंसलर उसको, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टीकल्चर को बोलता है कि ये मैं कर रहा हूँ, मना कर दे एमएलए को। लेकिन जो बाकी जो एमसीडी हैं, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि नॉर्थ एमसीडी में मेरे यहाँ तो नहीं है। बड़ी स्पष्ट है और ईस्ट में पैसे नहीं हैं, बिल्कुल ही नहीं हैं तो कहाँ से होगी? ये जो रही हैं समस्याए अभी एक साल तक...

माननीय अध्यक्षः भई तोमर जी, ये तरीका ठीक नहीं है। सबके यहाँ समस्या है।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः सर, सुनो, मेरे यहाँ है सर।

माननीय अध्यक्षः आप जनरली नहीं ले सकते।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः सर सुन तो लो।

माननीय अध्यक्षः आपको अपने यहाँ की बात करनी है, करिए।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः सर, मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः ये समस्या ईस्ट दिल्ली में भी है, ये समस्या नॉर्थ एमसीडी में भी है।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः सर, सुनो, एनओसी की समस्या...

माननीय अध्यक्षः ये सब जो बोल रहे हैं नॉर्थ एमसीडी...

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः सर, हैं क्या, बहुत हैं। आप सुनिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ... सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। सर, यूडी...

माननीय अध्यक्षः नहीं, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं नॉर्थ एमसीडी को ईस्ट एमसीडी को।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः आप क्या सुनना चाह रहे हैं, सर? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ, मेरी सुन तो लीजिए आप। ये मैं एक सैद्वांतिक बात करना चाह रहा हूँ कि एमसीडी में पार्क तभी डेवलेप होगा जब उसके अंदर...

माननीय अध्यक्षः भई, आप सदन पटल पर दें। मैं अब कोई समय नहीं दे रहा हूँ। अब हम विषय से भटक रहे हैं, सभी विधायक प्लीज...

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः जरनैल भाई एक मिनट...

माननीय अध्यक्षः नहीं, तोमर जी, अब बैठिए प्लीज।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः सर, मेरी बात सुन लो, दो मिनट।

माननीय अध्यक्षः नहीं, हो गई तोमर जी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बैठिए, प्लीज।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः सर, बेसिक बात है जो हो ही नहीं पाई। प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है।

माननीय अध्यक्षः आपको समय मिला, बेसिक बात आपने की नहीं, इधर उधर की बात कर गये।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः मैंने एमएलए फंड से...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अजेश जी, प्लीज अजेश जी।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः मैं जो कह रहा हूँ, सुनो सर, मैं जो कह रहा हूँ, मैंने कहा मैंने बाउंडरी वाल बना दी, मैंने फुटपाथ बना दिया लेकिन जो गाइड लाइन है एमएलए फंड की, उसमें मैं उसके अंदर मिट्टी नहीं डलवा सकता, मैं उसके अंदर घास नहीं डाल सकता। इसलिए कह रहा हूँ, कोई फैसला आज हो जाये, यूडी मिनिस्टर साहब बैठे हैं, यूडी सैक्रेटरी साहिबा बैठी हैं कि क्या पहले 2008 तक ये होता था कि हम उसमें मिट्टी भी डलवा सकते थे, घास भी लगवा सकते थे, पेड़ पौधे भी लगवा सकते थे, खाद भी लगवा सकते थे। आज वो एमएलए की गाइड लाइन्स में नहीं है, एमएलए फंड की। ये कहना चाहता हूँ। जो बेसिक बात है मैं... बाउंडरी वॉल बना लें हम, उसके बाद जब पार्क को डेवलेप नहीं कर पाएंगे, उसमें धूल उड़ेगी। हम जिम लगा लेंगे उसके अंदर लेकिन धूल उड़ेगी। ये कहना चाहता हूँ मैं। दूसरी जो बात है...

माननीय अध्यक्षः प्लीज बैठिए आप।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः सर, आप सही बात सुनना नहीं चाहते।

माननीय अध्यक्षः बात सुन ली मैंने आपकी सारी।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः नहीं सुनना चाह रहे आप सर, सही बात।

माननीय अध्यक्षः आप बैठिए, मैंने सुन लिया प्लीज।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः सर, सही बात सुनना ही नहीं चाह रहे आप। मुझे निकाल दीजिए बाहर सर, मैं सही बात कह रहा हूँ कि आप गाइड लाइन में करवा दीजिए, मेहरबानी करके हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे।

माननीय अध्यक्षः नहीं, गाइड लाइन की बात आ गई ना।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः उस पर मिटटी भी डलवा लें, हम उसके अंदर घास भी लगवा लें, उसके अंदर हम पेड़ पौधे भी लगवा लें, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ सर और दूसरी मैंने ये कहा था कि जो ये समस्या है, मान लीजिए मेरे यहाँ एकदम प्रॉब्लम आ गई, पानी की मेरी लाइन सैटल हो गई कि पानी गंदा आ रहा है एकदम और मैं उसकी खुदाई करना चाहता हूँ, एमसीडी तुरंत सामान उठा लेती है वहाँ से नहीं करने देती काम, उसका कोई आर्डर कर दें आप यहाँ पर कि इमरजेंसी काम हो तो जल बोर्ड लिख कर दे वहाँ पर कि हमारा इमरजेंसी काम है और एमसीडी उसको रोके ना, मैं तो यही प्रार्थना करना चाह रहा हूँ। एमसीडी को आप ऑर्डर कर दें कोई। कमिश्नर बैठे हुए हैं यहाँ पर जो रेस्टोर करने वाले हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई ऋतुराज जी, मैं अब कोई अलाउ नहीं कर रहा। मुझे ये तरीका पसंद नहीं आ रहा। नहीं, बैठिए आप, बैठिए प्लीज।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो ऐजेंसी काम करे, वही रेस्टोर करे, ये आर्डर कर दीजिए बजाय इसके कि एमसीडी. अभी ओमप्रकाश जी कह रहे थे, बहुत पैसे लगते हैं। वाकई बहुत पैसे लगते हैं। आर आर चार्जेज का इतना बड़ा ईश्यू रहता है, जो सीवर लाइन डाले, उसको ऑर्डर कर दीजिए कि वो रेस्टोर भी कर ले। जो पानी की डाले,

उसको ऑर्डर करवा दीजिए। कुछ सैद्वांतिक बात हो जाये सर। मैं ये बात कहना चाह रहा था सर, और कुछ नहीं है इसके अंदर।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं अब कुछ नहीं दे रहा हूँ।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः सुनिए सर, ये कहाँ मौका मिलता है। मेरे यहाँ चार वार्ड हैं जिसमें दो वार्ड मेरे गाय वार्ड बने हुए हैं। मेरे यहाँ दो सौ–ढ़ाई सौ गाय हैं। हजार बार मैं कंपलेंट कर चुका हूँ।

माननीय अध्यक्षः भई तोमर जी, आज विषय दूसरा है, हम दूसरा ले रहे हैं।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः लेकिन सर कमिश्नर साहब...

माननीय अध्यक्षः नहीं कोई तरीका नही है ये। सदन नहीं चल सकता ऐसे, जो हम विषय कुछ है और हम ले कुछ रहे हैं। प्लीज, नहीं मैं अब किसी को...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः शिव चरण गोयल जी। बस, शिव चरण जी ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, इसके बाद दे रहा हूँ। भई मैं जगदीप की कह चुका जरनैल जी जरनैल जी, मैं कह चुका। आपके पास रिकॉर्ड है, ये सदन पटल पर दे दीजिये। मैं अब और कोई एलाउ नहीं कर रहा हूँ, प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट मानिए, प्लीज। प्लीज, बैठिए। सारे विषय रह जाएंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः शिव चरण जी।

श्री शिव चरण गोयलः एमसीडी के बारे में एक बात कहना चाहूँगा मैं शुरुआत करने से पहले।

माननीय अध्यक्षः नहीं, कोई अगर बारे में नहीं, अगर स्पेशलाइजेशन कोई है, पार्को के विषय में, वो आप दे सकते हैं। और कोई इसके अलावा मैं नहीं एलाऊ करूँगा।

श्री शिव चरण गोयलः डी ब्लॉक–कर्मपुरा, 22 जुलाई को एक सड़क का उद्घाटन किया गया, सड़क को तोड़ दी गई और आज अप्रैल हो गई है, अब तक वो सड़क बनाकर, कुछ भी नहीं कर रहें, कच्ची रोड डाल दी है। आज 9 महीने के बाद भी सड़क वैसे के वैसी ही है, लोग गिर रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः शिव चरण जी, आप सड़कों पर... मैं पार्कों में...

... (व्यवधान)

श्री शिव चरण गोयलः अच्छा पार्कों पर आ जाते हैं ... (व्यवधान)

श्रीमती सरिता सिंहः कमिश्नर साहब मौजूद है सर। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः इस विषय के लिए किसी और दिन रख लीजिए।

... (व्यवधान)

श्री शिव चरण गोयलः हाँ जी, पार्क पर आ जाता हूँ...

... (व्यवधान)

श्री ऋतुराज गोविन्दः अध्यक्ष महोदय, इस पर भी चर्चा कराओ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, ये देखिए, उस दिन जो चर्चा माँगी थी... एक बार बैठ जाइए, बाजपेयी जी। दो मिनट बैठिए, प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैंने आपसे कहा, आप दे दीजिए ना सदन पटल पर।

... (व्यवधान)

श्री ऋतुराज गोविन्दः अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ पर तीन साल पहले 33 लाख रूपया लिया एमसीडी ने, तीन कूड़ा घर बनवाने के लिए। आज तक तीन साल में नहीं हुआ।

... (व्यवधान)

श्रीमती सरिता सिंहः और जिस प्रकार शुरू हुआ है वो सड़कें अभी तक खुदी पड़ी है और जहाँ पता है विधायक सड़क बना रहा है, 6–6 महीने, 7–7 महीने तक खुदी पड़ी हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सरिता जी, बैठिए प्लीज। बाजपेयी बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं अब इस चर्चा को रोक रहा हूँ। बैठिए प्लीज। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये सड़क से, या नाली से, या खड़ंजे से, एमएलए लैड से जो भी प्रोब्लम हैं, एमसीडी से रिलेटिड.

वो कृपया मुझे लिखकर के एक बार दे दें। विधिवत लिखकर दे दें, किस डेट में दिया था पैसा। अब सरिता जी बता रही हैं, दो–दो साल हो गए मेरा नहीं लगा। ऋतुराज जी बता रहे हैं तीन साल हो गए। आपने तो बता दिया, सभी सदस्यों की ये समस्या है। एक बार इसको लिखकर दे दें विधिवत रूप से लेटरपैड पर। इस डेट पर मैंने एमएलए लैड दिया था, नो एक्शन... इस डेट पर एमएलए लैड दिया था, नो एक्शन... तो ताकि उसको एक विधिवत तरीके से लिया जा सके। भई देखिए शिव चरण जी, अगर अभी आज पार्कों के विषय में कोई विषय है तो।

... (व्यवधान)

श्री शिव चरण गोयलः सर पार्कों पर बताता हूँ।

माननीय अध्यक्षः हाँ, बता दीजिए प्लीज। बाजपेयी जी दो मिनट रुक जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः महेन्द्र जी।

... (व्यवधान)

श्री महेन्द्र गोयलः अनआथोराइज कॉलोनी के अंदर यदि मान लो, कोई 25 गज का मकान बना रहा है...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ये सरकार से आप रिक्वेस्ट करिए। एक दिन फिर एमसीडी पर चर्चा करवा लेते हैं।

... (व्यवधान)

श्रीमती सरिता सिंहः चर्चा होनी चाहिए...

... (व्यवधान)

श्री ऋतुराज गोविन्दः एक दिन का सदन और बढ़ा दीजिए।

... (व्यवधान)

श्रीमती सरिता सिंहः सर, हम भी विधायक हैं। इसलिए हमारी जो एमएलए की जो लोकल रिक्वायरमेंट हैं, वो तुरंत...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऐसे तो आज के जो बिजनेस के विषय लगे हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो सब रह जाएंगे। मैं आग्रह कर रहा हूँ, ये विषय गम्भीर है। मैं खुद मानता हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक दिन बढ़ा दें? चलिए अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी की और से इशारा हो गया है। बैठिए शिव चरण जी, प्लीज। एक दिन का सदन का समय और बढ़ाया जा रहा है। इस पर।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक सेकेंड, ओम प्रकाश जी प्लीज, प्लीज। अब कुछ करने तो दीजिए। महेन्द्र जी, बैठिए प्लीज। इसमें 280 कल हम नहीं रखेंगे। 2.00 बजे से टी ब्रेक तक एमसीडी पर चर्चा रहेगी। मेरा ये कहना है कि माननीय सदस्य समय है; वर्क आउट करके आएं। एक जनरल भाशण देना है तो कोई लाभ नहीं।

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी, पानी का भी रख लो।

माननीय अध्यक्षः मैं कर रहा हूँ यार! सुन तो लो। सुन तो लीजिए। इसको कम्पलीट करके लेकर आएं और विद रिकार्ड, विद डेट।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैंने बोल दिया 2.00 से 4.30, ढ़ाई घंटे बोल दिया, टी ब्रेक तक।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऐसे नहीं, अलका जी, प्लीज और टी ब्रेक के बाद जल पर, पानी पर मेरे पास सोमदत्त जी और ओम प्रकाश जी का, विजेन्द्र गुप्ता जी का आया था, उस पर कल टी ब्रेक के बाद पानी पर चर्चा रहेगी, गंदे पानी की और जल बोर्ड के अधिकारी कल उपस्थित रहें, टी ब्रेक के बाद, इसकी थोड़ी व्यवस्था हो जाएगी। अब मैं सारा यहाँ रोककर के, सिरसा जी कल बोल लीजिएगा प्लीज। माननीय मंत्री जी कल ही उत्तर देंगे? ठीक है, बहुत–बहुत धन्यवाद। अब आइटम नम्बर–2, रेजल्यूशन श्री मदन लाल जी ये अभी करके 4.30 ब्रेक करेंगे, पाँच मिनट का काम है ये। श्री सोमदत्त जी, दो मिनट रुक जाओ।

The Legislative Assembly of NCT of Delhi in its sitting held on 9April, 2018 in pursuance of the… Shri Madan Lal ji.

श्री मदन लालः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जब हम इस सभा के मेम्बर हैं तो हमें अच्छी तरह ज्ञात होता है कि हम यहाँ कानून बनाते हैं। उन कानून का पालन करवाने के लिए ये सरकार जिम्मेवार है और कानून का विधिवत पालन हो, उसके लिए जुडिशियरी है। कई बार

विगत में देखा गया है कि विधान सभा के ऊपर कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में मुकदमें किए हैं। चाहे वो मुकदमें सरकार के किसी अफसर ने किए हों या कभी–कभी विधान सभा के स्पीकर की ओर से भी मुकदमें हुए। क्योंकि विधान सभा की जो कमेटियाँ हैं, वो उत्तरदायी हैं इस विधान सभा के लिए और विधान सभा में जो भी कायदे नियम, जो प्रावधान बनाए जाएं, उनका वो पालन करवाएं, वो कमेटी के माध्यम से होता है। फिर वो चाहे क्वेश्चन एंड रेफरेंस कमेटी हो, चाहे वो एकाउंटस कमेटी हो, चाहे वो प्रिविलेज कमेटी हो, इन कमेटियों के माध्यम से उन अफसरों की जवाबदेही होती है जिन अफसरों की तनख्वाह इस सदन के द्वारा दी जाती है। स्पीकर सर, अगर हम आज की वस्तुस्थिति देखे तो आज लगभग 15 केस जो जानकारी में हैं, वो दिल्ली विधान सभा के ऊपर हैं या उनमें से इक्का–दुक्का केस माननीय स्पीकर साहब की तरफ से हैं। मैं उनका वर्णन जरूर करना चाहूँगा जिससे जो रेजल्यूशन मैं देना चाहता हूँ, उस पर कार्रवाई हो सके।

पहला केस है–राम निवास गोयल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा केस–प्रसन्ना कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अश्विनी कुमार वर्सेस असेम्बली, स्पीकर वर्सेस अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार सेक्रेटरी रहे है हमारे यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी। एम.एम.कुट्टी वर्सेस गवर्मेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, स्पीकर वर्सेस एम.एम.कुट्टी। जगदीप राणा वर्सेस स्पीकर एंड अदर्स, जगदीप राणा का एक और केस, ओम प्रकाश शर्मा जी का एक केस, अभिषेक आनंद का एक केस, प्रशांत कुमार उमराव वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, अंशु प्रकाश, अभी के चीफ सेक्रेटरी वर्सेस गवर्मेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, शूरबीर सिंह, सीईओ–डीयूएसआईबी वर्सेस जीएनसीटीडी, जे.बी.सिंह वर्सेस जीएनसीटीडी, शूरबीर सिंह वर्सेस जीएनसीटीडी, जे.बी.सिंह वर्सेस जीएनसीटीडी और विजेन्द्र गुप्ता वर्सेस जीएनसीटीडी।

स्पीकर साहब, जब ये केस विधान सभा के ऊपर हों या विधान सभा ने कोई मुकदमें फाइल किए हों तो हाई कोर्ट में अपीयरेंस के लिए हमें वकीलों की जरूरत पड़ती हैं। बहुत सारे मुकदमों में जो वकील जाते हैं, वो वो हैं, जो दिल्ली सरकार के पैनल पर हैं और वहाँ चूँकि दिल्ली विधान सभा पर मुकदमें डालने वाले बहुत समझदार हैं, वो जानबूझकर माननीय एलजी साहब को पार्टी बनाते है और जब लेफ्टीनेंट गवर्नर की तरफ से जाने वाला वकील उनके साथ जिन्होंने दिल्ली विधान सभा के खिलाफ मुकद्मा डाला, उनके साथ जाके खड़ा हो जाता है कि हम इनकी सब्मिशन से सहमत हैं तो बहुत अजीब सी स्थिति पैदा होती है। हमारे वकील कई बार कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले वकील बहुत उच्चतम श्रेणीं के ही नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा इन्फुलैंशिएल होते हैं, जिसकी वजह से हमारे वकील कई बार कमजोर पड़ते हैं। हमारा केस कमजोर होता है और उस कमजोर केस होने की वजह से हमारी सॉवरनिटी हमारी इंडीपेन्डेंस, हमारा ऑनर, ये कई बार डगमगा जाता है। हमने पीछे कई मुकद्मों में देखा है कि वो मुकद्मों की जरूरत न होते हुए भी सरकार के वो करप्ट, भ्रष्ट ऑफिसर्स, निकम्मे अफसर जो विधान सभा की जवाबदेही से बचना चाहते हैं, हाई कोर्ट का रास्ता अपनाते हैं और उन्हें मदद या तो सेंट्रल करता है, नही तो एलजी आफिस करता है। जिसकी वजह से हमें अपने मुकद्दमें लड़ने में काफी दिक्कत आती है। हमारे मुकद्दमों की फीस देने के नाम पर सरकारी अधिकारी अड़ंगा लगाते हैं। अभी पीछे जो–जो एडवोकेट हमारी तरफ से पेश हुए, हालाँकि माननीय वित्त मंत्री और माननीय लॉ मिनिस्टर दोनों ने एग्री किया कि हाँ, विधान सभा के खिलाफ लड़ने वाले केसों की फीस सरकार को देनी चाहिए, देना पड़ेगा उसके बावजूद भी वो फाइल क्लीयर नहीं हुई हैं। उन सारी बातों को मद्देनज़र और इस

सभा की सॉवरनिटी और रिस्पेक्ट को मेनटेन करने के लिए ये जरूरी है कि स्पीकर सर आपके पास ऐसे अधिकार हों कि आप अपने लेवल पर वकील मुकर्रर करें और विधान सभा का केस विधान सभा लड़े।

अतः मैं एक रेजुल्यूशन मूव करना चाहता हूँ और आपकी परमिशन चाहता हूँ कि वो रेजुल्यूशन पेश करने की मुझे इज़ाजत दे दी जाये।

माननीय अध्यक्षः इज़ाजत है।

श्री मदल लालः धन्यवाद स्पीकर सर। मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

"The Legislative Assembly of NCT of Delhi, in its sitting held on 09 April 2018

In pursuance of the decisions taken by the General Purposes Committee of the Legislative

Assembly in its meetings held on 17 November 2016 and 09 April 2018; and

Taking into consideration, various litigations in the courts of law that the Legislative Assembly is forced to enter into,

Hereby resolves:

that all the decisions regarding selection and terms and conditions including the fixing and

payment of professional feeèremuneration for engagement of legal professionals and consultants to procure necessary services for the Legislative Assembly be taken by Hon'ble Speaker;

that the Hon'ble Speaker is free to adopt the procedure that he deems to be in the best interest of safeguarding the independence of the Legislature for arriving at such decisions in this regard;

that the Secretariat of the Legislative Assembly shall meet all the expenses to be incurred on this count from its budget with due approval from Hon'ble Speaker and Hon'ble Speaker alone; and

that any attempt in any quarter to do anything in violation of this resolve of the Legislative

Assembly shall be treated as Contempt of the House and Breach of Privilege of the House and

all those responsible for any such contemptuous conduct shall be proceeded against as decided by Hon'ble Speaker and as per the Rules and Procedures of the House.'

माननीय अध्यक्षः श्री सौरभ भारद्वाज।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, धन्यवाद और मैं मदन लाल जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वो सदन के अंदर इतना महत्वपूर्ण संकल्प ले के आये हैं। ये जो मामला है, ये काफी कम्प्लीकेटेड मामला है। और ये ज्यादा कम्प्लीकेटेड इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली की प्रशासनिक स्थिति जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है, वो काफी कॉम्प्लेक्स पहले से ही था

और अभी की जो केन्द्र सरकार है, उसने उसको और ज्यादा कम्प्लीकेटेड कर दिया है।

अध्यक्ष जी जिन मुकद्मों का मदन लाल जी जिक्र कर रहे हैं, ये मुकद्दमें हमारी दिल्ली की विधान सभा और दिल्ली के अफसरों के बीच में चल रहे हैं। ये मुकद्दमें कोई ऐसे नहीं हैं कि अध्यक्ष के बीच में, विधान सभा के अध्यक्ष के बीच में और दिल्ली सरकार के अफसर के बीच में मुकद्मा चल रहा है। ये अपने आप में बड़ी असमान्य स्थिति है। ये बिल्कुल एक्सट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है कि दिल्ली की चुनी हुई विधान सभा के अध्यक्ष और इस विधान सभा के अधीन आने वाले, सरकार के अधीन आने वाले अफसर दिल्ली के विधान सभा के साथ, दिल्ली की विधान सभा के अध्यक्ष के साथ मुकद्दमेबाजी कर रहे हैं। ये मुकद्दमेबाजी दिल्ली की विधान सभा के अध्यक्ष की कोई जमीन के बारे में नहीं है। कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जिसके ऊपर दोनों पार्टीज के ऊपर मुकद्दमा चल रहा है। ये मामले सीधे–सीधे दिल्ली के अंदर हो रहे बड़े–बड़े भ्रष्टाचार से संबंधित हैं। इन भ्रष्टाचारों के ऊपर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी पहली तौर पे उन अफसरों की है, जो दिल्ली सरकार के अंदर काम करते हैं। उन अफसरों को तनख्वाह मिलती है इस चीज की, कि वो भ्रष्टाचार जो है, जो इररेगूलैरिटी हैं, जो उनकी नाक के नीचे चल रहे हैं, जिनके लिए कंप्लेंट्स आ रही हैं, उसके ऊपर वो कार्रवाई करें। वो अफसर जब कार्रवाई नहीं करते तो ये मामले दिल्ली विधान सभा के अंदर समितियों के माध्यम से आते हैं। और जब समितियाँ भ्रष्टाचार के आरोप की जाँच करती हैं, अफसरों को यहाँ बुलाती हैं और अफसर उसके अंदर दोषी पाये जाते हैं और दिल्ली की विधान सभा उन भ्रष्ट अधिकारियों को सजा देने की तरफ बढ़ रही होती है तो ये अधिकारी हाई कोर्ट के अंदर झूठे–सच्चे मुकद्दमे दर्ज कराते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इसलिए

बन जाती है कि ये बहुत ही अजीबो–गरीब बात है कि हमारे द्वारा निर्धारित की गई, हम लोग बजट पास करते हैं, सरकार के अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है, हमारी समितियाँ उन सरकारी अधिकारियों का भ्रष्टाचार पकड़ती हैं, वो लोग इस विधान सभा के खिलाफ मुकदमा करने के लिए हाई कोर्ट जाते हैं। तो उनको इज़ाजत कौन देता है? कोई भी अधिकारी अपनी ही सरकार के खिलाफ अगर जा रहा है तो उसको इज़ाजत लेनी पड़ती है। और ये इज़ाजत इतनी आसान नहीं है मिलनी। इज़ाजत कौन देता है? दिल्ली का ही लेफ्टीनेंट गवर्नर। दिल्ली के लेफ्टीनेंट गवर्नर अनिल बैज़ल भ्रष्ट अधिकारियों को इज़ाजत देते हैं कि जाओ, विधान सभा के खिलाफ मुकद्दमा करो। जाओ अपनी ही चुनी हुई सरकार के खिलाफ मुकद्दमा करो। जाओ विधान सभा की कमेटियों के खिलाफ मुकद्दमा करो। तो दिल्ली का ही उप–राज्यपाल, दिल्ली के ही अधिकारियों को... भ्रष्ट अधिकारियों को इज़ाजत देता है कि जाओ, किसी तरह से बच जाओ। भ्रष्टाचार से बच जाओ और उनको वकील भी मुहैया कराये जाते हैं। एलजी की तरफ से वकील जो खड़े होते हैं, वो भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं वहाँ पे। कहते हैं, ''हाँ, ये भ्रष्टाचारी सही कह रहा है, इसको सजा नहीं होनी चाहिए।'' और जो दिल्ली विधान सभा की तरफ से वकील खड़े होते हैं... अब कोई भी वकील फ्री में तो नहीं आयेगा। आजकल हाई कोर्ट के अंदर वकील, जो बड़े–बड़े वकील हैं, कोई 11 लाख रूपये अपीयरेंस का ले रहा है, कोई डेढ़ लाख ले रहा है, कोई चार लाख ले रहा है, सब वकीलों के अपने–अपने प्रैक्टिस के हिसाब से उनके रेट्स हैं। अब दिल्ली की विधान सभा अगर अपनी तरफ से वकील खड़ा करती है तो उसका पैसा भी वही अफसर हाँ या न करेंगे। मतलब वो भ्रष्टाचारी अधिकारी जो दिल्ली विधान सभा के खिलाफ अपने भ्रष्टाचार से बचने के लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं, दिल्ली विधान सभा अपनी तरफ

से वकील खड़ा करेगी तो वो उस वकील को पैसा दिया जायेगा या नहीं दिया जायेगा, वो भी वही भ्रष्टाचारी अधिकारी तय करेंगे। ये कैसे हो सकता है? एलजी जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, लगातार पिछले दो साल से संरक्षण दे रहे हैं, वो तय करेंगे कि दिल्ली विधान सभा की तरफ से जो वकील जायेगा, उसको पैसे दिये जाएंगे या नहीं दिये जाएंगे। दो–दो साल से जो वकील दिल्ली विधान सभा के लिए खड़े हुए हैं, जिन्होंने मुकद्दमे लड़े हैं, दिल्ली विधान सभा का केस लड़ा है, उन वकीलों को उनकी फीस नहीं दी जा रही। किसी–किसी के 18–18 लाख रूपये हो गये, किसी के चार लाख जुड़ गये। अब वो जो वकील हैं, वो दिल्ली विधान सभा की तरफ से क्यों केस की पैरवी करेंगे? जब आप उनको फीस ही नहीं दे रहे हैं तो। तो ये जो पूरा का पूरा जो मामला है ये एडमिनिस्ट्रेटिव गड़बड़ी है।

मुझे लगता है कि ये कॉन्फिलिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि एलजी या कुछ अधिकारी तय करेंगे कि वकील को फीस दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। जब भ्रष्टाचारियों की वकीलों की फीस दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है, एलजी साहब भ्रष्टाचारियों के वकीलों की फीस दे रहे हैं और जो विधान सभा दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है, उनको सजा दिलाने का काम कर रही है, उनके वकीलों की फीस रोकी हुई है, दो–दो साल से। ये एक न सिर्फ प्रशासनिक गलती है, मुझे लग रहा है, ये एक ऐसी बेशर्मी है, दिल्ली के अंदर जो अपनी चरम पे पहुँच गई है। कोई इस बात को समझना नहीं चाहता, कोई इस बात को लिखना नहीं चाहता, कोई इस चीज पे टीवी के अंदर प्रोग्राम नहीं करना चाहता कि ये पूरा का पूरा गोरखधंधा कैसे चल रहा है दिल्ली के अंदर इतने सालों से। तो मदन लाल जी ने जो बात कही है, मैं उसी बात को आगे–आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगा

कि दिल्ली विधान सभा किसको वकील रखती है, उसको कितनी फीस देती है और फीस जल्द से जल्द देने का जो पूरा का पूरा निर्णय है, वो दिल्ली विधान सभा के पास होना चाहिए, हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं, उनके पास होना चाहिए। ये कोई एलजी नहीं डिसाइड करेंगे, या दिल्ली सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए बाबू नहीं डिसाइड करेंगे कि वो वकील की फीस रोक दे। ये जो पूरा का पूरा अधिकार है, ये दिल्ली विधान सभा की स्वायत्तता से जुड़ा हुआ है, हमारी इस विधान सभा की प्रिविलेजेज से जुड़ा हुआ मामला है और जो दिल्ली सरकार का अफसर इस तरीके की फाइल्स के अंदर अडंगा लगाए, उनके ऊपर सीधा–सीधा विशेषाधिकार के हनन का मामला चलना चाहिए। ये सीधा–सीधा दिल्ली विधान सभा की प्रिविलेजेज को हर्ट करने वाला मामला बनना चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ प्रिविलेजेज प्रोसिडिंग, प्रिविलेज प्रोसिडिंग जो है, वो शुरू करनी चाहिए। ये मुझे लगता है, इस पूरे के पूरे जो संकल्प है, जो मदन लाल जी ने पेश किया है, उसका निचोड़ है और मैं तहे दिल से इस संकल्प का स्वागत करता हूँ और इसको सपोर्ट करता है, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः श्री सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। आपने मेरे को इस संकल्प के लिए बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, जब मैं इसको पढ़ रहा था, इस संकल्प में जो लिखा गया और जो बोला गया, जो केसेज की जानकारी दी गई; इस संकल्प में लिखा गया किः

the Hon'ble Speaker is free toAdopt the procedure that he deems to be in the best interest of safeguarding the independence of the Legislature for Arriving at such decisions in this regard;

लेकिन जो नाम लिए गए विजेन्द्र गुप्ता जी वर्सेज एनसीटी या कोई आईएएस अफसर वर्सेज एनसीटी वो दिल्ली सरकार के केस, दिल्ली सरकार के खिलाफ किसी ने केस डाला उसमें लेजिस्लेचर हमारे विधान सभा के एडवोकेट होंगे, ये बात अभी मैं समझ नहीं पाया, इसकी लाइनें कुछ ओर हैं और जो केस पढ़के रैफरेंस दिए गए।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः नहीं, मेरी जो भावना है, मैं बताना चाहता हूँ, मेरी भावना ये थी क्या जो दिल्ली सरकार के खिलाफ कोई केस करेगा, उसमें जो एडवोकेट खड़ा होगा, उसकी माँग हम रख रहे हैं कि वो अध्यक्ष जी उसको तय करेंगे वकील कौन खड़ा होगा... एक मिनट मैं पूरी कम्पलीट कर दूँ बात।

माननीय अध्यक्षः मदन लाल जी, कर लेने दीजिए इन्हें बात।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हो सकता है समझने में मेरी गलती लग रही हो। मैं न समझ पाया हूँ और क्या जो दिल्ली सरकार के खिलाफ कोई केस करेगा, दिल्ली की सरकार एक चुनी हुई सरकार है, उसके पास बिल्कुल ये राइट होना भी चाहिए, हमने पहले भी बार–बार कहा, फिर आज कहते हैं, दिल्ली सरकार के चुनी हुई सरकार के जो राइटस हैं, वो दिल्ली सरकार के पास रहने चाहिए उसमें किसी का भी चाहे लेफ्टीनेंट गवर्नर हों या कोई केंद्र की सरकार, उसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, इस सवाल पे हम इनके साथ सहमत हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा और जो अभी नाम पढ़के केसेज का रेफरेंस दिया गया, उससे ऐसी भावना आई कि अब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है, वो स्पीकर महोदय के माध्यम से होगा, जो इलैक्टेड गवर्नमेंट ने करना था कि एडवोकेट कौन खड़े होंगे, किस केस

में खड़े होंगे, किस सरकार के खिलाफ और कौन सा एडवोकेट होगा कि शायद वो अधिकार जो है, विधान सभा अध्यक्ष को दिए जा रहे हैं। तो मेरा केवल दो बातों पर एतराज है। अगर ये ऐसा है, जैसी मैं भावना समझ रहा हूँ, जो मैं समझ पाया हूँ तो हम इसकी कड़े शब्दों में विरोध करते हैं ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। एक चुनी सरकार के अधिकार, चुनी हुई सरकार के पास रहने चाहिए, स्पीकर महोदय के अधिकार तो हैं ही हैं उनके पास हैं। लेकिन अगर स्पीकर के खिलाफ कोई केस है तो निश्चित तौर पर वो आपके अधिकार क्षेत्र में है कि वो कौन एडवोकेट जाएगा, वो आपको रेजल्यूशन ले आएं, हम भी उसको सपोर्ट कर देंगे, उसके अलावा नहीं। लेकिन सरकार के खिलाफ सरकार के वकील, सरकार का काम है खड़े करना और अगर उसको घुमा–फिरा के ये चक्कर चलाने का चक्कर है कि उसको अध्यक्ष महोदय अपने पास लेंगे और उसे अपने माध्यम से चलाएंगे, हम उसका कड़ा विरोध करेंगे, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः मैं क्लीयर कर देता हूँ। पढ़िए, सिरसा जी, जरा देख लीजिएगा।

श्री मदन लालः सर, मेरा जो रेजल्यूशन था सर उसका तीसरा पैराग्राफ है, जो अभी सर्कुलेट भी कर देंगेः

Taking into consideration various litigations in the court of law that is Legislative Assembly supposed to enter into.

इसका सर, मैं हिन्दी में एक बार जो हिन्दी का पूरा प्रारूप है उसे भी पढ़ देना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं अच्छी... दिनांक 17 नवम्बर, 2016 तथा 9 अप्रैल, 2018 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में तथा न्यायालयों में चल रहे विभिन्न वादों को ध्यान में रखते हुए जिनमें कि

विधान सभा को बाध्य होकर लिप्त होना पड़ रहा है, यह संकल्प करती है। इसका सीधा–सीधा अर्थ है कि वो मुकद्दमें, चाहे भले ही दिल्ली सरकार के खिलाफ करें हों, पर जहाँ विधान सभा को घसीटा गया हो, जहाँ विधान सभा को भी पार्टी बनाया हो और ये संकल्प केवल विधान सभा से संबंधित है, दिल्ली सरकार अपने पक्ष को बचाने के लिए अपने वकील करेगी, जहाँ कहीं भी दिल्ली विधान सभा का कोई मुकद्दमा होगा या दिल्ली विधान सभा किसी के ऊपर मुकदमा करना चाहेगी, केवल वहीं के लिए ये संकल्प है कि आप

Hon'ble speaker should be free to entertain, to invite, to engage Any lawyer. तो ये केवल हिन्दी में भी मैं तुरंत पढ़ देना, आपकी इजाजत से चाहूंगा, जिससे कोई भ्राँति न रहे।

माननीय अध्यक्षः नहीं, क्लीयर है उसमें। मैं क्लीयर कर देता हूँ।

श्री मदन लालः उसका तीसरा पैराग्राफ बड़ा क्लीयर है। ये कहता हैं विधान सभा की सामान्य प्रयोजन समिति द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2016 तथा 9 अप्रैल, 2018 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में तथा न्यायालयों में चल रहे विभिन्न वादों को ध्यान में रखते हुए जिनमें कि विधान सभा को बाध्य होकर लिप्त होना पड़ रहा है, यह संकल्प करती है कि विधान सभा के लिए कानूनी सेवाओं को लेने के लिए पेशेवरों व परामर्शदाताओं को अनुबंधित करने के संबंध में पेशेवर शुल्क, पारिश्रमिक सहित, चयन, नियम व शर्तों से संबंधित सभी निर्णय माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा लिए जाएंगे कि विधान सभा की स्वतंत्रता के परिरक्षण के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ऐसी कोई भी प्रक्रिया अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगे जिसे वो ठीक समझें कि विधान सभा सचिवालय इस संबंध में होने

वाले सभी खर्चों को माननीय अध्यक्ष और केवल, माननीय अध्यक्ष जी की विधिवत स्वीकृति से अपने बजट से पूरा करेगा और कि इस संकल्प के उल्लंघन के किसी ओर से किए गए किसी भी प्रयास को सदन की अवमानना तथा सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा तथा इस प्रकार के अवमानना पूर्ण किसी भी प्रकार के कार्य के लिए उत्तरदायी सभी के विरूद्ध सदन के कार्य एवं प्रक्रिया संबंधित नियमों के अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय जो भी निर्णय करेंगे, वह कार्रवाई की जाएगी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, ओमप्रकाश जी, देखिए, एक बार मैं क्लीयर कर दूँ, फिर उसके बाद आप लोग जो कहेंगे, वो देखेंगे। जो आप कह रहे हैं, इसमें रिस्पॉन्डेंट नम्बर वन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी है लेकिन उसी के साथ रैस्पॉन्डेंट नंबर टू बनाया गया है, सेम केस में, वो स्पीकर को बनाया गया है। रैस्पॉन्डेंट नंबर थ्री एंड फोर विधान सभा की कमेटी को बनाया गया है। जब कमेटी और स्पीकर को बनाया गया है तो मुझे लड़ने के लिए वहाँ मुझे अपना सुरक्षित वकील चाहिए जो विधान सभा का पक्ष रख सके। विधान सभा का पक्ष रखने का अर्थ है कार्यपालिका का, विधायिका का, कार्यपालिका अपनी जगह रखेगी, विधायिका का पक्ष रखने के लिए तो कोई चाहिए, जहाँ कानून बनता है, वहाँ वही एलजी के वकील आ के खड़े होते है, या सैंट्रल गवर्नमेंट के वकील खड़े होते हैं जो हमारा पक्ष नहीं रखते, विधायिका के विरूद्ध पक्ष रखते हैं, कानून बनाने वालों के विरूद्ध पक्ष रखते हैं तो ये लॉग टर्म में बड़ा हानिकारक है। उसके लिए ये प्रस्ताव है। और मैं इसमें और दो लाइनें क्लीयर कर दूँ। इसके लिए मैंने माननीय वित्त मंत्री जी को, लॉ मिनिस्टर को लिखा था। दोनों को आग्रह किया था, लिखा था

कि विधान सभा से रिलेटेड जो भी केस हैं, जिसमें विधान सभा को पक्ष बनाया जाता है, पार्टी बनाया जाता है। उसकी इजाजत कृपया विधान सभा को दे दी जाए; वो वकील करें, पेमेंट करें। उसके पीछे कारण क्या है कि हमको वकील करने पड़े। वकीलों की पेमेंट वहाँ से नहीं होती। वो पेमेंट करने ही नहीं देते। कई महीनों से बिल लटके हुए हैं। लॉ मंत्री जी ने अपने नोट में हमको भेज दिया कि विधान सभा स्वतंत्र है। इसके लिए अपना वकील करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। हमारे वित्त मंत्री जी ने भी हमको ये नोट बनाकर भेज दिया। उन दोनों को हमने मंजूरी के लिए, मैंने पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो किया, मिनिस्टरी में भेजा चीफ सेक्रेटरी को, फाइनेंस सेक्रेटरी को। लेकिन वहाँ से... दुर्भाग्य! आज कितने महीने हो गए, तीन महीने से उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि विधान सभा को स्वतंत्र कर दिया जाए। जब तक कार्यपालिका विधायिका को स्वतंत्र नहीं करेगी, विधायिका कार्यपालिका के अंतर्गत काम करती रहेगी। तो हम यहाँ अधिकारियों को बुलाकर के उन पर कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते। विधायिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र करना पड़ेगा और ये आज अवसर मिला है, अवसर चल रहा था कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब कार्यपालिका ने जिस ढंग से रोड़े अटकाने शुरू किए हैं, इसलिए मजबूर होना पड़ा है कि ये प्रस्ताव सदन में पारित हो, ये मेरा इसमें आग्रह है। बाकी देखिए इसमें अब और बहस का विषय नहीं है। नहीं, मैं सरकार का, नहीं ओम प्रकाश जी, ऐसे नहीं। मैं कोई सरकार का रोल नहीं कर रहा हूँ। आप, ठीक है, बैठिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः जो कार्यपालिका है, मैं समझता हूँ, विधायिका जो है, हमारा हाउस जो है, वो निर्णय पर नहीं पहुँच पा रहा है इसको लेकर के कि जो हमारे एडवोकेट हैं, उनकी फीस जो स्पीकर साहब केस कर रहे हैं, जो विधान सभा के खिलाफ केस हैं, पर अध्यक्ष

जी, आप ये जो रेजल्यूशन ला रहे हैं, ये तो कोई कानून नहीं बन सकता। आपने जब तक इसका कानून नहीं बनेगा, आप इसको लागू नहीं कर सकेंगे। इससे तो सिर्फ केवल और केवल टकराव आना चाहता है कि यहाँ टकराव खड़ा करना। मेरी एक मिनट सब्मिशन सुन लेना, मैं अपनी भावना व्यक्त कर दूँ, हो सकता है गलत भी हूँ पर मुझे 30 सेकण्ड दे देना प्लीज।

अध्यक्ष जी, मैं जो इसकी भावना समझ पा रहा हूँ, आपने खुद ही वो बात कह दी कि आपने कानून बनाने के लिए भेजा। देखिए अल्टीमेटली ये जो विधायिका है, ये कानून पारित करने के लिए तो है। हम इसमें तो आपका समर्थन करेंगे कि आप जो भी कानून लाएंगे... क्योंकि सरकार है, सरकार का फर्ज है और सरकार जो भी कानून लाए, सरकार का कानून लाना फर्ज है और आपके पास मेंडेट... आपको बनाना भी चाहिए कानून। लेकिन बिना कानून बनाए, आप इस तरह का रेजल्यूशन लाएं जिसका कोई अर्थ होने वाला नहीं है। फिर वहीं सिचुएशन दोबारा से सामने खड़ी होने वाली है। क्योंकि न तो आपने बजट में ऐसे प्रोविजन आ सकते हैं... सरकार ने ऐसे बजट में प्रोविजन लेकर के नहीं आई। आपने हाउस से ऐसा मेंडेट लिया नहीं। आप जो इसका काम कर रहे हैं, इससे एक नई आप लड़ाई जंग छेड़ने का काम कर रहे हैं। न तो इसका सार्थक परिणाम निकलेंगे और न ही सार्थक कोई डिसीजन हो पाएगा। हाँ, इसका एक डिसीजन जरूर है, आप विधान सभा के अंदर जो मत लेके आए, आप कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। क्या देश के अंदर कोई ऐसी और विधायिका है, जिस विधायिका के पास ऐसे अधिकार हों। आप उस अधिकारों को लेकर विधान सभा के अंदर रखें और हम आपका समर्थन करेंगे, इसके लिए हम विरोध नहीं करेंगे आपका।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई अखिलेश जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः यार! हमें बात कर लेने दीजिए। हम...

माननीय अध्यक्षः अखिलेश जी, क्या...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, हम आपका इसमें पूरा सहयोग करेंगे। पर मैं आपको ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, ये अगर आप खाली ये दो लाइन प्रस्ताव लाकर और एक नई जंग छेड़ना चाह रहे हैं। तो मैं दिल्ली के हित के लिए, दिल्ली की लड़ाई सड़कों पर न आए, दिल्ली के हित के लिए हम इसका विरोध करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, धन्यवाद।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, अखिलेश जी दो मिनट रूकिए। सिरसा जी, जहाँ तक कानून की बात की ये कानून की किताब विधायिका के विषय में साइलेंट है। मैं सारा पढ़ चुका हूँ इस विषय को लेकर। कोई इस पर कानून नहीं है, कोई इस पर हमारे लिए आदेश नहीं है। जहाँ तक अन्य सरकारों की बात है, अन्य जो आपने दूसरा विषय उठाया; अदर विधान सभाएं, वो सब खुद पेमेंट करती हैं, खुद वकील करती हैं। ये मैं स्टडी कर चुका हूँ। तभी उसके बाद, नहीं, कोई कानून नहीं है, उनके मैंने सब मंगा लिए हैं। वो उनके विधायिका वहाँ स्वतंत्र है, वहाँ कोई कानून नहीं है, इसका कोई कानून नहीं है। यहाँ नहीं स्वतंत्र है। चलिए, अब इसको लंबा नहीं, थोड़ा–सा माननीय वित्त मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

माननीय उप मुख्य मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है; लोकतंत्र में कार्यपालिका जो एग्जिक्यूटिव है,

उसके ऊपर असेम्बली या कोई भी सदन जो मदर ऑर्गनाइजेशन है, वो रहेगा ही। बस एक व्यवस्था देने की बात है। और मुझे नहीं लगता कि सिरसा जी जो बात कर रहे हैं, इसके लिए कानून है क्योंकि ये तो ऐसे ही है जैसे आप तय कर रहे हो भई ये फाइनेंशियल पॉवर्स हैं। फाइनेंशियल पॉवर्स के लिए कानून की जरूरत नहीं होती है। फाइनेंशियल पॉवर्स अरेंजमेंट के तहत होती है, अप्रोप्रिऐशन है। ये ही सदन हमेशा तय करता रहा है कि शिक्षा को कितना देना है, विधान सभा को कितना देना है, बाकी को कितना देना है, किस विभाग को कितना देना है, तो ये भी है। तो मैं सरकार की ओर से कहना चाहता हूँ कि इसमें ये एक अच्छा प्रस्ताव है। जिसमें विधान सभा अपने प्रोफेशनल्स... जो इसमें शब्द यूज किया गयाः ***Remunerations for engagement of legal professionals and consultant to procure necessary services for the Legislative Assembly , be taken by hon'ble Speaker sir.'*** तो ये एक अच्छा प्रस्ताव है, मैं इसका समर्थन करता हूँ और सरकार के साथ–साथ ये आश्वासन भी देता हूँ कि सरकार इसको जो भी आवश्यकता अनुसार फंड्स होंगे, वो भी उपलब्ध कराएगी और ये सिर्फ क्लेरिफिकेशन के लिए कि ये कोई नई व्यवस्था नहीं लागू कर रहे। ये तो सिर्फ एक अप्रोप्रिएशन का प्रस्ताव आया है माननीय सदस्य की तरफ से कि खर्च करने की सीमा, खर्च करने के सेंक्शन देने का अधिकार किसके पास में होगा, तो वो इस प्रस्ताव का सरकार समर्थन करती है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब ये, नहीं ओम प्रकाश जी, हो गया प्लीज। मैंने एक... सबको नहीं मैं दे सकता। नहीं, ये बिल नहीं है। वो गृह मंत्री जी से पूछ लीजिए क्या हुआ। हाँ लाइए–लाइए। श्री मदन लाल जी संकल्प पढ़ें। हाँ! अब श्री मदन लाल जी, माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करने

की अनुमति लेंगे... संकल्प प्रस्तुत हो चुका है। ये प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वो हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें;

हाथ कांप रहा है आपका।

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। सदन द्वारा माननीय सदस्य को संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।

अब माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करेंगे। ये हो गया। ये तो गलत लग गया, ये उल्टा लग गया। नहीं–नहीं, वो हो गया। वो गलत पेज आगे–पीछे लग गया। अब एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर रहे हैं।

अब श्री मदन लाल जी माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में हैं, वो हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

संकल्प स्वीकार हुआ। जरा आधे घंटे के लिए टी ब्रेक।

(सदन की कार्यवाही चाय काल के लिए आधे घंटे के लिए स्थगित की गई।

सदन सायं 5.31 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः अच्छा समय को थोड़ा सा संभाल लें। 6.00 बजे मुझे स्वयं जाना है और आज डिप्टी स्पीकर नहीं हैं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, फिर आप झुग्गी पर बात करा लो ना, जो मेरा है।

माननीय अध्यक्षः किसपे? नहीं, कल एक दिन बढ़ गया न सदन।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः पानी का हमने दिया है समय पूरा। नहीं, पानी का समय दिया है कल भाई।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ झुग्गी और पानी। अभी मुझे शुरू करने दीजिए प्लीज एक बार। एक बार शुरू करने दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठो तो सही। बैठो तो सही दो मिनट। सौरभ जी आपका विषय आज लेना है क्या ये। रिपोर्ट आफ दिल्ली डायलॉग।

श्री सौरभ भारद्वाजः सर, एक सुझाव ये है अगर इसमें जो है आज...

माननीय अध्यक्षः नहीं, एक विषय तो ले लें अब। आधा घंटा है। मैं झुग्गी वाला विषय ले लेता हूँ, चलिए।

श्री सौरभ भारद्वाजः आज ओमप्रकाश जी को...

माननीय अध्यक्षः अब इसमें आप में से शुरुआत करिए। सिरसा जी, शुरुआत कर दीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः बहुत कम समय में, देखिए, टोका–टाकी ना करें।

श्री ओमप्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है एलओपी को...

माननीय अध्यक्षः नहीं भाई साहब, आज बहुत गड़बड़ किया है माइक को लेकर के।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ये छोड़ो अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः नहीं–नहीं, ऐसा नहीं होता है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हम माफी माँग लेते हैं आपसे।

माननीय अध्यक्षः नहीं सिरसा जी, प्लीज। प्लीज, मैं माफी माँग लेता हूँ, देखिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आप अध्यक्ष हैं, आप इस बात को देखिए।

माननीय अध्यक्षः जिस ढंग से वो बोले हैं आ करके।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हम हाथ जोड़ सकते हैं, आप न जोड़ सकते।

माननीय अध्यक्षः नहीं, कोई तरीका भी होता होगा ना।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हम हाथ जोड़ते हैं।

माननीय अध्यक्षः जिस ढंग से बोतल लेके यहाँ खड़े हैं और माइक खींच लिया आप लोगों ने।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः वो सर, हमारे घर में... माफ करो।

माननीय अध्यक्षः नहीं, ऐसा नहीं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः एक बार हमारे कहने पर कह दो।

माननीय अध्यक्षः फिर ओम प्रकाश जी क्या, कसूर था?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः कभी जिंदगी में एक बार तो...

माननीय अध्यक्षः ओमप्रकाश जी का क्या कसूर था? माइक के लिए इनको बाहर करना पड़ा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः एक बार तो हमारे कहने परे माफ–वाफ तो करना चाहिए।

माननीय अध्यक्षः नहीं, नहीं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः चलो।

माननीय अध्यक्षः नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, एक अच्छा माहौल बनेगा, मैं तो आपसे विनती करता हूँ।

माननीय अध्यक्षः नहीं देखिए, मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश करता हूँ।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं कह रहा हूँ, माफी माँग लेता हूँ।

माननीय अध्यक्षः नहीं, सिरसा जी प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़ के माफी माँग लेता हूँ।

माननीय अध्यक्षः नहीं, ये समय मत खराब करिए। मैं माफी माँग रहा हूँ।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः चलो, चलो।

श्री ओम प्रकाश शर्माः बुला लूँ उनको?

माननीय अध्यक्षः नहीं, प्लीज। सिरसा जी, शुरू करिए प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ठीक है।

माननीय अध्यक्षः वो आगे तक खड़े हो गये, मुझे जितना ऊँचा बोल लेते, लेकिन माइक को खींचा, ये बड़ा अजीब लगता है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः चलो, अध्यक्ष महोदय, बहुत धन्यवाद और इसलिए भी आपका धन्यवाद, आपने आज चाहे कई बाद दिया लेकिन हमारा ये विषय बड़ा संगीन था और आपने इसके लिए हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अपने साथियों का भी करता हूँ, जिन्होंने आज इसमें हमें सहयोग दिया और इस मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, झुग्गी–झोपड़ी का विषय क्योंकि ये बहुत ही गरीब तबके के साथ जुड़ा हुआ है, अति गरीब लोग जिनके पास कोई साधन नहीं हैं, कोई संसाधन नहीं हैं, उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ ये विषय है। अध्यक्ष जी, झुग्गी में रहने वाले लोग, हमने उनसे ये वादा किया कि हम आपको हम वहाँ पे झुग्गी की जगह पे मकान देंगे, घर बनाकर देंगे

'जहाँ झुग्गी वहीं मकान।'

दूसरा वादा किया, आप को इंडिपेंडेंट नल का कनेक्शन, पानी के पीने का कनेक्शन देंगे। हमने उनसे, इस सरकार के बहुत सारे एमएलए ऐसे

थे, जिन्होंने बकायदा एफिडेविट तक दिए और ये कहा कि हम आपको ऐफीडेविट देके जाते हैं आपके घर की जगह पे, इस झुग्गी की जगह पे आपको मकान मिलेगा। जो गरीब लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनके राशन कार्ड भी नहीं बन पा रहे हैं, उनको राशन भी नहीं मिल पा रहा है। अगर आप डूसिब से बात करो, वो कहते हैं जी, कि रिसेटलमेंट की बात होनी हैं, इसलिए यहाँ शौचालय नहीं हम बना सकते, यहाँ पर हम इनके लिए टॉयलेट नहीं बना सकते, कोई सुविधा नहीं दे सकते। न उनको सुविधा मिल पा रही है और न वो रिसेटलमेंट में जा रहे हैं। जितने भी अब तक घर बने, ऐसा कोई भी एक विषय हमारे सामने नहीं आता, जो ये कहे कि ऐसी कोई पॉलिसी बनी हो।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये सरकार को बताना चाहता हूँ कि हमारा एक सवाल लगा, जिस सवाल में हमने ये पूछा भी कि क्या सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी थी, अगर थी तो उसपे क्या कभी कोई काम हुआ, क्या सरकार ने माना था, तो हमने ये सवाल लगाया कि क्या यह सत्य है कि सरकार की झुग्गी बस्तियों को उस स्थान पर बसाने की योजना है, तो जवाब आया, ''जी हाँ, यह सत्य है।'' यदि हाँ तो इस पूर्व विषय में योजना कहाँ कहाँ पे लागू हो चुकी है, तो जवाब आया, ''अभी कोई योजना फाइनल नहीं हो पायी है।'' अगला सवाल था सरकार और कहाँ–कहाँ इस योजना को लागू करने का प्रस्ताव है, तो सरकार का जवाब आया कि अभी कोई योजना फाइनल नहीं हो पायी है।

अध्यक्ष जी, ये पिछले पाँच दिन से हम इसकी कोशिश कर रहे थे बात करने की। मकसद ये था कि सरकार को ये बताना, जो आपने कमिटमेंट की, वो सौ परसेंट कमिटमेंट गलत निकली, एक भी परसेंट आप अपनी कमिटमेंट को कोई झुग्गी झोपड़ी के लिए खरे नहीं उतरे। न आप उनको

पानी दे पाये, न उनको इंडिपेंडेंट नल का कनेक्शन दे पाये, न उनको राशन कार्ड दे पाये और न ही उनको रिसेटलमेंट कॉलोनी के नाम पर उनको घर दे पाये। आज वहाँ की स्थिति क्या है। इतनी दुर्गत स्थिति है। अध्यक्ष जी, मेरे पास भी बहुत... तीन चार बड़े बड़े क्लस्टर हैं। आप सोच कर हैरान होंगे, ऐसी सिचुएशन है अगर किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार के लिए इतनी बड़ी दिक्कत है कि वो उसको कंधों पे... अपना कंधा नहीं दे पाते। ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलियों से निकलना पड़ता है कि उसको कंधे पे उठाके ले जाया नहीं जा सकता। एक आदमी उसको कंधे पर लेके जाता है, चार आदमी उसको कंधा नहीं दे सकते, ऐसी दयनीय हालात में उन लोग जी रहे हैं। ऐसी गुरवत में, ऐसी में मजबूरी में जीने के लिए सरकार ने उनको मजबूर कर रखा है। कोई भी, एक भी ऐसी उनके लिए योजना बनाने में सरकार पिछले तीन साल से नाकाम रही। इस विधान सभा के अंदर हर तरह की चर्चा हुई। अच्छा हुआ होता अगर सरकार का ये जवाब आया होता कि हमने इसके ऊपर योजना बनायी है, इस योजना के तहत यहाँ के झुग्गी के लोगों को शिफ्ट किया जायेगा। आप उस झुग्गी के लोगों की, उस क्लस्टर में रहने वाले लोगों का दर्द समझ के देखिए।

अध्यक्ष जी, चार लाख राशन कार्डों का यहाँ पर रोज विषय उठा कि चार लाख राशन कार्ड हैं, जो नकली बने हैं, जो बॉयोमेट्रिक सिस्टम में आइडेंटिफाइ नहीं हो पायी, उनको कैंसिल किया जाये। सरकार ने उसके ऊपर अंकुश लगा दिया कि नहीं, ये चार लाख राशन कार्ड जो हैं, चाहे नकली हैं, असली हैं, हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। पर ये तो एक लाख लोग ऐसे हैं, जो पिछले चार साल से, तीन साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारे पास न राशन है, न राशन कार्ड हैं, गरीब लोग हैं,

हमारे पास खाने की किल्लत पड़ी हुई है। हमारे पास खाने को नहीं, कुछ हमें राशन कार्ड दे दो, हमारे को राशन आ जाये, लेकिन एक लाख लोगों के इस सरकार को दर्द नहीं झेल रहा। सरकार को कहीं इस बात की चिंता नहीं कि उन्हें एक लाख लोगों को क्या किया जायेगा, उनको कब राशन मिलेगा!

अध्यक्ष जी, इसी तरह जो लोग रिसेटलमेंट कॉलोनी के नाम पे मकान बने, उनमें से 'जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये विषय तो चलो एक तरफ रह गया कि वहाँ बनने हैं, बनकर रिसेटल होने हैं, लेकिन जो मकान झुग्गी वालों के लिए बने पड़े हैं, अध्यक्ष जी, उनमें भी उनको, रिसेटलमेंट वालों को वहाँ भी मौका नहीं मिल रहा। मैं अपनी विधान सभा का आपको मिसाल के तौर पर दे सकता हूँ। मैं खाली अपनी विधान सभा की बात नहीं कर रहा हूँ, बात दिल्ली की कर रहा हूँ। पर मसलन तौर पर, मैं अपनी विधान सभा की बता सकता हूँ। मैंने यहीं पे स्टॉर्ड क्वेश्चन लगाया और मुझे ये जवाब मिला कि आपकी विधान सभा के अंदर रिसेटलमेंट कॉलोनी में किसी को मकान देने की अभी कोई योजना नहीं है। जब मैंने ये पूछा कि मकान कितने खाली पड़े, हजारों की तादाद में मकान खाली पड़े हैं, तो फिर वो मकान किनके लिए खाली पड़े हैं। क्या इस सरकार की कोई ऐसी योजना है कि हम उन गरीब लोगों को जिनके नाम का हम सबसे ज्यादा गुणगान करते हैं, जिनकी वोटें भी हम सबसे ज्यादा लेने जाते हैं, एफिडेविट तक दे दिये। क्या वे एफिडेविट, जिस माँ को देके आये थे, क्या उस माँ के हमने दोबारा आँसू पोछे? कभी उसको बताया कि तेरा घर फलाने तारीख को तेरे को मिलेगा? सरकार की ये पॉलिसी है... न मिले मकान, लेकिन सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई हो, नहीं बनाई हो, सरकार ने उनको पीने के पानी के लिए कनेक्शन के लिए...

अब मैं पीने के पानी की आप को जानकारी दूँ। हमने ये भी सवाल लगाया कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने झुग्गी बस्ती में घर घर में पानी पहुँचाने का वादा किया था तो जवाब आया कि झुग्गियों में जल कनेक्शन हेतु दिल्ली जल बोर्ड के ध्यान इतने इतने संशोधन करवाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव करके दिल्ली सरकार को भेजा गया, जिसका निर्णय अपेक्षित है। दिल्ली सरकार को, दिल्ली जल बोर्ड में प्रस्ताव पारित करके भेजा कि झुग्गी वालों को कनेक्शन मिले, पीने का पानी मिले। इन्डीविजुअल कनेक्शन मिले, नलका मिले। लेकिन दिल्ली सरकार वहाँ भी सो रही है। अध्यक्ष जी, क्या इन झुग्गी वालों को कभी मकान मिलने वाला है या केवल उस सिद्धू के चुटकलों तक ही सीमित था कि हम हाथ हिला–हिला के जोर–जोर से बोलेंगे और लोगों को भरमा लेंगे और जब देने की बारी आएगी तब हम अपनी चर्चा से उठकर भाग जाएंगे। क्या सरकार कोई आश्वासन दे सकती है इस विधान सभा के अन्दर कि दिल्ली के अन्दर जो झुग्गी–झोपड़ी में लोग रहे रहें है, हम उनको किश्तों वाइज सही, हम उनको फेजवाइज सही... लेकिन हम आने वाले एक साल में इतने लोगों को मकान देंगे। अगले दो साल में इतने लोगों को मकान देंगे। अगले तीन साल में इतने लोगों को मकान देंगे।

अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा के अन्दर बकायदा फाइल चली। बकायदा प्रस्ताव रख दिया गया कि इनके पास मकान पड़े हैं द्वारका के अन्दर, वो मकान उनको दे दिए जाएंगे। अध्यक्ष जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि माहौल आज अच्छा सारा माहौल बना है, उसको मैं खराब नहीं करना चाहता। पर मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं डाक्यूमेंट आपके पटल पर रखूँगा। जो मकान मेरी दिल्ली की विधान सभा के अन्दर मेरे दिल्ली के उन गरीब लोगों का, मेरी विधान सभा

के उन गरीब लोगों को मिलने थे, वो हमारे एक बड़े मंत्री के घर चले गये। उन्होंने अपने लोगों को दे दिए। क्या हम ये लोगों को दिल्ली के अन्दर गरीब आदमी भी ये चुना जाएगा कि मंत्री के आदमी के विधान सभा में रहता है। ये गरीब आदमी बिना मंत्री की विधान सभा में रहता है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, मंत्री जी भी अब आ गये हैं, दिल्ली के लिए, झुग्गी–झोपड़ी वालों के लिए पॉलिसी बनाई जाए, एक बात। रिसेटलमेंट के लिए जब तक... अगर 'जहाँ झुग्गी वहीं मकान' का अगर पॉलिसी है, उसके तहत उनको तब तक के लिए कहाँ रखा जाएगा? क्या ऐसे एकमोडेशन का कोई हमने ऐसा प्रावधान बनाया है, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है? अभी तक नहीं बनी तो जब ये पॉलिसी ही नहीं बन पाई, हम उनको रिसेटलमेंट के लिए तब तक कहाँ रखेंगे? तो फिर अगला मकान मिलना तो संभव ही नहीं है।

तीसरी बात, हमने सारा बजट देखा। पिछले साल का भी मैंने स्टडी किया, इस साल का भी। कहीं भी हमने ये पैसा अलोकेट नहीं किया कि हम इन गरीब लोगों के लिए ये पैसा अलोकेट करने जा रहे हैं और ये मकान जो हैं, डूसिब के जितने लैण्ड पड़ी है, इतनी लैण्ड के अन्दर इतने मकान हम बनाएंगे और उसके लिए हमने ये फण्ड्स अलोकेट किए हैं। ऐसा भी मेरे को कहीं नहीं दिखा। तो फिर हमारी पॉलिसी क्या है? कब तक हम उन गरीब लोगों के साथ ये झुनझुना बजाते रहेंगे। मैं आपसे यहाँ हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मंत्री महोदय से भी विनती करता हूँ, गरीब लोगों की सुध लो। एक लाख राशन कार्ड जो गरीब लोगों के बनने वाले हैं, अध्यक्ष महोदय, उनको तुरन्त वहाँ पर मिनिस्टर ऑन दि रिकार्ड ये दें कि उनके तुरन्त से राशन कार्ड बनने शुरू होंगे। इन्डिविजुअल ये जो कनेक्शन की बात है, वो पॉलिसी सरकार के पास आई हुई है। सरकार

उस पॉलिसी को पास करके हर गरीब के घर पर पानी का कनेक्शन मिले, इसकी चिन्ता करे और तीसरी बात जो मैंने रखी है कि इसकी पॉलिसी फ्रेम की जाए तुरन्त से कि गरीब आदमी को मकान मिल सके। ये खाली ढकोसलेबाजी से नहीं काम चलने वाला। कृपया मकान देने का इन्तजाम करें ताकि गरीब लोग भी शान से, इज्जत से उनके बच्चे भी शान और इज्जत से, जी सकें। यह मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ। आपका धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद। सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत धन्यवाद। और मुझे दिल से खुशी हुई है आज पहली बार कि भाजपा के विधायकों ने झुग्गी–झोपड़ी में रहने वालों की बात उठाई है, झूठा ही सही। मुझे खुशी हुई कि वो लोग जो झुग्गी–झोपड़ी में घुसते हुए नाक पर रूमाल रख लेते हैं, उन लोगों ने आज पहली बार झुग्गी–झोपड़ी में रहने वालों का सवाल उठाया। अध्यक्ष जी, मुझे थोड़ी खुशी और होती जब पिछले तीन साल में जितनी झुग्गी–झोपड़ियाँ बर्बाद की गई, दिसम्बर की सर्दियों में और जनवरी की सर्दियों में उजाड़ी गईं हैं; शकूरपुर बस्ती हो गई, नरेश यादव जी के यहाँ, मुझे याद है भाई नरेश यादव... मेरे को याद है एक बार मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचे थे, वहाँ पर पूरी की पूरी झुग्गी–झोपड़ी, भरी सर्दी में उजाड़ दी गई। सिरसा जी की विधान सभा में मुझे लगता है कि ऐसी कोई शायद विधान सभा नहीं होगी जहाँ पर झुग्गी–झोपड़ी पिछले तीन साल में उजाड़ी न गई हो और झुग्गी–झोपड़ी उजाड़ने वाली जो संस्था है, उसका नाम है डीडीए। ज्यादातर जो है रेलवेज और डीडीए और मुझे नहीं पता कि सिरसा जी को ये मालूम है या नहीं मालूम कि डीडीए भी भाजपा की सरकार के अन्तर्गत आता है और रेलवेज भी भाजपा की सरकार के ही अण्डर आता है। दोनों

ही केन्द्र सरकार के अन्दर आता है। एमएलए भी बने हुए काफी टाइम हो गया और हमारी विधान सभा में काफी दिनों से कुछ–कुछ सीख रहे हैं। काफी समय देते हैं यहाँ पर और झुग्गी–झोपड़ी वालों के लिए झूठे आँसू बहा रहे थे। झुग्गी–झोपड़ी वालों के लिए क्या किया, पूछ रहे थे। मुझे लगता है शायद सिरसा जी, अपने इलाके की भी झुग्गी–झोपड़ी के अन्दर शायद कभी नहीं गये। उन्हें मालूम ही नहीं है कि उन झुग्गी–झोपड़ियों के अन्दर जहाँ कभी पानी नहीं पहुंचा, वहाँ इस सरकार ने पानी की लाइनें पहुँचायीं। ये बात ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पर अभी इन्डीविजुअल कनेक्शन नहीं दिए गए हैं मगर अभी भी जो सोशल पोस्टस, हर 50 मीटर पर, हर 15 मीटर या कई जगह हर 20–20 फीट पर जो हाईड्रेन्ट, सोशल पोस्ट कहते हैं, कुछ लोग उसको हाईड्रेन्ट बोलते हैं, वाटर हाईड्रेन्ट, उससे आज भी पूरी झुग्गी–झोपड़ी, कलस्टर्स के अन्दर मुफ्त पानी दिया जाता है और उनसे उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। वो बकायदा सरकार की पॉलिसी है कि वहाँ पर उन लोगों से कोई बिल नहीं लिया जाएगा। वो मुफ्त दिया जा रहा है। जितनी भी झुग्गी–झोपड़ी हैं... अध्यक्ष जी, मैं ये चुनौती दे के कह सकता हूँ सिरसा जी को और भाजपा के जो भी हमारे सम्मानित विधायक हैं, मैं उनसे प्रेम पूर्वक ये कम्पीटिशन रखना चाहता हूँ कि आएं कल, लिस्ट लेके आएं कि कितनी जेजे कलस्टर्स के अन्दर पिछले तीन साल में इनके यहाँ टॉयलेट डूसिब ने बनाए हैं, दिल्ली सरकार ने बनाए हैं। नहीं, लाये हैं। इनके यहाँ भी दिल्ली सरकार ने ही बनाए हैं। मेरे से ज्यादा मतलब ये नहीं है कि मोदी जी ने बनाये हैं। इनके यहाँ भी जेजे कलस्टर के अन्दर अगर टॉयलेट बनाए हैं तो दिल्ली सरकार ने, चुनी हुई सरकार ने बनाए हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ओमप्रकाश जी अब। प्लीज। अब ऐसे, आपको बारी मिलेगी ना। आप बोल लेना भई, चलिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई ओमप्रकाश जी, ये तरीका ठीक नहीं है। ओमप्रकाश जी, बैठिए। आपने सुना ही नहीं, क्या कहा उन्होंने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कोई गलत नहीं बोला है, चलिए। आपको मौका... अननेसेसरी अच्छा चल रहा है और उसमें। वो ठीक बोल रहे हैं।

श्री सौरभ भारद्वाजः देखिए, विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और विपक्ष अपनी बात जो कहता है, उसको उठानी भी चाहिए। उनका हक है। मगर जो काम सरकार कर रही है, कम से कम आप उसके ऊपर तो पानी नहीं डाल सकते। उसको तो नहीं कह सकते कि कुछ नहीं किया। ये बात किसी भी झुग्गी–झोपड़ी के अन्दर आप जा के पता कर लीजिए। पिछले तीन सालों में जितने टॉयलेट और शौचालय इस सरकार ने जेजे कलस्टर्स में बनाये हैं, मुझे लगता है कि पिछले पचास–साठ सालों में भी टोटल नहीं बने होंगे जितने इस सरकार ने डूसिब के माध्यम से बनाये हैं।

माननीय अध्यक्षः चलिए, सौरभ जी, आप चलते रहिए।

श्री सौरभ भारद्वाजः तीसरी बात झुग्गी–झोपड़ी, कलस्टर्स के अन्दर बस्ती विकास केन्द्र इस सरकार ने बहुत सारे बनवाये और खूब बनवाये। अब एक बचकानी बात ये कहना है कि साहब, जो ग्रेटर कैलाश या कालका जी के अन्दर झुग्गी–झोपड़ी वाला है, उसको तुम नरेला क्यों नहीं शिफ्ट कर देते? बवाना क्यों नहीं शिफ्ट कर देते? इसके अन्दर... ये कहने के अन्दर बड़ा आसान है बट इसके अन्दर एक समझना पड़ेगा। अगर मेरे यहाँ ग्रेटर

कैलाश के अन्दर कोई झुग्गी–झोपड़ी, कलस्टर में रहता है तो वो इसलिए रहता है कि क्योंकि साथ वाली कोठियों के अन्दर वो लोग माली का काम करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं। घर के अन्दर मेड का काम करती हैं वो महिलाएं। तो उनका जो पूरा का पूरा जो रोजगार है, वो जो पूरा का पूरा इको–सिस्टम है, वो उनका वहीं पर है। आप उनको अगर जबरदस्ती नरेला या बवाना में बसा भी देंगे तो वो दो महीने में वो फ्लैट बेच के वो दूबारा वहीं पर आ जाएंगे जहाँ पर उनका रोजगार है। जहाँ पर उनका इको–सिस्टम है। इसीलिए सरकार का ये कहना था कि जो वो फ्लैटस शीला दीक्षित के जमाने से जो बने रखें हैं, मुझे लगता है कई हजार हैं, वो इसीलिए इस तरीके से बर्बाद रखे है क्येांकि वहाँ पर कोई झुग्गी–झोपड़ी वाला जाना नहीं चाहेगा। कोई जो बसा हुआ है, जिसकी एम्प्लायमेण्ट आसपास है, वो वहाँ जाना नहीं चाह पाएगा और मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी जगह हैं, जहाँ पर हमने केन्द्र सरकार से, यहाँ तक कि अभी–अभी कठपुतली कालोनी का भी जो मामला था, वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि ये जितने पैसे के अन्दर आपने, डीडीए ने एक प्राईवेट कम्पनी को, रहेजा बिल्डर्स को ये जमीन बेच दी है, इससे ज्यादा में आप दिल्ली सरकार को दे दीजिए। हम वहाँ झुग्गी–झोपड़ी वालों के लिए, जहाँ पर उनकी झुग्गी–झोपड़ी है, वहीं पर उनको मकान देंगे। मगर उन्होंने हमको नहीं दिया। इन्होंने प्राइवेट बिल्डर्स को वहाँ पर दिया। अध्यक्ष जी, मैं बहुत ज्यादा.... वो भी है। अन्ततः मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करूँगा अध्यक्ष जी, यही कहूँगा कि झुग्गी–झोपड़ी वालों के लिए पता नहीं इन्होंने क्या सोच के 55 के अन्दर लगा दिया। मगर थोड़ा सा इनको दिल से उन लोगों के लिए सोचना चाहिए। उनके बारे में सोचेंगे तो वो लोगों के पास अपने आप ये मेसेज चला जाएगा कि चलो बीजेपी वाले भी गरीब लोगों के लिए

सोचने लगे हैं। दिक्कत यह है कि झुग्गी–झोपड़ी में दो तरीके के लोग रहते हैं। एक तो दलित लोग रहते हैं और मुस्लिम लोग रहते हैं, जो गरीब होते हैं। मूलतः झुग्गी–झोपड़ी, बस्ती के अंदर पिछड़े लोग रहते हैं जो किसी न किसी कारण से समाज की इस दौड़ के अंदर पिछड़े हैं और बीजेपी जो है, एज ए पॉलिटिकल पार्टी इन बड़े–बड़े सामाजिक दलों से हमेशा से, इनके साथ एक सौतेला व्यवहार करती है और यही कारण है कि कभी भी भाजपा की कोई इंटरेस्ट नहीं रहती है कि झुग्गी–झोपड़ी वालों के लिए कभी भी कुछ करे या किसी सरकार को करने दे। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः कमांडो जी।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, यह तो बीजेपी के लिए ऐसा हो गया जैसे जो है ना, बिल्ली सौ चूहे खाकर हज को जाने वाली बात हो गई। झुग्गी का जो मुद्दा लेकर आए हैं। दिल्ली कैंट का जो क्षेत्र है, वहाँ पर झुग्गी कलस्टर थे और मैं माननीय मंत्री और पूरी दिल्ली सरकार को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा, 2007–08 के दौरान जो झुग्गियाँ तोड़ी गईं, जहाँ पर लीला होटल बनाया गया, उन झुग्गी वालों को भी दिल्ली सरकार ने द्वारका के अंदर ऐसे मकान दिए हैं, बवाना एरिया के अंदर ऐसे मकान दिए हैं, वो इतनी दुआएं दे रहे हैं। जो झुग्गी कलस्टर खत्म कर दिया गया था 2008 में, उन लोगों को भी मकान दिए गए हैं। दिल्ली कैंट में दस हजार के आस–पास झुग्गी कलस्टर के अंदर लोग रहते हैं। वहाँ पर जो है, प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई है, कौन सी योजना है 'सहज बिजली हर घर योजना' और साथ में लिख रखा है कि सौभाग्य मुझे मिला है। दिल्ली कैंट के अंदर प्रधानमंत्री जी जिस विधान सभा में रहते हैं, वहाँ पर झुग्गी के लिए बिजली के कनेक्शन दिल्ली सरकार को नहीं

देने दे रहे हैं और दिल्ली सरकार बार–बार... मुख्यमंत्री जी ने भी मीटिंग को कॉल कर लिया, मंत्री जी ने मीटिंग को कॉल कर लिया, पर भारत सरकार मान नहीं रही। झुग्गी वालों को बिजली नहीं देंगे क्योंकि ये लोग हमें वोट नहीं देते। ये आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। हमारे वोटर नहीं हैं, इनकी योजना प्रधानमंत्री के घर के पास ही दम तोड़ देती है। उसके बाद उन झुग्गी कलस्टर के अंदर कोई भी टॉयलेट नहीं बनाने दे रहे। डीयूएसआईबी विभाग वहाँ पर टॉयलेट बनाने की कोशिश कर रहा था, इन टॉयलेटों को भी रुकवा दिया वहाँ पर। महिलाएं इतनी परेशान हैं और प्रधानमंत्री जी लाल किले के ऊपर चढ़कर बोल रहे हैं 'स्वच्छ भारत अभियान' कोई खुले में नहीं करेगा। जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, वो प्रधानमंत्री जी जिस विधान सभा के अंदर रह रहे हैं, उसी विधान सभा के अंदर दम तोड़ने लग रही है। वहीं स्वच्छ अभियान इनका दम तोड़ गया है। उसके बाद झुग्गियों के अंदर डीयूएसआईबी विभाग वालों ने नाली, गली बनाने के लिए काम शुरू किया परंतु भारत सरकार, बीजेपी का कैंट बोर्ड, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता, वहाँ पर आकर खड़े हो गए और वहाँ पर जिस तरह से काम को रुकवाया है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है और वहाँ पर झुग्गी कलस्टर के अंदर मैं विधायक फंड से प्राइमरी स्कूल बनवा रहा था। दो झुग्गी कलस्टर हैं वहाँ पर, दोनों के लिए मैंने फंड अलॉट करवाया; 54 लाख रुपये और वहाँ पर 'श्रद्धा पथ' के नाम से छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बनवा रहा था। बीजेपी के पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक वहाँ पर आकर खड़े हो गए। यहाँ स्कूल बनेगा तो झुग्गी के बच्चे पढ़ेंगे और झुग्गी के बच्चे पढ़ेंगे तो जो दो, चार, पाँच कोई वोट मिल जाते हैं गरीबों के, वो भी नहीं मिलेंगे।

दूसरी बात, रिसेटलमैंट कालोनी की बात, दिल्ली कैंट के अंदर क्रिबी प्लेस की जो झुग्गी है, दिल्ली सरकार के डीयूएसआईबी विभाग को सबसे

पहले जब वहाँ काम नहीं करने दिया। महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं बनने दिए, गली, नाली, बिजली कुछ नहीं करने दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबसे पहले दिल्ली कैंट के जो झुग्गी कलस्टर हैं, उसको रिसैटलमेंट कर देते हैं। उसका सर्वे करवाया, एक–एक घर, एक–एक झुग्गी के अंदर जाकर और उसका पूरा एस्टिमेट दिया गया। इनकी जो योजनाएं हैं,

माननीय अध्यक्षः कमांडो जी, कन्क्लूड करें।

श्री सुरेन्द्र सिंहः यह जो कहानी गढ़ कर लेकर आए हैं गरीबी की...

माननीय अध्यक्षः कमांडो जी, कन्क्लूड करें प्लीज।

श्री सुरेन्द्र सिंहः जो पैसे दिल्ली सरकार को भारत सरकार ने जो पैसे जमा करने हैं, जमीन की एवज में या वहाँ पर जो जमीन देनी है, उसको कत्तई नहीं दे रहे हैं। सबसे टॉप प्रायरिटी के अंदर, यहाँ बैठे हैं मेरे साथी माननीय विधायक हैं बीजेपी के, आप नेट के ऊपर गूगल में सर्च करिए, कहाँ पर काम अटका हुआ है, कौन काम अटका रहा है। इनके बस की बात बाहर निकल जाती है तो एलजी साहब का डंडा गरीबों के ऊपर लाकर गिरा देते हैं।

दूसरी जो बात है, अध्यक्ष साहब, मेरा यह कहना है डीयूएसआईबी विभाग और माननीय मंत्री पानी, बिजली, हर तरह से झुग्गी में देने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी जो योजनाएं हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, वो प्रधानमंत्री जी के घर के पास में ही दम तोड़ रही है। देश में तो कहाँ बिजली घर–घर जाएगी! कहाँ टॉयलेट घर–घर बनेंगे! जब वहीं नहीं बनवा पा रहे हैं तो इनके लिए बिल्कुल सही है कि सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वो बीजेपी ने जो आज करके दिखाया है, यह बिल्कुल सौ

परसेंट सच्ची बात है और मैं, माननीय मंत्री और दिल्ली सरकार का धन्यवाद करता हूँ, गरीबों के लिए ऐसी–ऐसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, गरीबों के लिए ऐसे–ऐसे स्कूल बनवा रहे हैं, झुग्गी के अंदर जिस तरह से टॉयलेट बनवाए जा रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। मैं सरकार का पुनः धन्यवाद करता हूँ और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सच्चाई को सामने लाने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका तहेदिल से धन्यवाद करता हूँ।

माननीय अध्यक्षः श्री ओम प्रकाश जी।

श्री ओम प्रकाश शर्माः धन्यवाद अध्यक्ष जी, वैसे नंबर तो जगदीश जी का था, लेकिन आपका धन्यवाद।

श्री राजेश गुप्ताः नम्बर हमारा था ... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः अरे, आपका नम्बर भी आ जाएगा। 'जहां झुग्गी वहीं मकान' यह एक नारा ... (व्यवधान) अरे भाई, मुझे मशीन नहीं चाहिए आपकी। अरे! नहीं चाहिए। फिर रात हो जाएगी। अध्यक्ष जी, 'जहां झुग्गी वहीं मकान' का जो नारा दिया गया, वो नारा बेमानी है। वहाँ पर जो कलस्टर की जगह फ्लैट बना कर गरीब लोगों को दिए जाने थे, इस विषय में पूरे तीन–साढ़े तीन साल बीतने के बाद भी दिल्ली सरकार ने, मुझे लगता नहीं कि किसी भी एक कलस्टर के अंदर यह कार्रवाई अपनी चालू की हो। अगर हम बात करें झुग्गियों में डेवलपमेंट के कार्य करने के लिए... माननीय मंत्री महोदय यहाँ पधारे हुए हैं, पूरे साल हम घूमते रहे, डीएसआईआईडीसी के द्वारा जेजे कलस्टर में जो काम होने थे, उनके एस्टिमेट तो बने लेकिन पूरा साल बीत जाने के बाद भी एक भी नया पैसा डीएसआईआईडीसी के द्वारा कम से कम मेरे क्षेत्र में...

... (व्यवधान)

श्री राजेश गुप्ताः डीयूएसआईबी करता है।

श्री ओम प्रकाश शर्माः अरे! कुछ बोलने दोगो कि नहीं बोलने दोगे? अरे भाई, आप ज्यादा पढ़े–लिखे हो, मुझे बोलने दो।

माननीय अध्यक्षः समय खराब हो रहा है। बैठक है, मीटिंग है ना।

श्री ओम प्रकाश शर्माः अरे! नंबर तो मेरा है बोलने का भाई। मैं दोबारा कह रहा हूँ...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः राजेश जी, प्लीज। मीटिंग है कोई।

श्री ओम प्रकाश शर्माः डीएसआईआईडीसी के द्वारा जो सड़कें और डेवलपमेंट का काम जेजे कलस्टर में करना था, माननीय जैन साहब के पास हम गए हैं बार–बार...

... (व्यवधान)

श्री सही रामः वो डीयूएसआईबी...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सही राम जी, प्लीज।

श्री ओम प्रकाश शर्माः अरे पहलवान, कुछ पढ़ ले भाई। थोड़ा पढ़ ले भाई।

माननीय अध्यक्षः सही राम जी, आपका कुछ ले रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश शर्माः मैं दोबारा बात कर रहा हूँ डीएसआईआईडीसी के द्वारा, डीयूएसआईबी के द्वारा काम होना एक अलग इशू है और वहाँ

सड़कें और दूसरे जो डेवलपमेंट हैं, वो जो काम हैं, डीएसआईआईडीसी के द्वारा जो होने थे और उसमें साथ में दूसरी जो एजेंसी थी, फ्लड एंड इरिगेशन जिसको आपने एक की जगह दो एजेंसी की, उसके द्वारा जितने भी ऐस्टिमेट बनाए गए, एक रुपये का भी काम हमारी विधान सभाओं में नहीं हुआ। अब हम...

... (व्यवधान)

श्रीमती बंदना कुमारीः आप घूमते ही नहीं हैं अपने क्षेत्र में...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बंदना जी, प्लीज। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूँ... मेरे पास स्लिप आई है, कोई बैठक है अभी।

श्री ओम प्रकाश शर्माः इसी तरीके से यदि आप बात करें, पानी का नितांत अभाव है, राशन कार्ड के बारे में अभी बोला है। एक तरफ कई लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास नकली राशन कार्ड हैं और दूसरी तरफ एक लाख से ज्यादा वो लोग हैं जिनको राशन कार्ड की जरूरत है और उनके राशन कार्ड किन्हीं कारणों से नहीं बन रहे हैं। हम अगर बात करें पानी की निकासी की तो पानी की निकासी का झुग्गी–झोपड़ी, अनऑथोराइज्ड के अंदर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। बरसात में पानी भरता है और पानी भरने से तरह–तरह की बीमारियाँ वहाँ फैलती हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जिसको आप बार–बार कर रहे हैं तो डीयूएसआईबी के अंदर प्रधानमंत्री योजना के द्वारा जो पैसा आया है और हर जगह...

... (व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः नहीं।

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः अरे, नहीं और हाँ क्या होती है।

माननीय अध्यक्षः चलिए, चलिए।

श्री ओम प्रकाश शर्माः सभी कुछ आप बोलोगे। प्रधानमंत्री योजना के द्वारा जो पैसा आया है, मैं अपनी, जो मेरे यहाँ जेजे कलस्टर हैं, हमने इस प्रकार का वहाँ सिस्टम बनाया है कि किसी भी माँ, बहन, बेटी को पाँच मिनट से भी ज्यादा यदि इंतजार करना पड़ेगा तो वहाँ एक्स्ट्रा शीट लगेंगी और वो हमने अपने क्षेत्र में लगाई है। तो मेरा कहना केवल इतना है कि आप जो भी उनमें विकास कार्य हैं, मैं आपके माध्यम से जैन साहब को कहना चाहता हूँ पिछला साल पूरा चला गया, बजट जो भी कुछ था, आपने एक रुपया दिया नहीं। तो ये जो आने वाला साल है, उसमे सड़कें और जो दूसरे डेवलपमेंट के कार्य हैं, कृपया उसको कराएं और जो मकान जो बने हुए ड्यूसिब के खाली पड़े हुए हैं... अभी ये कहा, ठीक है... 'जहाँ पर झुग्गी वहाँ मकान' लेकिन कुछ वर्ग ऐसा है जो राइट आफ वे जो सड़कों के बीच में, तारकोल वाली सड़कों के बीच में जिन्होंने बनाया हुआ है, उनको तुरंत प्रभाव से उन सड़कों से एनक्रोचमेंट खाली कराने के लिए उनको वहाँ पर स्थापित किया जाना चाहिए।

और मैं दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ कि आप ये जो बार बार बात कर रहे हो और आपने ये मोनोग्राम खुद ही लगाकर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो, तो मैंने भी पहले एक गाना सुना था, 'तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा' और अब आगे तुम्हारी सुनने वाला वो है नहीं

इसलिए अब आने वाला जो साल है... तो मैं जैन साहब से, आपके माध्यम से जैन साहब से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है, जो अनऑथोराइज क्लस्टर है, उसके लिए जो एस्टीमेट आप लोगों ने बनाए हैं, कृपा करके ये जो नया वर्ष है, इसमे उसको पूरा करने का प्रयास करें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय, सही राम जी मैं कद्र कर रहा हूँ आपकी बात लेकिन मेरे पास संदेश आया है बैठक है कोई। एक सेकण्ड जैन साहब, श्री सही राम जी।

श्री सही रामः अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तीन दिन से विपक्ष के नेता इस झुग्गी झोपड़ी पर चर्चा के लिए अड़े हुए हैं, तो मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ और इससे बड़ा ताज्जुब तो अब हो रहा है जब ओमप्रकाश शर्मा जी को ये ही नहीं पता, पता नहीं किसके कहने पर आनन–फानन में इन्होंने ये क्वेश्चन लगा दिया जिसके साथ चर्चा माँग ली कि झुग्गी झोपड़ी में काम किसको करना है, किसका अधिकार क्षेत्र है। ये डीएसआईडीसी का रोना रो रहे हैं जबकि मेरी गारंटी है ... (व्यवधान) यहाँ ड्यूसिब के अधिकारी बैठे हुए हैं, जितने भी सम्मानित साथी बैठे हैं, अध्यक्ष जी, मैं पिछले 17 साल से, मुझे खुशी है कि पिछले 17 साल से मैं ड्यूसिब का मेंबर हूँ, कॉरपोरेशन में रहा, चेयरमैन भी रहा और अभी भी पिछले तीन साल से मैं ड्यूसिब का मेंबर हूँ। मेरी खुशकिस्मती है ये। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रही। मैंने आज तक किसी भी एजेंसी को झुग्गी झोपड़ी में स्लम को छोड़कर... पहले डीडीए स्लम था, तब भी स्लम करता था। आज ड्यूसिब बन गया है आज ड्यूसिब कर रहा है। किसी भी एजेंसी को आज तक काम करते नहीं देखा।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, आज ये बड़ा झुग्गी झोपड़ी का ख्याल कर रहे हैं। आज से आठ साल पहले भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था हमारे तुगलकाबाद क्षेत्र में आठ साल पहले। अध्यक्ष महोदय, सरिता विहार अंडर पास बनाने के लिए बीजेपी सरकार निगम में थी, उन्होंने मिलकर वहाँ 300 झुग्गियों को तोड़ दिया खड़े होकर। बीजेपी के विधायक ने खड़े होकर 300 झुग्गियों को तोड़ दिया और आठ साल से वो लोग धक्के खा रहे थे उन्हें एक इंच जमीन देने के लिए कोई सरकार तैयार नहीं हुई। मैं धन्यवाद करता हूँ अरविंद केजरीवाल जी का और उनकी सरकार का कि आठ साल के बाद जब वो हमारे पास आए, मैंने सीएम साहब से मीटिंग करायी, उन 300 झुग्गी वालों को द्वारका में फ्लैट देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में सबसे बड़ा अगर जेजे स्लम है तो वो तुगलकाबाद विधान सभा के अंदर है। अभी सिरसा जी कह रहे थे उनके यहाँ तो दो तीन कैंप हैं। वहाँ पर तुगलाकाबाद विधान सभा में 82 कैंप हैं झुग्गी झोपड़ी के 82 कैंप और मैं गारंटी से कहता हूँ, मेरे साथ ये चलें एक एक झुग्गी झोपड़ी में पीने के पानी की व्यवस्था कराई है। एक एक झुग्गी झोपड़ी में आरएमसी कराई है। एक एक झुग्गी झोपड़ी में सुलभ शौचालय बनाकर दिये हैं। अब ये झुग्गियों में जाएं न और सरकार को यहाँ आकर दोष दें तो कसूरवार सरकार नहीं है, कसूरवार ये खुद हैं। इन्हें ये ही नहीं पता कि झुग्गी कहाँ हैं!

माननीय अध्यक्षः बहुत बहुत धन्यवाद सही राम जी, धन्यवाद बहुत बढ़िया, बैठिए।

श्री सही रामः देखिए, इनके एक नेता कहते थे, मैंने उनका नारा सुना था कि 'न खाएंगे, न खाने देंगे' लेकिन इन्होंने आज बीजेपी की सरकार

ने भारतीय जनता पार्टी ने निगम में भी और केन्द्र में भी ये ठान लिया है कि 'न काम करेंगे, न काम करने देंगे,' अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

माननीय शहरी विकास मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आदरणीय सदस्यों को एक छोटा सा वो दिखाना चाहूँगा। ये जो एक राजनीतिक पार्टी है देश के अंदर क्या क्या राजनीतिक षड़यंत्र करती रहती है। ये कहती है, जी, झुग्गी वालों को मकान नहीं बनाकर दिये और ये लोगों को ये कार्ड बाँट रहे हैं, झुग्गियों में जाकर कह रहे हैं कि जी, हम तुम्हें मकान बनाकर देंगे और है क्या चीज, वो यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कार्ड के भी आपकी झुग्गी का एड्रेस पता कर रहे हैं और झुग्गियों में जाकर कार्ड बना रहे हैं। मतलब इन लोगों ने करना–धरना कुछ नहीं और मक्कारी करनी है, झूठ बोलना है और झूठ इतनी चालाकी से बोलते हैं, इतने बार बार बोलते हैं... और कई बार मैं बोलता हूँ तो वॉकओवर कर जाते हैं, सुन नहीं पाते।

श्री ओम प्रकाश शर्माः पहले फंड के बारे में बता दो।

माननीय अध्यक्षः आ रहे, आ रहे हैं, बताएंगे ओम प्रकाश जी, दो मिनट, अपनी बात रखने दो उन्हें, वो बताएंगे अभी।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः मैं झुग्गियों की बात कर रहा हूँ। ओम प्रकाश जी, झुग्गियों की बात हो रही है। आपकी बात नहीं कर रहा था, मैं झुग्गियों की बात कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय, शादीपुर डिपो के सामने कठपुतली कालोनी है एक। वहाँ से हमारे विधायक महोदय बैठे हुए हैं, अभी नहीं हैं शायद। कई वर्ष

पहले डीडीए ने शादीपुर डिपो दिल्ली के सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में, उसमे कहा जी, आप झुग्गियों के बदले में मकान बना दो और वो 13 एकड़ का प्लाट उनको दे दिया कि जी, बस इतने पैसे आप हमें दे देना, इनको बदले में एक–एक मकान दे देंगे। हमने कहा, ''ठीक है जी, कोई गलती नहीं है। चलो अच्छी बात है।'' भई 'जहाँ झुग्गी, वहीं मकान।' तो दिल्ली सरकार ने डीडीए को लिखकर दिया, रिक्वेस्ट करी कि जी, पूरी दिल्ली में साढ़े छह सौ क्लस्टर हैं। नरेला में भी है, शादीपुर डिपो, राजेन्द्र नगर का रेट और नरेला का रेट बराबर नहीं है। अगर नरेला में दस हजार रुपये गज जमीन है तो राजेन्द्र नगर में... और वहाँ पर जो है, कम से कम पाँच लाख रुपये गज होगी। पचास गुने, सौ गुने के रेट का फर्क है। मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा कि जी दिल्ली के अंदर जितने भी क्लस्टर डीडीए के पास हैं। डीडीए तो कर नहीं पाएगी और आज तक करा भी कुछ नहीं। डीडीए 1962 में बनी थी अभी तक झुग्गी वालों के लिए एक मकान नहीं बनाया उन्होंने और डीडीए का काम ही एक है कि जी, दिल्ली का डेवलपमेंट. उसका नाम है दिल्ली विकास प्राधिकरण। कभी लोग वैसे कहते हैं, 'दिल्ली विनाश प्राधिकरण' वो भी ठीक हो सकता है। अब उनसे लगभग 65 साल में या 60 साल में एक भी मकान नहीं बना झुग्गी वालों के लिए। तो हमने कहा कि भई हम बना देते हैं, तुम्हारी तो नीयत ठीक है नहीं और जिस रेट के अंदर तुमने राजेन्द्र नगर के अंदर, शादीपुर डिपो के सामने जमीन एक प्राइवेट बिल्डर को दी है, उसी रेट में सुल्तान पुरी में लेंगे, उसी रेट में मंगोलपुरी में लेंगे, उसी रेट में नरेला में लेंगे, उसी रेट में नजफगढ़ में लेंगे और दिल्ली सरकार पूरा पैसा देगी आपको और सबको मकान बनाकर दे देगी। कहते हैं जी, तुम तो बना ही दोगे, दे क्या दें? अब ये कहते हैं कि जमीन तो हमारे हाथ में है, जमीन तो आपको देंगे नहीं, कुछ भी

हो जाए, देंगे प्राइवेट बिल्डर को। कहते हैं कि आप ऊपर के पैसे तो दोगे, नीचे के कौन देगा। मैंने कहा कि भई ऊपर के डबल ले लो। जितने पैसे उनसे लेते हो, उससे डबल ले लो। कहते हैं जी, ऊपर के जो दे देना, जीरो, कुछ नहीं चाहिए, नीचे के बताओ कैसे दोगे? अब वो तरीका कुछ नहीं है। सर जी, सदन में कह रहा हूँ, आप करवा देना। आज फिर से कह रहा हूँ ऊपर के पैसे डबल दूँगा। आपको पैसे ऊपर वाले जो पैसे हैं ना, जो उस बिल्डर से लिए हैं, उससे दुगने पैसे देंगे, दिल्ली सरकार देगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई ओमप्रकाश जी आपने बात रखी, उनको अपनी बात रखने दो। वो तो आ रहे हैं, अब जो सच्चाई है, वो बोल रहे हैं।

श्री ओमप्रकाश शर्माः जो हम पूछ रहे हैं, वो तो आप बोल नहीं रहे हैं।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः अरे भाई! अब वॉकओवर का टाइम हो गया जाइये। वॉकआउट का समय हो गया। ऐसा है ये कहते हैं जी, उनके लिए टेम्परेरी हाउस कहाँ बनाये आपने? भाई साहब, टेम्परेरी हाउस बनाने का सिस्टम गलत है। अभी हमने अखिलेश जी की विधान सभा के अंदर चार प्लाट ढूंढ़े हैं। उसमे दो प्लाटों पर झुग्गियाँ बनी हुई हैं, दो प्लाट खाली पड़े हुए हैं जो ड्यूसिब के पास हैं। तो हमने उसकी स्कीम बना ली है कि जो खाली प्लाट है, उसमें हम मकान बना देंगे और जहाँ पर झुग्गियाँ बनी हुई हैं, सीधा उनको शिफ्ट करेंगे। पहले टेम्परेरी बिल्डिंग बनाओ, उनको टेम्परेरी में शिफ्ट करो, टेम्परेरी बनाने में ही साल लग जाता है। उसको शिफ्ट करिएगा और आदमी को डर क्या लगता है कि भाई साहब, इसी

में ही छोड़ देंगे ये! ये झुग्गी छोटी झुग्गी क्या, दूसरी झुग्गी दे दी। हम उनको पक्के मकान बनाकर सीधा शिफ्ट करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। दिल्ली के अंदर काफी सारे मकान बने हैं, उसमें गलती क्या हुई है, सारे दिल्ली बॉर्डर पर बना दिये हैं। अब इनको तो कुछ लगता नहीं, बड़े लोग हैं जी। अब इनका ड्राइवर 50 किलोमीटर दूर जाकर रहे। शाहदरा में तुम रहते हो और नरेला में जाकर उसको घर दे दूँ मैं। वो 50 किलोमीटर आएगा–जाएगा, करेगा क्या!

सर, मैं बताता हूँ, मैं यूडी मिनिस्टर हूँ। मैं अपनी विधान सभा में जाता हूँ, झुग्गियों में जाता हूँ। मैंने उनसे सबसे पूछ लिया कि भाई साहब, कहो तो कल सबको मकान दे देता हूँ, चले जाओगे? कहते हैं, ''कहाँ पर है जी?'' मैंने कहा, बवाना में है और नरेला में जाकर है।'' कहते हैं, ''नहीं, वहाँ तो नहीं जाएंगे।'' मैंने कहा, ''क्यों?'' कहते हैं, ''काम तो यहाँ करते हैं।'' तो दिल्ली सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि जहाँ पर झुग्गी है, उसके पाँच किलोमीटर के एरिये के अंदर ही मकान बनाकर दिये जाएंगे। अब समस्या क्या आ रही है कि दिल्ली सरकार के पास है डेढ़ सौ के करीब जगह, बाकी जो क्लस्टर्स हैं, वो हैं केन्द्र सरकार के पास, डीडीए के पास। एलजी साहब के पास मिटिंग हुई थी। मैने कहा था, ''सारे मुझे दे दो, हम कर देंगे सारे।'' क्योंकि उनके पास खाली जगह थी बहुत सारी। तो बदले में बनाना आसान था। कहते हैं, ''नही जी, डीडीए बनाएगी, हम नहीं बनाएंगे। आपको नहीं बनाने देंगे।'' हमें नहीं बनाने देंगे! तो भाई साहब, आप बना लो। तो दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की कमेटी ने जितनी भी झुग्गियाँ दिल्ली सरकार के अंडर आती हैं, हम सबको मकान बनाकर देंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः राजेश जी, बैठिए प्लीज।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः दूसरा, मैं सारे सदन को ये बताना चाहता हूँ, झुग्गियों के अंदर मकान बनाने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता। अगर वहाँ पर एक झुग्गी के अंदर मान लो दो एकड़ का प्लाट है और वहाँ पर दो सौ परिवार रहते हैं तो बिल्डर को अगर देते हैं तो दो सौ जगह चार सौ मकान बनाता है या तीन सौ मकान बनाता है। दो सौ मकान उनको मिल जाते हैं, सौ मकान उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में निकल आता है। सरकार को इसमें बजट में प्रोविजन करने की आवश्यकता नहीं हैं। और दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में, देश में ही नहीं पूरे संसार में स्लम के लिए हाउसिंग इसी तरीके से बनी है। सरकारी फंड से कभी बन नहीं सकती और सरकारी फंड से बनाएंगे तो दिल्ली का पूरा का पूरा बजट भी लगा दें तो वो घर नहीं बन पाएंगे, पूरे बजट से भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए पॉलिसी है और वैल डिफाइंड पॉलिसी है, पूरे संसार में ये पॉलिसी लागू की जाती है। दिल्ली को अब जाकर... अब फिर वो बात आ जाएगी कि एलजी साहब बीच में आ गए। इस पॉलिसी को भी साइन करने में ऊपर–नीचे में... साल से ऊपर लग गया, अब जाकर वो पॉलिसी साइन हुई है। अभी भी कुछ–कुछ क्वैरीज हैं, दो साल से ऊपर लग गए। पर फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि दो साल में ही सही, कर दो दिया। अब हम डूसिब के माध्यम से जो दिल्ली सरकार के पास जितनी भी जगह है, जल्द से जल्द आने वाले तीन चार के अंदर सारे बना देंगे। पूरा मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। जो हमारे 167 जगह हैं, 167 जगह में कैसे कैसे बनाए जाएंगे, सबका प्लानिंग कर चुके हैं। और पूरी दिल्ली के अंदर झुग्गियों के ऊपर मकान बनाकर दिये जाएंगे, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद। अब सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 10 अप्रैल, 2018 अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कृपया राजेश गुप्ता जी और वाजपेयी जी, एक बार मिलकर जाएं।

(सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 10 अप्रैल, 2018 अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

... समाप्त ...

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्सs, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।